केवल भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में उपयोग हेतु

ONLY FOR USE IN IA&AD ONLY

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

राजस्थान, जयपुर-302005

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E) RAJASTHAN JAIPUR-302005



ऋण एवं जमा शाखा नियमावली
MANUAL OF BEBT & DEPOSIT BRANCH

भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा विभाग
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

चतुर्थ संस्करण की प्रस्तावना

यह ऋण एवं जमा अनुभाग की नियमावली का चतुर्थ संस्करण है। इस नियमावली का अन्तिम पुनर्रीक्षण सितम्बर-1990 में किया गया था।

2003-08 की परिपेक्ष्य योजना जो जुलाई 2003 में महालेखाकारों के 22 वे महासम्मेलन में विचारित तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा अनुमोदित हैं में बताया गया कि हमारी संहिता एवं नियमाविलयों में, सरकारी प्रणाली में आये नये परिवर्तनों के कारण सर्वोत्तम व्यवहार संसूचकों की कमी है । अब इन्हें हमारे स्टाफ के संहिता बद्ध व मौखिक ज्ञान को बाधित किये बिना, इन परिवर्तनों को समाहित करते हुए पुनर्लिखित या पुनर्गुणित करना चाहिये । इससे हमारे तृतीय संस्करण को अद्यतन किये जाने की आवश्यकता हुई जो अन्ततः चतुर्थ संस्करण के रूप मे सामने आया/ इस संस्करण को अन्तिम रूप देते समय मुख्यालय से समय समय पर निर्गमित आदेशों/ परिपत्रों को भी ध्यान में रखा गया हैं ।

ऋण तथ जमा अनुभाग इस नियमावली को अद्यतन रखने के लिए जिम्मेदार होगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि वे सभी आदेश जो कि इस नियमावली में समाहित होने है सावधानी एवं तत्परता से इसमें सम्मलित कर लिये गये हैं।

जयपुरः

महालेखाकार (ले. व हक.)

दिनांक 18.1.2006

वि-ाय सूची

क्र. सं.		पृ-ठ संख्या	
1.	सामान्य	1-11	
2.	लोक 🤊	12-22	
3.	समेकित	23-30	
	ऋण त		
4.	बचतें ए	31-42	
5.	जमाएं	43-63	
6.	विविध	68-90	
7.	परिशि-व		
	(I)	विवरणी डायरी	91-97
	(II)	अभिलेखो का परिक्षण	98-99
	(III)	निर्घारित ऋण शी-र्न, जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों आदि द्वारा रखे जाते हैं के अंतर्गत व्यवहारों का संकलन, समाधान तथा लेखा परीक्षण	100-107
	(IV)	108-118	
	(V)	विस्तृत लेखे रखने की प्रक्रिया स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थाओं एवं सरकारी कम्पनियों द्वारा निवेश करने की प्रक्रिया	119-130
	(VI)	अनियमितताओं की सूची	131-132
	(VII)	2003-04 से नये शी-र्गे की वृहत	133-134

अध्याय-I

सामान्य-I

1.1 सामान्य कार्य

- 1.1.1 ऋण एवं जमा शाखा मे सामान्यतया राज्य की समेकित निधि एवं राज्य के लोक लेखा के अधीन आने वाले ऋणों तथा कर्जो एवं अग्रिमों और राज्य के लोक लेखा के अधीन जमा से सम्बन्धित लेन-देनों के लेखाकारण एवं जांच का कार्य किया जाता हैं।
- 1.1.2 अध्याय I में ऋण जमा अनुभाग के सामान्य कार्य एवं संगठनात्मक ढांचा दिया गया है । अध्याय II में लोक ऋण से सम्बन्धित लेखाओं का रख रखाव, खुला बाजार ऋण, रवायत्त निकायों एवं अन्य प्राधिकरणों से ऋण एवं केन्द्रीय सरकार से ऋण, उनको चुकाने एवं उस पर ब्याज के भुगतान से समबन्धित लेखाओं के रख रखाव के बारे मे बताया गया है । अध्याय III मे सरकारी एवं अर्ध सरकारी निकायों को ऋणों के विस्तृत लेखाओं के रख-रखाव के बारे मे बताया गया हैं । अध्याय IV में बचत एवं निधियां जैसे निक्षेप-निधि, अकाल राहत निधि एवं सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियों के बारे में बताया गया है, अध्याय V में जमा एवं सिविल अग्रिमों से सम्बन्धित लेन देनों के एक मुश्त लेखाकारण के रख-रखाव के बारे में बताया गया है जिसमें कृ-ाकों को राजस्व अग्रिम, विभागीय अग्रिम एवं स्थायी अग्रिम आदि सम्मिलित हैं ।

1.2 सामान्य संगठन

- 1.2.1 ऋण तथा जमा अनुभाग अनुभाग अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी के प्रभार के प्रभार में है जो कि शाखा अधिकारी के अधीन कार्य करता हैं । शाखा का समूह पर्यवेक्षण प्रभार वरि-ठ उप महालेखाकार (लेखा)/ उप महालेखाकार (लेखा) के पास हैं ।
- 1.2.2 सामान्य प्रक्रिया की नियम पुस्तक में दिये गये कर्तव्यों के अलावा डी.डी. अनुभागों के लेखाकार एवं अनुभाग अधिकारी निम्न कर्तव्यों के लिए उत्तरदायी होंगे:-

लेखाकारों के कर्तव्यः

- (1) लेखा प्रक्रिया से संबंधित पृथक गार्ड फाइलों/ परिपत्र फाइलों का रखरखाव ।
- (2) महत्वपूर्ण आदेशों को नियम पुस्तक में सम्मिलित करना ।
- (3) यह देखना कि अनुभाग को दी गई पुस्तक आदि अद्यतन हैं।
- (4) संसदीय प्रश्न एवं राज्य विधान सभा में तारांकित प्रश्न ।
- (5) मासिक एवं तिमाही बकाया कार्य रिपोर्ट बनाना ।
- (6) आंकड़े तैयार करना/ उनकी जाँच करना ।
- (7) अकाउन्ट करन्ट अनुभाग/ सी.ए.I अनुभाग जैसा भी मामला हो, से प्रपत्र ए ओ 13 में समायोजन की सूचना मिलने पर एवं अकाउन्ट करन्ट अनुभाग से डी.डी. अनुभाग में उक्त समायोजन की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार के लेखाओं में ऋणों को लेखाबद्ध करने के लिए आवश्यक अंतरण प्रविन्टि प्रस्तावित की जाती है एवं भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर से विवरण पत्र प्राप्त होने पर आगे

समायोजन भी किए जाते हैं जिसमें ऋण की पूर्ण स्थिति दी जाती हैं।

- (8) ब्राडशीटों का उचित रख रखाव एवं नियत तिथियों को उन्हें प्रस्तुत करना ।
- (9) ब्राडशीट के मासिक आंकड़ो का विवरण लेखा पुस्तिका के साथ मिलान करना एवं अन्तरों का संभवन/ बट्टे खाते डालना ।
- (10) मार्च लेखाओं के बंद होने पर ब्राडशीट में प्रत्येक लेखा/ जिले का योग लगाया जाना चाहिए एवं निकाला गया अंतिम शे-ा जो कि मार्च (पूरक) के बाद अंतिम आंकड़ों से पूर्व को नई ब्राडशीट में लाया जाये एवं उसे अनुभाग अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाये ।
- (11) प्रत्येक ऋण जैसे नगर पालिका, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, विकास प्राधिकरण/ नगर सुधार न्यास आदि के संबंध में वसूलियों का योग कर देना चाहिए एव मार्च पूरक लेखाओं के लिए ब्राडशीट बंद करने के बाद अंतिम शे-। निकाला जाना चाहिये एवं इन अंतिम शे-। को अगले लेखा वर्न की ब्राडशीटों में लाया जाना चाहिये।
- (12) उधार लिये गये धन से वित्त पो-ित योजनाओं के व्यय को अलग रखने के लिये सहायक रजिस्टर रखना ।
- (13) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को ऋण चुकाने के लिए देय मूलधन एवं ब्याज की राशि की गणना वाले मामलों की जांच करने के लिए अनुभाग अधिकारी/ सहायक लेखा अधिकारी/ शाखिधकारी को प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।
- (14) संस्वीकृत ऋण की राशि, तारीख एवं वाउचर संख्या, बयाज की दर, चुकौती की शर्ते, बकाया ऋण पर ब्याज की गणना आदि जैसे

विवरणों को राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सरकारी निकायों आदि को ऋण एवं अग्रिम संस्वीकृत किये जाने की संस्वीकृति की प्रति प्रापत होने पर तुरन्त एवं सी.टी.एस./ सी.ए. अनुभागों से अनुसूचियां एवं वाउचर प्राप्त होने के आधार पर सहायक ऋण रजिस्टर में प्रवि-ट करनी चाहियें।

अनुभाग अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी के कर्तव्य

- (1) यह देखना कि लेखाकारों को सौपें गये कार्य उनके द्वारा संतो-ाजनक रूप से किये जा रहे हैं।
- (2) यह सुनिश्चित करना लेखाकारों द्वारा विभिन्न विवरणियों को प्रस्तुत करने के लिए नियत तिथियो का पालन किया जाता है । उनका दायित्व नियत तिथि को शाखाधिकारी/ समूह अधिकारी को विवरणी डायरी प्रस्तुत करना एवं उसका रख रखाव करना भी है ।
- (3) जी.डी. (रिकार्ड)अनुंभाग को पुराने रिकार्ड के लिए बनाई गइ सूचियों की जांच करना एवं प्रत्येक रिकार्ड मद पर आद्यक्षर करना तथा उकसे न-टीकरण की तिथि अंकित करना ।
- (4) यह सुनिश्चित करना कि सम्बद्ध लेखा अनुभाग आदि से समायोजन की सूचना प्राप्त होने पर समायोजन के लिए कार्रवाई तुरंत की जाती हैं।
- (5) विवरण लेखा पुस्तिका के साथ ब्राडशीट में मासिक आंकड़ों के मिलान/ सत्यापन के बाद शाखाधिकारी को ब्राडशीट प्रस्तुत करने को सुनिश्चित करना ।
- (6) मार्च पूरक को बंद करने के बाद पिछले वर्न की ब्राडशीट के प्रत्येक अंतिम शे-ा को प्रारम्भिक शे-ा के रूप में सत्यापित करना ।

- (7) सहायक लेखाधिकारी/ अनुभाग अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि मार्च (पूरक) की समाप्ति पर प्रत्येक लेखा/ जिला का योग लेखाकार द्वारा लगाया जाता है एवं उसके द्वारा गणना किये गये निवल अंतिम शे-ा की जांच अन्य लेखाकार द्वारा नई ब्राडशीट में मार्च (पूरक) अन्तिम शे-ा को अग्रनीत करने से पूर्व की जाती है। ऐसे शे-ों का सत्यापन सहायक लेखाधिकारी अनुभाग अधिकारी द्वारा किया जाये।
- (8) राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को चुकौती के लिए देय मूलधन (ऋण) एवं ब्याज की राशियों की गणना के मामलों की जांच शत प्रतिशत की जाये। एक लाख (मूलधन/ ब्याज) से अधिक रूपये की चुकौती के मामलों को शाखाधिकारी को उनकी जांच के लिए प्रसतुत करना चाहिये।
- (9) सहायक ऋण रजिस्टर में प्रवि-टियों का सत्यापन सहायक लेखाधिकारी/ अनुभाग अधिकारी द्वारा किया जाना चाहिये ।
- (10) सहायक ऋण रिजस्टर में राज्य सरकार बीमा निधि ऋणों से सबंधित लेन देनों से संबंधित संस्वीकृतियों के विवरणों की प्रवि-टि से संबंधित सभी प्रवि-टियां सहायक लेखाधिकारी/ अनुभाग अधिकारी द्वारा सत्यापित की जानी चाहिये ।
- (11) आपत्ति पुस्तक एवं समायोजन रजिस्टर की सभी प्रविन्टियों पर सहायक लेखाधिकारी/ अनुभाग अधिकारी द्वारा आद्यक्षर किये जाने चाहिये ।

1.2.3 ऋण तथा जमा अनुभाग में सहायक महालेखकार/ वरि-ठ लेखाधिकारी/ लेखाधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी/ अनुभाग अधिकारी की कप्यूटर के माध्यम से संकलन कार्य के सम्बन्ध में कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ इस अध्याय के अन्त में दिये गये संलग्नक में वर्णित हैं।

1.3 अनुभाग में रखे जाने वाले मुख्य नियंत्रण अभिलेख

1.3.1 अनुभागों में रखे जाने वाले विभिन्न नियंत्रण अभिलेखों का उल्लेख इस नियम पुस्तक के अनुवर्ती अध्यायों में किया गया है । तथापि अनुभागों के मार्ग निर्देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभिलेखों / विवरणियों का उल्लेख नीचे किया गया हैं।

1.3.2 विवरणी डायरीः

ऋण एवं जमा अनुभागों को एक विवरणी डायरी रखनी चाहिये जैसा कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक की स्थायी आदेशों की नियम पुस्तक (प्रशासनिक) के पैराग्राफ 26 में निर्धारित किया गया है । ऋण एवं जमा अनुभाग से बाह्य प्राधिकारियों को एवं इस कार्यालय के अधिकारियों / अनुभागों से प्राप्य विवरणियों/ रिपोर्टो एवं अन्य अनुभागों से बाह्य प्राधिकारियों से प्राप्य होने वाली उन विवरणियों/ रिपोर्टो जिनका प्रस्तुतीकरण/ प्राप्ति पर निगरानी विवरणी डायरी के माध्यम से रखी जाती है उनके सम्बन्ध में ब्यौरा परिशि-ट -

स.ले.अ./ अनुभाग अधिकारी का यह देखने का दायित्व है कि अनुभागों से देय सभी विवरणियां, रिपोर्ट आदि समय पर बनाई एवं भेजी जाती है एवं अन्य कार्यालयों या इस कार्यालय के अन्य अनुभागों से प्राप्त विवरणियों आदि को नियत तिथियों पर प्राप्ति के लिए निगरानी रखी जाती है एवं अन्य सभी कार्य निर्धारित तिथियों पर पूर्ण किये जाते हैं ।

विवरणी डायरी प्रत्येक मंगलवार को शाखाधिकारी एवं प्रत्येक माह के तृतीय मंगलवार को महालेखाकार (लेखा)/ व. उप महालेखाकार (लेखा) को प्रस्तुत की जानी चाहिये।

1.3.3 कार्यो की स्थिति से संबंधित एवं उचन्त शी-र्गे के अधीन शे-ा एवं ब्राडशीटों में अन्तर के सम्बन्ध में रिपोर्ट:-

मासिक एवं तिमाही बकाया रिपोर्ट बनाते समय सामान्य प्रक्रिया की नियम पुस्तक में दिये गये प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिये । इसी तरह उचन्त शी-ों के अधन बकाया शे-ों एवं ब्राडशीटों एवं ऋण एवं जमा शी-ों के मध्य अन्तरों की रिपोर्ट बनाते समय उन्हें प्रस्तुत करते समय प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिये ।

1.3.4 गार्ड फाईलः-

प्रत्येक अनुभाग में पृथक गार्ड फाईलें रखी जानी चाहिये जिनमें लेखा प्रक्रिया से संबंधित पृथक अनुदेशों से संबंधित प्रक्रिया अनुभाग द्वारा अपनाई जाती हैं।

गार्ड फाइलों की उचित वि-ाय सूचिका रखी जानी चाहिये जिसमें परिपत्र/ पृ-ठ संख्या जिस पर विभिन्न अनुदेशों को रखा गया है, दिये जाने चाहिए।

1.3.5 कुजी रजिस्टर

दक्षता प्राप्त करने की दृ-िट से अनुभाग का प्रत्येक लेखाकार सामान्य प्रक्रिया की नियम पुस्तक में दिये गये अनुदेशों के अनुसार एक कुंजी रजिस्टर रखेगा। कुजी रजिस्टर प्रतिवर्न 15 अप्रैल, जुलाई,अक्टॅबर एवं जनवरी में अनुभाग अधिकारी/ सहायक लेखाधिकारी/ शाखाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

1.4 अभिलेखों का परिरक्षण

ऋण एवं जमा अनुभागों के लिए जिन अभिलेखों का परिरक्षण किया जाना है उनकी अवधि इस नियम पुस्तक के परि-ी-ट II में निर्धारित की गई हैं।

संलग्नक

(परिच्छेद 1.2.3 में संदर्भित)

ऋण तथा जमा अनुग में स. म./व.ले.अ./ले.अ. के कर्त्तव्य एवं जिम्मेदारियाँ

- (i) स.महालेखाकार/व.लेखाधिकारी/लेखाधिकारी इस अनुभाग का समग्र प्रभारी होता है उसके द्वारा पहले से ही नि-पादित किये जा रहे कर्त्तव्यों/ जिम्मेदारियों के अतिरिक्त उसे दैनिक आधार पर कम्प्यूटर में आंकड़ों को डालने संबंधी लेखा संकलन क्रियाओं का पर्यवेक्षण करना है तथ यह सुनिश्चित करना है कि आँकड़ा प्रवि-टि निर्धारित तिथि तक पूरी हो जावे।
- (ii) कम्प्यूटर से जनित विविध प्रतिवेदनों को उसे अधिकृत करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि वे संहित प्रावधानों के अनुसार संधारित तथा परिरक्षित किये जाते हैं।
- (iii) यह जाँचना कि प्राप्तियाँ तथा ऋणों की वसुलियों के लेखे उन्हीं ऋणों के समक्ष अभिलिखित किये गये हैं जिनसे कि वे वास्तव में संबंधित हैं।
- (iv) उसे नमूना जाँच करनी है कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये ऋणों की वसूली उसी विशेन ऋण के समक्ष अभिलिखित की गई है जिससे कि वह वास्तव में संबंधित है।
- (v) उसे यह देखना है कि ऋणों के अन्तिम शे-ा सही हैं तथा किसी भी ऋण का विपरीत शे-ा नहीं है।
- (vi) उसे व.लेखाकार/लेखाकार द्वारा की गई तथा अ.अ./स.ले.अ. द्वारा जाँची गई प्रवि-टियों की निश्चित प्रतिशत में जाँच करनी है।
- (vii) उसे स.ले.अ./अ.अ. द्वारा प्रस्तुत पत्रों /प्रतिवेदनों के प्रत्येक सन्दर्भ कीशुद्धता तथा पर्याप्तता का निर्धारण करना है।

(vii) उसे उसके पर्यवेक्षणाधीन अनुभाग के प्रत्येक कार्य कि क्रियाओं की नमूना जाँच करनी है।

डी.डी. अनुभाग के स.ले.अ./अ.अधिकारी के कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

- (i) स.लेखाधिकारी/अनुभाग अधिकारी अनुभाग का पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है। ऋण तथा जमाओं की नियमावली के प्रावधानों के अन्तर्गत उसके द्वारा पूर्व में ही नि-पादित कर्त्तव्यों/उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि आंकड़ा प्रवि-टि निर्धारित तिथि तक पूरी हो जावे।
- (ii) कम्प्यूटर के माध्यम से प्राप्त मुद्रित प्रतिवेदनों को अधिकृत करना।
- (iii) " यूजर्स" द्वारा की गई त्रुटिपूर्ण प्रवि-टियों को सही करना।
- (iv) उसे " प्रोसेस " चलाना है।
- (v) उसे उसके अनुभाग से संबंधित विविध प्रतिवेदनों के निर्धारित तिथियों तक जनन होने की निगरानी करनी है।
- (vi) उसे संस्थागत ऋण के संबंध में ऋणी संस्था को तथा केन्द्र सरकार के ऋणों के संबंध में केन्द्र सरकार के मंत्रालयों/वे. एव ले.अ. को उनके बकाया शे-गें से अवगत कराना है।
- (vii) उसे भुगतान के लिए बकाया रहे मूलधन तथा ब्या की राशि को दर्शाते हुए विस्तृत ऋण लेखों के ऋणी को माँग पत्र प्रेनित करना है।
- (viii) वार्निक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, जैसे ऋणियों को माँग पत्र, बकाया शे-ों का संवहन, बकाया स्वीकृतियों वाली संस्थाएं तथा वर्न के दौरान चुकाये गये ऋण

- (ix) यदि कोई देरी पाई जावे तो उसे शाखाधिकारी/समूह अधिकारी के ध्यान में लाया जावे।
- (x) उसे लेखा लिपिकों/लेखाकारों/व.लेखाकारों द्वारा "प्रोसेस " चलाये जाने के कार्य की निगरानी करनी है/
- (xi) लेखा लिपिक/लेखाकार/व.लेखाकार द्वारा की गई प्रवि-टियों की निर्धारित प्रतिशत जाँच स.ले.अ./अ.अ. द्वारा की जानी चाहिये।

ाध्याय-II

लोक ऋण

2.1 राज्य का आन्तरिक ऋण

सामान्य:-

भारत के संविधान की धारा 293 (1) के अधीन कोई भी राज्य भारत संघ के भीतर राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर यदि ऐसी सीमा जो राज्य के विधान मण्डल द्वारा अधिनियम के तहत समय-समय पर निर्धारित की गई हो, के अन्दर ऋण ले सकता हैं। कोई भी संसद द्वारा निर्धारित किसी शर्त या विधि के अधीन भारत सरकार से भी ऋण प्राप्त कर सकता हैं।

भारत के संविधान की धारा 293 (3) के अधीन भारत सरकार द्वारा दिये गये / प्रत्याभूत ऋण का काई भाग बकाया हो तो राज्य सरकार को ऋण लेने से पूर्व भारत सरकार की सहमति लेनी लेनी होगी ।

2.2 ऋण के प्रकार:-

जिन विभिन्न स्त्रोतों से राज्य सरकार ऋण प्राप्त कर सकती है वे इसे प्रकार है:-

- (1) खुला बाजार ऋण
- (2) स्वायत्त निकायों एवं अन्य एजेन्सियों से ऋण
- (3) केन्द्रीय सरकार के ऋण

2.2.1 खुला बाजार ऋण

राजस्थान सरकार ने विभिन्न विकास योजनाओं में धन लगाने के लिए खुले बाजार से विभिन्न ऋण लिये हैं । अभिदान लोक ऋण

कार्यालयों भारतीय रिजर्व बैंक, एव भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर की अधिसूचित शाखओं के माध्यम से प्राप्त होते हैं। इन ऋणों की अवधि सामान्यतया 10 से 12 व-र्गे की होती है1 सामान्यतया ऋण अवधि के दौरान ऋण के परिपक्क होने तक लेने देने की कोई प्रवि-टि नहीं होती एवं बकाया राशियों को समाप्त राशियों (ब्याज रहित) में अंतरित कर दिया जाता है।

2.2.2 लेखा प्रक्रियाः

राज्य सरकार द्वारा खुले बाजार से लिये गये ऋणों में अभिदान निश्चित तारीख तक दिये जाते हैं एवं भारतीय रिजर्व बैंक के सार्वजिनक ऋण कार्यालयों और भारतीय स्टेट बैंक एवं भारतीय स्टेट बैंक की सहायक शाखाओं एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर एवं इसकी सहायक शाखाओं में नकद या विशेन ऋण (ऋणों) के रूपान्तरण के रूप में प्राप्त किये जाते हैं । ऐसे बाजार ऋणों पर प्राप्त केडिट को भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केन्द्रीय लेखा अनुभाग द्वारा भेजा जाता है तथा राज्य सरकार के शेन को बढ़ा दिया जाता है अर्थात शी-ई 8658 उचन्त लेखा 110- रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय को क्रेडिट कर दिया जाता है उक्त समायोजन की सूचना प्रपत्र ए.ओ. 13 में अकाउन्ट करन्ट अनुभाग में प्राप्त होती है एवं अकाउनट करन्ट अनुभाग से उक्त समायोजन की सूचना डी.डी अनुभाग मे प्राप्त होने पर निम्न अंतरण प्रविन्टि राज्य सरकार के लेखाओं में ऋण को लेखा बद्ध करने के लिए की जाती हैं।

डेबिट 8658-उचन्त लेखा

110-रिजर्व बैंक उँच्त

केन्द्रीय लेखा कार्यालय

क्रेडिट 8449-अन्य जमा

105- खुला बाजार ऋणों की जमा (3)

(II) - आर.एस.डी.एल. की जमा ।

भारतीय रिजर्व बैंक, नागरपुर से विवरण पत्र जिसमें ऋण की पूरी स्थिति दी हुई होती है, के प्राप्त होने पर डी.डी. अनुभाग द्वारा राज्य सरकार के लेखाओं में निम्न आगे और समायोजन लोक ऋण के रूप में किये जाते हैं।

डेबिट - 8449 अन्य जमा

क्रेडिट - 6003 राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण

ऋण के अभिदाता को ब्याज का भुगतान छमाही आधार पर ब्याज भुगतान वारन्ट पर किया जाता है जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के सम्बद्ध सार्वजनिक ऋण कार्यालयों से प्राप्त होते हैं । भारतीय स्टेट बैंक एवं स्टेट ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर द्वारा किये गये भूगतानों के सम्बन्ध में ब्याज भुगतान वारन्ट को को-गलयों से प्राप्त होते हैं । ब्याज भुगतान वारन्ट एवं बांड जिन पर मूल अभिदान राशि का भुगतान परिपक्वता पर किया जाता है, रिजर्व बैंक से सी.ए.VI अनुभाग में प्राप्त किये जाते हैं । अनुभाग उन्हें वर्गीकृत करता है एवं ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में शीर्न 2049- ब्याज भुगतान को डेबिट एवं ऋण राशि के सम्बन्ध में शीर्न 6003- राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण को डेबिट करते हुए तथा शी-ी 8658- उचन्त लेखा बैंक उचन्त " को क्रेडिट (डेबिट को घटाकर) अंतरण प्रवि-िट बनाता हैं । भुगतान के बाद मूल अभिदान राशि के बांडों की जांच डी.डी. अनुभाग में की जाती है एवं ये भारतीय रिजर्व बैंक को भेजे जाते हैं। इसी तरह ब्याज भुगतान वारन्टों की जांच संबंधित सी.ए.VI अनुभाग द्वारा की जाती है जो कि अकाउन्ट करेन्ट अनुभाग से

समायोजन की सूचना के साथ आंकड़ों के मिलान के बाद इन्हें भारतीय रिजर्व बैंक को भेजेगा।

2.2.3 ब्राडशीटों में प्रवि-ट

इन प्रत्येक ऋणों के सम्बन्ध में प्राप्ति एवं भुगतान का अभिलेख रखने के लिये डी.डी. अनुभाग में प्रपत्र एम.एस.ओ. (टी) 85 में एक ब्राडशीट रखी जाती है, प्राप्तियों एवं भुगतानों के लिये पृथक ब्राडशीटें रखी जाती है प्राप्तियों की प्रविन्टि डी.डी. अनुभाग द्वारा किये गये समायोजनों के आधार पर की जायेगी । भुगतान की प्रविन्टि सी.टी.एस. एवं सी.ए.VI अनुभाग (ब्याज भुगतान के लिए) के माध्यम से प्राप्त, को-ाालय अनुसूचियों से लेन-देनों के आधार पर की जायेगी । इसके साथ-साथ सहायक ऋण रजिस्टरों में प्रविन्टि की जाती है । ब्राडशीट में मासिक आंकड़ों का मिलान विवरण लेख पुस्तिका के साथ करना चाहिये एवं यदि कोई अन्तर हो तो उसे तुरन्त दूर करना चाहिये । ब्राडशीट को प्रत्येक माह निर्धारित तिथि को शाखाधिकारी को प्रस्तुत करना चाहिए ।

2.2.4 स्वायत्त निकायों एवं अन्य एजेन्सियों से ऋण

विकास योजनाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा सामान्यतया निम्न स्वायत्त निकायों एवं अन्य ऐजिन्सियों से ऋण लिया जाता हैं।

- (I) भारतीय जीवन बीमा निगम
- (II) भारतीय सामान्य बीमा निगम
- (III) भारतीय डेयरी विकास निगम
- (IV) रा-ट्रीय क्रेडिट विकास निगम
- (V) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
- (VI) ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
- (VII) रा-ट्रीय कृ-ि क्रेडिट (दीर्घावधि आपरेशन निधि)

उक्त स्वायत्त निकायों, रा-ट्रीय क्रेडिट विकास निगम एवं अन्य एजेन्सियां जो कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है, के अलावा, के सम्बन्ध में, ऋण राज्य सरकार के नाम से ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होते है जिन्हें बैंक में शीर्न 6003- राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण अन्य संस्थाओं से ऋण के अधीन जमा कराया जाता हैं । इन ऋणों का चुकौती एवं इस पर ब्याज का भुगतान हेतु राज्य सरकार आवश्यक संस्वीकृति जारी करती है एवं इसके लिये आवश्यक राशि परिपूर्ण व्यय बिल पर शीर्न "6003- राज्य सरकार के आन्तरिक ऋण ऋण की चुकौती के लिए अन्य संस्थाओं से ऋण को डेबिट करते हुए एवं "शीर्न 2049- ब्याजः ब्याज का भुगतान को डेबिट करते हुये आहरित की जाती है ।

रा-ट्रीय क्रेडिट विकास निगम के सम्बन्ध में लेखे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रखे जाते हैं निगम द्वारा राज्य सरकार को ऋण की अदायगी से संबंधित लेन देनों का निपटारा एवं राज्य सरकार द्वारा उस पर ब्याज के भुगतान एवं ऋण की चुकौती का निपटारा भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर के केन्द्रीय लेखा अनुभाग के माध्यम से निगम का जैसा उक्त पैरा 2.2.2 में निर्धारित के अनुसार किया जाता हैं।

2.2.5 एन.एस.एस.एफ के लेखों का संधारण:-

एन.एस.एस.एफ./ रा-ट्रीय लघु बचत को-। शी-ी के विस्तृत लेखे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संधारित किये जाते है । डी.डी. अनुभाग सी.ए.I अनुभग से प्राप्त को-। की स्वीकृति की प्रति तथा स्थानान्तरण प्रवि-टि के आधार पर वृहत पुस्तिका (प्राप्तियाँ) में प्रवि-टि कर उसका संधारण करता हैं । ए.सी.III अनुभाग से प्राप्त निस्तारण ज्ञापन के आधार पर स्थानान्तरण प्रवि-टि तैयार कर की जाती हैं तथा इससे वृद्ध पुस्तिका (भुगतान की ब्राडशीट तैयार की जाती है।)

2.2.6 ब्राडशीटों में दर्ज करना:-

ब्राडशीटों में दर्ज करने की प्रक्रिया इस मामले में भी वहीं है जो कि खुला बाजार ऋण के मामले में लागू होती है।

2.4 केन्द्रीय सरकार से ऋणः-

विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को ऋण भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा संस्वीकृत किये जाते हैं। केन्द्रीय लेखा कार्यालय, भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर सम्बद्ध मंत्रालय के वेतन एवं लेखाधिकारियों से प्रपत्र ए.ओ. 12 में सूचना प्राप्त होने पर सम्बद्ध राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के शेनों के मध्य आवश्यक समायोजन करता है एवं प्रपत्र ए.ओ. 13 में क्लियरेन्स मीमों जारी करता हैं। ऐसे क्लियरेन्स मीमों की प्राप्ति पर सम्बद्ध अकाउन्ट करेन्ट अनुभाग द्वारा आवश्यक अंतरण प्रविन्टि प्रस्तावित की जाती है जिसमें शीर्न 8658 उचन्त लेखा, रिजर्व बैंक उचन्त, केन्द्रीलय लेखा कार्यालय को माइनस डेबिट दिया जाता है। ऐसे समायोजन की आवश्यक सूचना अकाउन्ट करन्ट अनुभाग द्वारा सम्बद्ध डी.डी. एवं सी.ए.I अनुभाग को भेजी जाती है।

सी.ए.I अनुभाग में अकाउन्ट करन्ट अनुभाग से ऐसी संस्वीकृतियां एवं क्लियरेन्स प्राप्त होने पर निम्न अंतरण प्रविन्टि प्रस्तावित की जाती है एवं उसकी एक प्रति संस्वीकृति की प्रति के साथ डी.डी. अनुभाग को भेजी जाती है।

डेबिट 8658 - उचन्त लेखा

110- रिजर्व बैक उचन्त
केन्द्रीय लेखा कार्यालय

6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण

(आगे लघु एवं विस्तृत शी-र्ी संस्वीकृति के अनुसार)

क्रेडिट

राज्य एवं केन्द्रीय सरकार के शे-ों के समायोजन एवं रिजर्व बैंक उचन्त के समाशोधन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सूचना देने के लिये कार्रवाई अकाउन्ट करनट अनुभाग द्वारा की जाती है । केन्द्रीय लेखा कार्यालय भारतीय रिजर्व बैंक, नागपुर से समाशोधन ज्ञापन की प्राप्ति पर कार्रवाई सम्बद्ध अकाउन्ट करन्ट अनुभाग द्वारा की जायेगी।

ऋण के चुकौती एवं ऋण ब्याज के भुगतान के बारे में आवश्यक मांग डी.डी. अनुभाग द्वारा राज्य सरकार को संस्वीक.ति के लिए भेजी जाती है एवं संस्वीकृति के प्राप्त होने पर अंतरण प्रवि–ट के माध्यम से निम्न समायोजन किया जाता हैं।

- डेबिट (I) 6004- केन्द्रीय सरकार से ऋण
- (II) 2049- ब्याज भुगतान क्रेडिट 8658- उचन्त लेखा 110-रिजर्व बैंक उचन्त केन्द्रीय लेखा कार्यालय

2.5 अवकाश के दिन केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिये गये ऋणों पर मूलधन एवं ब्याज की किश्तों की वसूली एवं उन पर ब्याज की गणना।

सरकार के दिनांक 1.10.62 के पत्र संख्या एफ 13 (10) डब्ल्यू एवं एम / 62, दिनांक 23.7.63 के पत्र संख्या 13 (10) डब्ल्यू एव एम./ 62 एवं दिनांक 23.10.63 के पत्र संख्या एफ 13 (10) डब्ल्यू एवं एम/ 62 में यह बताया गया है कि जब कभी मूलधन या ब्याज की चुकौती या किसी किश्त की राशि रविवार या अन्य किसी सार्वजनिक अवकाश के दिन देय हो तो भुगतान की व्यवस्था रविवार या सार्वजनिक अवकाश के बाद अगले कार्य दिवस को की जायेगी जिसमें भुगतान उसी दिन का माना जायेगा जिस तिथि को यह देय था तथा जिन दिनों के लिये वसूली स्थिगित की गई है उन दिनों के लिये कोई ब्याज प्रभारित नहीं किया जायेगा । इस व्यवस्था का केवल एक अपवाद है जिसे मंत्रालय के पत्रांक 23.7.63 में दिया गया है वह यह है कि जब मूलधन / ब्याज किसी वर्न की 31 मार्च को चुकौती योग्य/ भुगतान योग्य है औरवह दिन अवकाश को हो तो इस मामले में वसूलियां यदि 31 मार्च को अवकाश हो तो उस दिन से पूर्व की जानी हैं।

उक्त अनुदेश जारी करने के बाद कुछ संदर्भ प्राप्त हुये जिनमें उक्त निर्णय के बारे मे आगे कुछ जानकारी चाही गइ थी इन बिन्दुओं के स्प-टीकरण में निम्नानुसार स्थिति स्प-ट की गई है:-

(i) ऋण के चुकौती या ब्याज के भुगतान के लिए देय तिथि अवकाश के दिन हो जिसे रिजर्व बैंक या को-ालय जिस पर प्रभावी क्रेडिट होना है, द्वारा माना जाताह जब उसे अगले कार्य दिवस तक बढ़ा दिया जाये सिवाय उसके जब कि देय तिथि 31 मार्च हों ।

(ii) राज्य सरकार द्वारा ऋण के आहरण की तिथि शब्द का अर्थ:-

(क) जब धन संबंधी निपटारा हो:-

सामान्यतया उस कलेण्डर तिथि को आहरण की तिथि माना जाता है जिसकों रिजर्व बैंक/ को-ालय द्वारा राज्य सरकार के लेखे में ऋण की राशि को वास्तविक रूप से क्रेडिट किया जाता हैं।

यह स्थिति उन मामलो में भी लागू होगी जिनमें लेखों में समायोजन एक माह मे किया जाता है एवं रिजर्व बैंक की पुस्तकों में समायोजन की तिथि अगले कलेण्डर माह में हो ऐसे मामलों में रिजर्व बैंक की पुस्तकों में राज्य सरकार को वास्तविक रूपसे किये गये क्रेडिट की तारीख को आहरण की तिथि माना जायेगा।

इस व्यवस्था का अपवाद ऐसे मामले है जिनमें रिजर्व बैंक द्वारा प्राप्तकर्त्ता राज्य सरकार के खातों मे क्रेडिट अप्रैल माह में किया जाता है जो कि पिछले वर्न के हो । ऐसे मामलों में ऋण को उस वित्तीय वर्न की 31 मार्च को भुगतान किया हुआ माना जाता है जिसमें भुगतान का समायोजन किया गया हैं । इसके परिणामस्वरूप ऐसे ऋणों के समबन्ध मे वार्निक ब्याज का भुगतान एवं मूलधन की किशतों की चुकौती आगामी वर्न की 31 मार्च को देय होगी एंव अप्रैल में कलेण्डर तिथि को एक वर्न होने

पर नहीं जिसकों रिजर्व बैंक की पुस्तकों में ऐसे ऋणों का अंतः सरकारी समायोजन किया गया था।

(ख) जब धन संबंधी कोई समायोजन नहीं हो:-

ऐसे मामलों के सम्बन्ध में जिनमें लेखाधिकारियों की पुस्तकों में केवल समायोजन होता है एवं भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यमसे वास्तविक क्रेडिट आवश्यक नहीं होता है उनके लेखा माह की अंतिम तिथि जिसकों समायोजन किया गया है को अदायगी एवं ब्याज प्रभारित करने के प्रयोजनार्थ ऋण की आहरण तिथि माना जाना चाहिये।

(भारत सरकार, वित्त मंत्रालय संख्या एफ 13 (10) डब्ल्य एवं एम दिनांक 15 नवम्बर 1965)

2.6 राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को देय मूलधन एवं ब्याज की राशियों की गणना की जांच

यह निर्णय किया गया है कि सभी ऋण/ ब्याज भुगतान के सम्बन्ध में चाहे वास्तविक रूप से इस कार्यालय द्वारा व्यवस्था किये गये हो या केवल आंकड़े सूचित किये गये हो, की शतप्रतिशत जांच की जानी चाहिये । एक लाख रूपये (मूलधन/ ब्याज/ दोनों एक साथ) से अधिक की चुकौती के मामलों की जांच शाखाधिकारी को करनी चाहिये ।

2.7 ब्राडशीटों में दर्ज करना:-

अंतरण प्रवि-िट दर्ज करना एवं सी.ए. I अनुभाग से संस्वीकृति की प्रति के आधार पर डी.डी. अनुभाग द्वारा बाडशीट (प्राप्तियां) में प्रवि-िट की जानी है।

राज्य सरकार द्वारा मूलधन/ ब्याज की चुकौती के लिए मांग किये जाने पर एवं प्रस्तावित अंतरण प्रविन्टि के आधार पर ब्राडशीट (भुगतान) में प्रविन्टि लघु शीर्न वार की जानी है तथा उसी के साथ सहायक ऋण रजिस्टर में प्रविन्टि की जाती हैं।

अध्याय-III

समेकित निधि से राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

3.1 सामान्य

3.1.1 राज्य सरकार विभिन्न प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक निकायों एवं सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत करती है जो कि राज्य की समेकित निधि को प्रभारित होते हैं इनका उल्लेख इस अध्याय में किया गया है 1 तथापि ऐसे अग्रिम जैसे वन अग्रिम, राजस्व अग्रिम, अन्य विभागीय अग्रिम आदि है जिन्हें राज्य के लोक लेखा को प्रभारित किया जाता हैं। ऐसे अग्रिम एवं जमा जिन्हें लोक लेखा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है, उनका उल्लेख इस नियम पुस्तक के अध्याय V में किया गया हैं।

3.2 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक निकायों को ऋण एवं अग्रिम

3.21 ऋण एवं अग्रिमों की स्वीकृति

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक एवं अर्द्ध सरकारी निकायों को ऋण एवं अग्रिम स्वीकृत किया जाता है जो कि राज्य की समेकित निधि को प्रभारित होते हैं । इनमें से कुछ ऋण विशे-। कानूनों के अधीन दिये जाते हैं जबकि अन्य विशे-। कारणों या मान्य नीति के अधीन दिये जाते हैं ।

3.2.2 लेखा प्रक्रिया

जब राज्य सरकार द्वारा ऋण संस्वीकृत किया जाता है तब सम्बद्ध को-ालय से प्रपत्र जी.ए. 121 में संवितरण अधिकारी द्वारा राशि आहरित की जाती है एवं संबंधित निकाय/ निकायों को इसका भुगतान किया जाता हैं। इन ऋणों के आहरण से संबंधित अनुसूचियां एवं वाउचर आदि पहले केन्द्रीय अनुभाग में को-ाालय से प्राप्त होते है, अनुसूचियों एवं वाउचरों की जांच की जाती है एवं सी.टी.एस में नकद लेखा/ भुगतानों की सूची से इन्हें मिलाया जाता है 1 यदि कोई वादचर गुम हो तो उन्हें सम्बद्ध केन्द्रीय को-ाालय अनुभाग द्वारा सम्बद्ध को-ााधिकारी से मांगा जाना चाहिये । केन्द्रीय को-ाालय अनुभाग द्वारा विवरण लेखा पुस्तिका बनाने के बाद अनुसूचियां एवं वाउचर डी.डी. अनुभाग को आहरण सूचीके साथ भेजे जाते है जिसमें वाउचरों/ अनुसूचियों के विवरण में दिये हुये होते हैं।

इसी तरह ब्याज भुगतान से संबंधित वाउचर जोकि मुख्य शीर्-2049- ब्याज भुगतान को क्रेडिट योग्य है, सम्बद्ध सी.ए. VI अनुभाग में प्राप्त होते है एवं लेखाओं के संकलन के बाद इन्हें डी.डी. अनुभग को भेजा जाता हैं।

3.2.3 सहायक ऋण रजिस्टर का रख रखाव

ऐसे सभी ऋणों के सम्बन्ध में डी.डी. अनुभाग द्वारा पृथक सहायक ऋण रिजस्टर रखे जाते हैं। जिनके कि विस्तृत लेखे इस कार्यालय में संस्वीकृति की प्रति की प्राप्ति पर कार्यालय द्वारारखे जाने होते हैं एवं इन्हें डी.डी. अनुभाग द्वारा प्रपत्र एस.वाई. 113 में रखे गये सहायक ऋण रिजस्टर में संस्वीकृत ऋण की राशि, ब्याज की दर एवं चुकौती की शर्त के साथ दर्ज करना चाहिये। प्रत्येक ऋण के लिए पृथक पृ-ठ रखा जाये तािक चुकौती को, जिसे कई व-र्गे तक

बढ़ाया जा सके, उसी पृ-ठ पर अभिलेखित किया जा सकें 1 सहायक रजिस्टर में प्रवि-टियों को अनुभाग अधिकारी को सत्यापित करना चाहिये ।

सी.टी.एस./ सी.ए. अनुभाग से प्राप्त अनुसूचियों एवं वाउचरों के आधार पर सहायक ऋण रजिस्टर के अन्य कॉलम जैस (1) वाउचर की तिथि (2) ऋण के मूलधन का लेखा (3) मूलधन के ब्याज की गणना (4) ब्याज मांग का लेखा भरे जाने चाहिये । ब्याज की गणना निर्धारित देय तिथियों को करनी चाहिये । संस्वीकृति की निबंधन और शर्त स्प-ट रूप से सहायक ऋण रजिस्टर के अभ्युक्ति कालम में शर्तों के कड़ाई से पालन को सत्यापित करने के लिये लिखी जानी चाहिये ।

3.2.4 ब्राडशीट

प्राप्तियों एवं भुगतान के लिए प्रपत्र एम.एस.ओ.85 में प्रत्येक ऋण के लिए पृथक ब्राडशीट रखी जाती है । इनमें सी.टी.एस. एवं संबंधित सी.ए.अनुभाग से अनुसूचियों एवं वाउचरों के आधार पर सहायक ऋण रजिस्टर के साथ साथ प्रवि-टि की जानी चाहिये । इस प्रकार ब्राडशीटों मे माहवार भुगतान किये गये एवं वसूल किये ऋण व ब्याज का पता चल सकेगा ।

3.2.5 संस्वीकृतियों की लेखा जांच करते समय यह देखा जाना चाहिये कि:-

- (क) ऋण एवं अग्रिम स्वीकृति के कारण (विशेन कानून के अधीन दिये गये ऋण एंव अग्रिम के मामले के अलावा या जिसके संबंधि में सरकार ने कोई सामान्य नियम या आदेश जारी किये गये है के अलावा) एवं शर्त जिनके अधीन यह दिया गया हे, का पूर्ण उल्लेख ऋण या अग्रिम के संस्वीकृति आदेशों में किया गया है।
- (ख) कोई असामान्य शर्त उदाहरणार्थ किसी मामले में ब्याज की माफी आदि की शर्त तो नहीं हैं ।
- (ग) ऋण या अग्रिम की शर्तो का अनुपालन ऋणी द्वारा किया जाता है । मूलधन की अदायगी एवं ब्याज की वसूली पर गहन निगरानी रखी जानी चाहिये ।
- (घ) बकाया ऋणों एवं अग्रिमों के सम्बन्ध में चुकौती शे-ाों को मानने एवं अवसूली योगय एवं संदेहास्पद परिसम्पतियों के बारे में कोई अनियमितता नहीं हैं।
- (ड.) मूलधन एवं ब्याज के चुकौती में कोई अनियमितता नहीं हैं । अनियमितता के मामले उस प्राधिकारी जिसने ऋण या अग्रिम स्वीकृत कि है , को बिना विलम्ब के सूचित करना चाहिये । यदि वह प्राधिकारी शास्तिक ब्याज मूलधन या ब्याज की देय किश्तों पर लगाये तो उसकी वसूली पर निगरानी रखी जानी चाहिये ।

- 3.2.6 विकास एवं अन्य प्रयोजनों के लिए सांविधिक निगमों, कम्पनियों, सार्वजिनक एवं अद्धर् सार्वजिनक निकायों एवं निजी संस्थओं आदि को वर्तमान में काफी ऋण संस्वीकृत करने को दृ-िटगत रखते हुये यह आवश्यक हो गया है कि उन विभिन्न शर्तो के पूरा होने पर निगरानी रखी जाये जिन पर ऋण संस्वीकृत किया गया है । यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि:-
 - (क) पर्याप्त प्रतिभूति ले ली गयी है विशे-ाकर निजी ऋणी से ताकि हितों को सुरक्षित किया जा सके एवं सरकार ने ऐसे पर्याप्त व्यवस्था कर ली हे जिससे उसे ऋणी की आर्थिक स्थिति की सूचना समय-समय पर मिलती रहें।
 - (ख) कि ऋणी को उसी प्रयोजन के लिये आगे ऋण स्वीकृत करने की प्रवृत्ति नहीं है जबकि ऋणी ने पिछले ऋण का एक बड़ा भाग उपयोग में नहीं लिया हैं।
 - (ग) कि इस बात के पर्याप्त आधार है जिससे पता चल सके कि ऋणों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए एवं उसी कार्य पर किया गया है जिसके लिये इसे स्वीकृत किया गया हैं।

3.3 सरकारी कर्मचारियों को ऋण

3.3.1 जुलाई 1988 तथा आगे के मिहनों के भ.नि.अ., मोटर वाहन तथा अन्य वाहन अग्रिम से संबंधित भुगतान वाउचर, सी.टी.एस. अनुभाग मे रखे जायेगे । जैसा कि राज्य सरकार के पत्रांक एफ. 7 (1) वित्त /80 दिनांक 6.5.88 (परिश-ट-IV) द्वारा को-ालयों में ऋण खातों के संधारण के लिए निर्गमित निर्देशों के परिच्छेद 11 मे निहित है, ये

- को-गलयवार अंक मिलान को विभागीय प्राधिकारियों उपलब्ध कराये जायेगे ।
- 3.3.2 अल्पाविध ऋणों जैसे खादयान्त अग्रिम, बाढ़ अग्रिम, साइकिल अग्रिम, सोलर कुकर अग्रिम आदि के सम्बन्ध मे राज्य सरकार के वित्त विभाग को, को-ालयवार तथा शी-ीवार अंक मिलान सी.टी.एस. अनुभाग में उपलब्ध आकड़ों से कराना होता हैं । इन अग्रिमों के सम्बन्ध में वसूली अनुसूचियों तथा भुगतान किये वाउचर, विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा अंक मिलान पूरा करने के पश्चात, अभिलेखागार में सी.टी.ए. अनुभाग द्वारा इसलिए सीधे ही भिजवाये जायेगे ।
- 3.3.3 जुलाई-1988 के लेखों से दीर्घकालीन अग्रिमों की वसूलियाँ को-गालयों में वर्गीकृत की जायेगी । वसूली अनुसूची को-गाधिकारी द्वारा रखी जावेगी । ये वसूलियाँ आगे इस कार्यालय में वर्गीकृत नहीं की जावेगी, सिवाय उन मामलोके जिनमें को-गाधिकारी को-गालय स्तर पर इन वसूलियों को वर्गीकृत करना भूल गया है। ऐसे मामलों में को-1 वाउचर संख्या तथा दिनांक के साथ वसूली अनुसूचियाँ, सी.ए. अनुभाग द्वारा वर्गीकृत करने के पश्चात को-गाधिकारी को तदुनुसार संसूचित करते हुए भेज दी जायेगी ।
- 3.3.4 सरकारी कर्मचारियों को दिये ऋण के विरुद्ध वसूली से सम्बन्धित चैक/ ड्राफ्ट आगे से इस कार्यालय मे स्वीकार नहीं किये जायेगे । ऐसे चैक/ ड्राफ्ट को बुक अनुभाग सम्बन्धित विभाग/ कार्यालय/ व्यक्ति को इस टिप्पणी के साथ लौटायेगा कि वे सीधे ही उस

को-गधिकारी का भेजे जाने चाहिये जिसके द्वारा ऋण के लेखे रखे जाते हैं।

3.3.5 राज्य सरकार ने अपने कार्यालय आदेश संख्या वित्त विभाग/ एफ-7/
(1)/ वित्त/ 80 दिनांक 6 मई 1988 द्वारा सरकारी कर्मचारियों को ऋणों के विस्तृत लेखों के संधारण के लिए प्रक्रिया निर्धारित की है। स्टाफ के मार्गदर्शन के लिए ये आदेश इस अध्याय के परिश-ट-IV के रूप में समाहित किये गये हैं।

3.4 ऋण तथा अग्रिमों के विपरीत शे-ों का संकलन, अंक मिलान तथा निपटान

3.4.1 ऋण शीर्-ा, जिनके विस्तृत लेखे विभागीय प्राधिकारियों द्वारा संधारित किये जाते है के विपरीत शे-ों के निपटान से संबंधित कार्य, सी.टी.एस. अनुभाग को सौपा गया है जो इस कार्यालय के डी.डी. अनुभाग द्वारा नहीं किया जा रहा है। स्टाफ के मार्गदर्शन के लिए टी.एम./ 82-सी/ 23 दिनांक 27.2.82 द्वारा विस्तृत निर्देश निकाले गये है वे इस नियमावली के परिश-ट-III के रूप में संलग्न हैं। ऋण शे-ों के समय पर अंक मिलान तथा लेखों मे विपरीत शे-ों के शीघ्र निपटान के लिए इन निर्देशों को ध्यान में रखना चाहिये। डब्ल्यू.ए.सी., सी.ए.वन, सी.टी.एस. अनुभाग विपरीत शे-ों की सूचना डी.डी. अनुभाग निर्धारित प्रारूप में, आलोचनात्मक विश्ले-ाण के सा, 25 दिसम्बर, मार्च, जुन तथा सितम्बर को प्रस्तुत करेगे, जो इनको समेकिन के पश्चात मुख्यालय को 5 जनवरी, अप्रेल, जुलाई तथा अक्टूबर को प्रेनित करेगा।

(कार्यालय आदेश संख्या 22 टी.एम./ सी-2001 दिनांक 2.7.2001)

परिच्छेद 3.4.2 में बताई गइ सूचना, उनके कारणें तथा उनके निपटान हेतु की गइ काय्रवाही के ब्यौरों के साथ, पूर्वोक्त अनुभागों द्वारा महालेखाकार (लेखा व हक.) को प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि को भेजी जायेगी । वित्तीय वर्न के अन्त में, निपटान के कारणों को अभिलेखित करते हुए, समूह अधिकारी से अनुमोदित सूचना ए.ए.डी. अनुभाग को, उनके वित्तीय लेखों में प्रदर्शनों हेतु, निर्धारित तिथि को भजी जायेगी ।

(का.आ.6 टी.एम./2002/ सी-6 दिनांक 27.3.2002)

अध्याय-IV

बचत एवं निधियां

4.1 सामान्य

निधियों के लेन देन सरकारी लेखा मे उसी रूप में सम्मिलित नहीं किये जाते हैं । सिवाय उनके नकद शे-ा सरकार में को-ालय नियमावली के अधीन जमा कराये जा सकते हैं एवं इन्हें सम्बद्ध जमा शी-र्न के अधीन लेखाबद्ध किया जाता हैं।

ऐसी निधियां जिनके लेखे डी.डी. अनुभाग द्वारा रखे जाते हैं उनकी चर्चा आगे के पैराग्राफों में की गई हैं।

4.2 8011- बीमा एवं पेंशन निधियां

4.2.1 राज्य सरकार बीमा निधि:-

राज्य सरकार द्वारा एक बीमा निधि जिसे "राज्य सरकार बीमा निधि "
के रूप में जाना जाता है, संचालित की जाती है । इस निधि से संबंधित
लेने-देनों को इस कार्यालय की पुस्तकों में मुख्य शीर्न 8011- राज्य एवं
पेंशन निधियां- अनिधि कर्ज के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है । इस निधि
से संबंधित विस्तृत लेखे निदेशक, बीमा एवं भवि-य निधि, जयपुर द्वारा रखे
जाते हैं ।

प्रत्येक को-ालय इस कार्यालय को निम्नलिखित प्रपत्र में आवरण सूची की दो प्रतियां माह की प्रथम एवं द्वितीय भुगतान सूची के साथ प्रस्तुत करता हैं । सूची पर को-ालय अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किये हुये होने चाहिये एवं उसमें वाउचर संख्या जिससे वसूली की गई है एवं वसूली की गई है एवं वसूली की गई राशि एवं नकद वसूलियां दी हुई होनी चाहिये।

क्र.सं.	विभाग का नाम	माह जिस के लिये वेतन आहरित किया गया है	को-गलय वाउचर संख्या	वसूल की गई कुल राशि	अभ्युक्तियां
1.	2.	3.	4.	5.	6.

माह में वेतन बिल से कुल वसूलियां.....

संलग्र अनुसूचियों के अनुसार नगद वसूलियां.....

कुल योग।

(प्राधिकारी संख्या 1443/डी.डी./ बीमा दिनांक 8/ 50 फाईल डी.डी.IV आदेश एवं अनुदेश)

सी.टी.एस. अनुभाग मे उक्त आवरण सूची प्राप्त होने पर वह अनुभाग वेतन बिलों / वाउचरों में बीमा निधि के कारण कटौतियों की प्रवि-टियों के साथ को-ालय वाउचर के विरुद्ध दर्शाई गई वसूलियों की जांच करेगा । इस प्रकार जांच की गई आवरण सूची अग्रिम कार्रवाई के लिए डी.डी. अनुभाग को भजी जायेगी ।

निधि से संबंधित को-ाालयों में भुगतानों के सम्बन्ध में वाउचरों की भी जांच सी.टी.एस.अनुभाग में भुगतानों की सूची के साथ की जाती है एवं इसके बाद अग्रिम कार्रवाइ के लिए इन्हें सम्बद्ध डी.डी. अनुभाग को भेजा जाता है।

4.2.2 ब्राडशीटों का रख रखाव

भुगतान एवं प्राप्तियों के लिए डी.डी. अनुभाग मे प्रपत्र संख्या 85 एम.एस.ओ. (टी) मे को-ालयवार पृथक ब्राडशीटें रखी जाती है। प्रत्येक को-ालय से संबंधित आवरण सूची में दर्शाई गई कुल वसूली को भुगतान ब्राडशीट में प्रवि-टि किया जाता है। ब्राडशीट में गणना

किये गये प्रत्येक को-ालय के लिए वसूलियों एवं भुगतानों का मिलान विवरण लेखा पुस्तिका के तदनरूपी आंकड़ों के साथ किया जाता है । ब्राडशीट मासिक रूप से शाखाधिकारी को आगामी माह के अंतिम दिवस पर प्रस्तुत की जाती हैं । निधि लेखा सें संबंधित को-ालयों में भुगतानों के समर्थन में वाउचरों की जांच यह देखने के लिये की जाती है कि को-ालयों से धन के आहरण के लिए को-ालय नियमावली में निर्धारित नियमों का पालन किया जाता हैं।

4.2.3 वार्निक समायोजन

मार्च लेखाओं के बंद होने के पश्चात 1.4.1980 से ब्याज का 8.5% की दर से समायोजन डी.डी. अनुभाग द्वारा शीर्न 2049- ब्याज भुगतान - I 03 अल्प बचत, भिव-य निधि पर ब्याज- 108 बीमा एवं पेंशन निधि पर ब्याज को डेबिट द्वारा एवं निधि को क्रेडिट द्वारा किया जाता है । ब्याज का भुगतान निधि के 31 मार्च के शेन पर पूर्ण वर्न के लिए किया जायेगा किन्तु वर्न में निधि मे निवल बढ़ोतरी पर ब्याज वर्न में केवल छः माह की अवधि के लिये दिया जायेगा एवं आगामी प्रत्येक वर्न में पूर्ण वर्न के लिए दिया जायेगा एवं आगामी प्रत्येक वर्न में पूर्व वर्न के लिए दिया जायेगा ।

(राजस्थान सरकार, वित्त (आर एवं ए.आई) विभाग का दिनांक 2.4.1981 का आदेश संख्या एफ 13 (27) एफ डी आर एवं ए आई/76)।

इसी तरह शीर्-1" 2235 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण" के अधीन दर्ज बीमा विभाग के निवल व्यय के सम्बन्ध में समायोजन निधि को डेबिट एवं पूर्ण शीर्-1 को क्रेडिट (ऋण डेबिट) के द्वारा किया जाता हैं।

4.3 अग्रिम हेजार्ड निधि:-

प्रत्येक सरकारी कर्मचारी जो कि अल्प आय वर्ग भवन, मध्यम आय वर्ग भवन योजना के अधीन भवन निर्माण अग्रिम एवं या ऋण लेता है उसे पिछले वर्न की 31 मार्च को बकाया अल्प आय वर्ग भवन/ मध्यम आय वर्ग भवन योजन के अधीन भवन निर्माण अग्रिम/ ऋण की कुल राशि के शेन पर प्रति वर्न प्रति सैकड़ा प्रति रूपया की निर्दि-ट प्रतिशत पर अंशदान भवन के पूर्ण होने तक अनिवार्य रूप से करना होता है । भवन के मामले में निधि में अंशदान से मकान में अग्रिम या विद्युत द्वारा क्षति का जोखिम आंवटित होता हैं । इससे राज्य सरकार की सेवा के दौरान ऋणी की मृत्यु की घटना पर अग्रिम ऋण की बकाया राशि के भुगतान का जोखित भी आवंटित होता है (अल्प आय/ मध्यम आय भवन योजना के अधीन)।

ऐसा ऋणी जिसने निधि में अंशदान हेतु विकल्प दिया है उसे भी पिछले वर्न की 31 मार्च को बकाया शेन पर वार्निक निर्दि-ट प्रतिशत पर निधि में अंशदान देना आवश्यक होता है । राजस्थान अग्रिम हेजार्ड निधि नियमावली 1971 वित्त विभाग आदेश संख्या एंफ. 1 (6) एफ.डी. (नियमावली) 70 दिनांक 21.5.1971 के अनुसार 1.4.1971 से प्रभाव में आई हैं ।

4.3.2 निधियों के लेखे

सभी प्राप्तियों एवं संवितरणों को एक पृथक लेखा शी-ी जिसे अग्रिम "क" वाहन ऋण अग्रिम" ख" भवन निर्माण अग्रिम ऋण कहा जाता है, मे लाया जाता है एवं निधि को प्रतिव-ी जनता से सरकार द्वारा समय समय पर उधार लिये गये धन पर अदा की गइ दर पर निधि के मुख्य शे-। पर ब्याज के साथ क्रेडिट किया जाना चहाये निधि के लेखे प्रतिवर्न 31 मार्च को निदेशक, बीमा द्वारा बंद किये जाने चाहिये जो कि ऋण के विस्तृत लेखे रखते हैं । निदेशक द्वारा प्रतिवर्न सितम्बर की समापित से पूर्व एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाती हैं।

4.3.3 लेखा के रख-रखाव के लिए प्रक्रिया

आहरण अधिकारियों/ बैक या ऋणी द्वारा अग्रिम या ऋण के आहरण से संबंधित सक्षम प्राधिकारियों से सूचना प्राप्त होने पर निदेशक, बीमा ऋणी सरकारी कर्मचारी के नाम से एक खाता खोलेगे तथा प्रत्येक मामले में खाता संख्या आवंटित करेंगे । संबंधित लेखाओं में प्रवि-टियों अप्रैल माह मं अदा योग्य मार्च माह के वेतन बिल या अनुवर्ती माहों के वेतन बिलों से अंशदान की वसूलियों के आधार पर की जाती है । को-ाालय अधिकारियों को वसूली अनुसूचियां आवरण सूची के साथ, जब कभी अग्रिम हेजार्ड निधि में अंशदान की कटौतियां की जायं तब भेजनी चाहिये निदेशक को सभी ऋणी सरकारी कम्रचारियों के खातों की अर्द्धवार्निक समीक्षा की व्यवस्था करनी चाहिये जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि अंशदान वसूल किये गये है एवं इन्हें निधि में क्रेडिट किया गया हैं ।

4.3.4 ब्राडशीटों का रख-रखाव

सी.टी.एस.अनुभाग के माध्यम से को-ालय अधिकारियों से प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर ब्राडशीटों में प्रवि-टियां की जाती है जो कि डी.डी. शाखा में को-ालयवार एक मुश्त आंकड़ों के लिए रखी जाती है । निदेशक, बीमा से मृत्यु की घटना पर अशोध्य योगय अग्रिम के बट्टे खाते डालने की संस्वीकृति प्राप्त होने के मामले में निम्न अंतरण प्रवि-ट प्रस्तावित की जाती है:-

डेबिट 8011- बीमा एवं पेशन निधियां

106- अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां - अग्रिम हेजार्ड निधि क्रिडट 7610- सरकारी कर्मचारियों को ऋण

201- भवन निर्माण अग्रिम

202- वाहन क्रय के लिए अग्रिम

उक्त अंतरण प्रविन्टि इस कार्यालय के ऋण अनुभागों में मृत सरकारी कर्मचारियों के ऋण खातों को पूर्ण करने की दृन्टि से प्रस्तावित की जानी आवश्यक थी। चूंकि अप्रैल 1986 से वाहन अग्रिम एवं अप्रैल 1987 से भवन निर्माण अग्रिम के सम्बन्ध में दीर्घावधि अग्रिमों का कार्य कार्य राज्य सरकार को सौंप दिया गया है अतः उक्त वर्णित समायोजन ऋण लेखाओं के रख रखाव के लिए नामजद अधिकारी जैसे निदेशक, कोनालय एवं लेखा या सम्बद्ध कोनाधिकारी द्वारा किया जायेगा । राज्य प्राधिकारियों को अंतरित नहीं किये गये ऋण लेखाओं के संबंध में जो कि अप्रेल 1986 (वाहन अग्रिम) अप्रैल 1987 (भवन निर्माण अग्रिम) से सम्बन्धित है, समायोजन ऋण सम्बद्ध ऋण अनुभागों से परामर्श के बाद डी.डी. अनुभागों द्वारा किया जायेगा । ब्राडशीटें उसी प्रकार से बंद की जानी है जैसा पूर्व में पैरा 2.2.3 में बताया गया हैं ।

महालेखाकार एवं निदेशक बीमा के आंकड़ों का मिलान समय समय पर किया जाना चाहिए ।

4.3.5 वार्निक समायोजन

निदेशक, बीमा से सूचना प्राप्त होने पर ब्याज का वार्निक समायोजन निम्नानुसार किया जाता है:-

डेबिट 2049- ब्याज भुगतान

03- अल्प बचत एवं भवि-य निधि आदि पर ब्याज

108- बीमा एवं पेंशन निधियों पर ब्याज

अग्रिम हेजार्ड निधि

क्रडिट 8011- बीमा एवं पेंशन निधियां

106- अन्य बीमा एवं पेंशन निधियां- अग्रिम हेजार्ड निधि

4.4 आरक्षित निधियां-

4.4.1 निधियों का गठन

आरक्षित निधियों का गठन राज्य सरकार द्वारा किसी सांविधिक प्रावधान के अधीन या अन्यथा राज्य की समेकित निधि से राशि के आवंटन या अन्य सरकारों या बाह्य एजेन्सियों द्वारा अनुदान या अंशदानो द्वारा किया जाता है जिसका उद्देश्य विनिर्दिश्ट एवं विशेन प्रयोजन जिनके लिये इसका गठन किया गया है पर निधियों में एकत्रित राशि व्यय करना होता हैं।

4.4.2 आरक्षित निधियां गठित करने के लिये शर्ते

किसी निधि से राशियां आहरित कर उसे गैर व्ययगत अनुदानों मे रखना प्रारम्भिक वित्तीय नियंत्रण के सिद्धान्त के प्रतिकूल हैं । किन्तु यह प्रक्रिया विधान मण्डल की सहमति एवं अनुमोदन से अपनाई जाये तो इसमें कोई आपत्ति नहीं हैं ।

4.4.3 आरक्षित निधियों के स्त्रोत

आरक्षित निधियों को निम्न तीन श्रेणियों में स्त्रोतों के अनुसार जिनसे उनमे धन लगाया जाता है, बांटा जा सकता है:-

- (I) अन्य सरकारों एवं सार्वजनिक अभिदानों द्वारा किसी समय अनुदानों से एकत्रित निधियां अर्थात केन्दीय सड़क निधि से अंशदान से गठित निधि ग्रामीण क्षेत्रों के आर्थिक विकास एवं सुधार के लिए निधियां ।
- (II) विशे-1 प्रयोजन के लिए इससे व्यय करने के लिये आरक्षित का प्रावधान करने क लिये राज्य की समेकित निधि से किसी राज्य सरकार द्वारा धन लगाने से गठित निधियां जिनका अर्थात मूल्यहास या नवीनीकरण आरक्षित निधियां कि सृजन वाणिजयिक विभाग एवं उपक्रमों के सम्बन्ध में किया गया हैं।
- (III) राज्य सरकार को ब्राह्य एजेन्सियों द्वारा गठन के लिए गई निधियां जैसे भारतीय कृ-ि अनुसंधान परि-ाद आदि द्वारा अनुदानों का जमा लेखा ।

(एम.एस.ओ. (लेखा व हक.) खण-I का पैरा 10.19)

4.4.4 आरक्षित निधियों का विभाजन

आरिक्षित निधियां दो प्रकार की होती है:-

- (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां
- (ख) ब्याज रहित आरक्षित निधियां

4.4.5 (क) ब्याज वाली आरक्षित निधियां-

सामान्यतया ये निधियां रेलवे एवं डाक एवं तार एवं वाणिज्यिक विभागों एवं उपक्रमों आदि से सम्बन्धित होती है अतः इनका लेखा जोखा इस कार्यालय में नहीं रख जाता हैं।

4.4.6 ब्याज रहित आरक्षित निधियाः

इस प्रकार की निधियों में निम्न निधियां आती है:-

- (I) परिशोधन निधियां
- (II) अकाल राहत निधियां
- (III) मूल्य ह्रास/ नवीनीकरण आरक्षित निधियां
- (IV) विकास एवं कल्याण निधियां
- (V) सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां जिनकी पृथक ब्राडशीटें डी.डी. अनुभाग द्वारा इनके लेखे रखने के लिये रखी जाती है।
- 4.4.7 इन लेखाओं के लेखांकन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन निम्नानुसार किया गया है:

ब्याज रहित निधिया:-

- (1) 8223- अकाल राहत निधि इस मुख्य शीर्-ा के अधीन अन्य लघु शीर्-ा जैस (I) अकाल राहत निधियां एवं (II) अकाल राहत निधि निवेश लेखा आते हैं ।
 - (I) अकाल राहत निधि

लेखांकन:-

सर्वप्रथम राज्य के बजट अनुमानों में शी-ी 2245- प्राकृतिक विपदाओं के कारण सहायता के अधीन प्रावधान किया जाता हैं। वर्न के दौरान किये गये व्यय को इस शीर्न के अधीन दर्ज किया जाता है 1 सी.ए. V अनुभाग द्वारा निम्नलिखित वार्निक समायोजन इस शीर्न के अधीन क्रेडिट (प्राप्तियों एवं डेबिट(भुगतानों) को इस निधि जिसके लिये ब्राडशीट डी.डी. अनुभाग द्वारा रखी जाती है, मे अंतरित करने के लिये किये जाते हैं।

मार्च (अन्तिम) प्राप्तियों के लिए समायोजन)

डेबिट 2245 - प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण सहायता

को - जै- आरक्षित निधियां

(ख) ब्याज रहति आरक्षित निधियां

क्रेडिट 8235 अकाल राहत निधियां

मार्च (अंतिम) (भुगतान के लिए समायोजन)

डेबिट -जे- आरक्षित निधियां (ख) ब्याज रौंहत आरक्षित निधियां

8235 अकाल राहत निधि

क्रेडिट 2245- प्राकृतिक विपदाओं आदि के कारण राहत

(भा.स.वि.म.पत्र सं.43(II) पी.एफ./ 1/2000 दि. 15.12.2000 तथा समसंख्यक दिनांक 24.11.2000)

4.4.8 निधि की ब्राडशीटों का रख रखाव:-

ब्राडशीअ में इस निधि के लेखा को निम्न अलग उप-शी-र्गे के अधीन दर्शाया जाना चाहिये -

प्राप्तियां

- (I) राजस्व खातें से अंतरण
- (II) ब्याज प्राप्तियां
- (III) प्रतिभूतियों की वसूली से लाभ
- (IV) अन्य प्राप्तियां

भुगतान:-

- (I) राजस्व खातें को अंतरण
- (II) कर्ज की अदायगी के लिए सामान्य शे-ों को अंतरण
- (III) कृ-ाकों आदि को वित्तीय ऋणों के लिये सामान्य शे-ाें को अंतरण
- (IV) प्रतिभूतियों की वसूली से हानि
- (V) अन्य भुगतान

जब कभी कर्जे की चुकौती या कृ-कों आदि को ऋण देने के लिये निधि से सामान्य शे-। को अंतरण करने का निर्णय किया जाये तब ऐसी राशि को क्रमशः उप शी-ी " कर्जे की चुकौती के लिए सामान्य शे-। को अन्तरण " एवं " कृ-ाकों को ऋण देने के लिए सामान्य शे-ों को अन्तरण " को डेबिट की जाने एवं शी-ी " 8680- विवध सरकारी लेखा- खाता शे-। समायोजन लेखा " को क्रेडिट किया जायें।

(प्राधिकारः मुख्य एवं लघु लेख शीर्-ा की सूची के मुख्य शीर्श 8223 अकाल राहत निधि के नीचे पाद टिप्पणी)

4.4.9 आपदा राहत निधि निवेश लेखाः

जब कभी राज्य सरकार द्वारा निधि से निवेश किया जाये या प्रतिभूतियों की बिक्री के कारण वसूली प्राप्त हो तब इन्हें उपशीर्न "प्रतिभूतियों का क्रय" या प्रतिभूतियों की बिक्री " जैसा भी मामला हो के अधीन दर्शाया जायें । ये लेखा शीर्न मुख्य शीर्न 8235 आपदा राहत निधि- 102 आपदा राहत निधि निवेश लेखा के अधीन आते हैं।

4.4.10 8229- विकास एवं कल्याण निधि:-

इस मुख्य शीर्न के अधीन कई लघु शीर्न आते है जो कि जिस प्रयोजन के लिये निधि का सृजन किया गया है, पर निर्भर करते है कुछ मुख्य निधियां निम्न है (I) शैक्षणिक प्रयोजनार्थ विकास निधियां (II) चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य प्रयोजनार्थ विकास निधियां (पशुपालन प्रयोजनार्थ विकास निधियां (IV) कृनि प्रयोजनार्थ विकास

निधि (V) सहकारिता विकास निधियां (VI) औद्योगिक विकास निधियां (VII) विद्युत विकास निधियां आदि ।

4.4.11 ब्राडशीटों की प्रवि-टि एवं उन्हें मासिक आधार पर बंद करना

ब्राडशीटों में प्रवि-िट एवं इन्हें मासिक आधार पर बंद उसी तरीके से किया जाता है जैसा अन्य निधि लेखाओं की ब्राडशीटों के लिए निर्धारित किया गया हैं।

अध्याय-(V)

जमा एवं अग्रिम

- (क) जमाः
- 5.1.1 सामान्य:- जमा ऐसी प्राप्तियों को कहते हैं जिन्हें सरकार के पास ऐसी जमा के रूप में रखा जाता है जिनके लिये सरकार जमा के रूप में रखी गर्ठ राशियों को अदायगी के लिए उत्तदायी हैं। जमा के रूप में प्राप्त धन सरकार से संबंधित नहीं होता किन्तु इनका अनुवर्ती रूप से पुनः भुगतान राज्य सरकार की सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के अनुसार या राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये सामान्य/ विशेन नियमों या आदेशों के अनुसार किया जाता है। जमा से सम्बन्धित लेन देन सरकारी लेखाओं मे लोक लेखा का भाग होते हैं।

5.1.2 जमा के रूप में धन की प्राप्ति एवं राजस्व प्राप्तियों पर प्रतिबंन्ध

- (क) जैसा राजस्थान सरकार की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियम 320 में प्रावधान है कि सरकारी जमा लेखाओं के लिए तब तक कोई धन प्राप्त नहीं किया जाये जब तक कि इसे सरकार की अभिरक्षा में रखे जाने के लिये सरकार का कोई सांविधिक प्रावधान या सामान्य या विशेन आदेश अपेक्षित या प्राधिकृत न हों।
- (ख) राजस्थान सरकार की सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के नियम 320 से 323 में राजस्व की बहुत मदों को जमा के

रूप में माने जाने पर प्रतिबन्ध है जिन्हें ध्यान मे रखना चाहिये। ऐसी मुख्य राजस्व प्राप्तियां जिन्हें सरकारी लेखाओं में जमा के रूप में नहीं रखा जा सकता, वे निम्नलिखित है:-

- (i) आदाता की अनुपस्थिति के कारण या अन्य किसी कारण से वेतन, पेंशन या अन्य भत्तें ।
- (ii) अपील लंबित है इस आधार पर जुर्माने है,
- (iii) वापसियाँ, टिकिटों की या अन्य प्राप्तियां जिनके लिये मांग लंबित है।

5.2 जमा का वर्गीकरण

5.2.1 जमा को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है:-

- (क) ब्याज वाली जमा, एवं
- (ख) बयाज रहित जमा
- " ब्याज वाली " या ब्याज रहित " जमा को इस रूप मे राज्य सरकार के विशे-ा आदेशों द्वारा माना जाता । निगम/कम्पनियों/ निकायों में जमा को ब्याज वाली जमा मानने के राज्य सरकार के निर्णय पर अनुवर्ती पैरा मे चर्चा की गयी हैं।

5.2.2 ब्याज वाली जमा

(क) ब्थ्याज वाली जमा के सम्बन्ध में लेन-देन मुख्यतया मुख्य शीर्-ा (क) 8338 स्थानीय निधियों की जमा एवं (ख) 8342-अन्य जमा, के अन्तर्गत आते हैं

र्शीर्- 8338-स्थानीय निधियों के अधीन जमा की श्रेणियां

स्थानीय निधियों की जमा में मुख्यताया (I) पंचायत बोर्ड निधियां, पंचायत समितियो सिहत (II) स्वायत्त निकायों की निधियां जैसे राजस्थान विद्युत निगम, राजस्थान राज्य पथ परिवहन राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान आवास बोर्ड एवं जयपुर विकास प्राधिकरण आदि (III) शिक्षा निधियाँ जैसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अन्य सरकारी शैक्षणिक संस्थायें, स्वायत्त संस्था जैसे मालवीय अभियान्त्रिकी महाविद्यालय, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय एवं सरकारी सहायता प्राप्त निजी संस्था आदि (IV) विविध निधियां आते हैं।

शीर्न 8342- अन्य जमा के अधीन जमा की श्रेणियां-

अन्य जमा में सरकारी कम्पनियों, निगमों एवं अन्य विविध ब्याज वाली जमा आती है राजस्थान सरकार ने प्रत्येक निगम/ कम्पनी / बोर्ड/ स्थानीय निकायों जो कि सरकार से ऋण/ हिस्सा पूंजी/ सहायता अनुदान के रूप में भुगतान प्राप्त करते है उनके लिये यह आवश्यक कर दिया है कि वे जिले की सम्बद्ध को-ाालय में इनके नाम से एक निजी जमा खाता खोले । राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार स्वीकृत राशि को इस निजी जमा खाते में जमा करानी चाहिये यदि निजी जमा खातें में कोई शे-। निधि हो तो उसे सरकार द्वारा संस्था आदि की प्रार्थना पर ब्याज वाली जमा के अधीन रखा जा सकता हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के अन्य मामलों में ऐसे ऋणों/ अनुदानों / निगम / कम्पनी/ बोर्ड/ स्थानीय निकायों को अंशदान

हिस्सा पूंजी के मामले में को-ालय अधिकारियों को यह देखना चाहिये कि राशि का भुगतान नकद नहीं किया जाता है बल्कि इसे उनके संबंधित निजी जमा खाते में जमा करया जाता हैं।

(सरकारी आदेश दिनांक 26.3.79, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम 370 के नीचे मद (VI) के रूप मे समावि-ट, उक्त नियम 306 के उपनियम 4 के साथ पठित एवं राजस्थान को-ालय नियम पुस्तक के नियम 15 (1) के नीचे टिप्पणी 2 देखें)।

इसके अतिरिक्त सरकार के समय-समय पर आदेश जारी कर रथानीय निकायो जैसे राजस्थान राज्य सरकारी विद्युत कम्पनियां, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, राजस्थान वित्त निगम एवं राज्य के पूर्णतया स्वामित्व वाले उपक्रमों आदि को निर्देश दिये है कि वे बिना राज्य सरकार की अनुमित के अपनी निधियों की प्रचलित/ बैंक में खाता या निवेशित नहीं करें। इन आदेशों को एक जगह एकत्रित कर राज्य सरकार ने अपने दिनांक 5.5.82 के आदेश संख्या ए.एफ. 12 (2) वित्त / 79 (देखें परिशि-ट-VI) के द्वारा पूनः उक्त संस्थानों द्वारा शे-ा निधियों के निवेश के सम्बन्ध में प्रक्रिया एवं प्रभाग निर्धारित की है एवं दिन प्रतिदिन के उपयोग के लिए ब्याज वाले एवं या बिना ब्याज वाले निजी जमा खाते निजी जमा खातें में जमा की जानेवाली शे-ा निधियों की प्रमाण भी निर्धारित की हैं। यह भी

स्प-ट किया गया है कि क्या निधियां को-ालयों में निजी जमा खातों में या बैंक मे चालू खाते के रूप में रखी जानी हैं।

(ख) जमा की चुकौती

इन निधियों से चुकौती जमा की अवधि एवं ऐसे मामलों में अनुमत ब्याज की दर के अनुसार वित्त विभाग की संस्वीकृतियों के आधार पर किया जाता हैं । इन निजी जमा खातों से आहरण विभिन्न संस्थाओं आदि के प्रशासक/ सक्षम प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये चैकों के माध्यम से संबंधित को-ालयों पर किया जाता हैं ।

(प्राधिकारः राजस्थान सरकार का दिनांक 16.5.79 एवं 17.5.79 का वि.वि. आदेश संख्या एफ 3 (44) वि.वि./ आर. एवं ए. आई/ 79 फाइल संख्या डी.डी.II पत्राचार/ 79-80 / 8338- जमा)

5.2.3 ब्याज रहित जमाः

ब्याज रहित जमा को निम्नलिखित श्रेणियों में विभिक्त किया जा सकता है:-

- (क) सिविल जमा
- (ख) स्थानीय निधियों की जमा
- (ग) अन्य जमा
- (क) **8443- सिविल जमा**

सिविल जमा के रूप में सरकारी लेखे में जमा के लिए को-ाालयों में प्राप्त धन का वर्गीकरण उस विभाग के अनुसार किया जाता है जिनके माध्यम से यह प्राप्त होता है, सिविल जमा का मुख्य वर्गीकरण (I) राजस्व जमा (II) सिविल न्यायालय जमा (III) अपराध न्यायालय जमा (IV) निजी जमा निर्वाचन जमा (VI) सार्वजिनक निकायों व व्यक्ति विशेन के लिए किये गये कार्य के लिए जमा (VII) निजी निकायों के लिए किये गये कार्य के लिये सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्राप्त शुल्कों की जमा (VIII) कम्पनी समापन लेखा (IX) शैक्षणिक संस्थाओं की जमा आदि के रूप में किया जाता है उक्त जमा का वर्णन नीचे किया गया हैं।

(i) राजस्व जमा:-

राजस्व जमा ऐसी जमा है जो राजस्व न्यायालयों में या राज्य सरकार के राजस्व प्रशासन के सम्बन्ध में जमा कराई जाती है। इनमें सीमा शुल्क नमक, अफीम, जमा, निविदाकर्ताओं द्वारा जमा धरोहर राशि सम्मिलित है। पुलिस विभाग द्वारा वसूल की गई प्रतिभूति जमा भी इसमें शामिल हैं। सरकारी कम्रचारियों एवं लोक निर्माण विभाग ठेकेदारों के अलावा ठेकेदारों द्वारा प्राप्त नकद प्रतिभूति जमा जिनमें ऐसी जमा भी शामिल है जो अन्ततः ब्याज वाली जमा मे परिवर्तित हो जाती है ऐसी जमा एवं मानिसक चिकित्सालय में मानसिक रोगियों से संबंधित राशि भी राजस्व जमाओं के उदाहरण है।

चुकौती:-

जमा की चुकेती को-ालय अधिकारियों द्वारा न्यायालय या उस प्राधिकारी का आदेश प्रस्तुत करने पर जिसने जमा स्वीकार करने का आदेश दिया है, किया जाता है जो कि प्राप्ति के रजिस्टर में प्रवि-िट के साथ आदेश का मिलान करने के बाद एवं लेखा में रखे गये शे-ा को सत्यापित करने के बाद किया जता है इसके बाद रजिस्टर में चुकौती की प्रवि-िट की जाती हैं।

(ii) निजी जमा:-

सम्बद्ध सम्पदाओं के सरकारी प्रबन्ध, न्यास एवं सम्पदा के अधीन वार्डस एवं अक्षय निधि के कारण प्राप्तियों एवं भुगतानों को को-ालय में निजी जमा के रूप में खातों में दर्ज किया जाता है इन मामलो में केवल बैंक खाता रखा जाता है (सिविल एवं अपराधिक न्यायालय जमा नहीं होने के कारण) इन खातों को केवल नियमों के अधीन ही 'निजी जमा ' के लिए ऐसे बैंक खाते खोलने के लिए सरकार द्वारा संस्वीकृति आदेश प्राप्त होने पर निर्दि-ट को-ालय या को-ालयों में खोला जा सकता हैं।

पुनः भुगतान

आहरण केवल इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत द्वारा हस्ताक्षरित चैकों द्वारा ही किया जा सकता है । को-ालय लेखाओं में भुगतान मूल भुगतान चैकों द्वारा समर्थत होने चाहिये । पास बुक प्रशासक द्वारा रखी जाती है ।

(iii) एवं (iv) सिविल एवं अपराध न्यायालय जमा

सिविल न्यायालयों जैसे उच्च न्यायालय, लघु मामले न्यायालय आदि में की गई जमाओं को सिविल न्यायालय जमा के रूप में जाना जाता है । इसी तरह दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन जिला दण्डनायक न्यायालयों में की गई जमा को दंण्ड न्यायालय जमा के रूप जाना जाता हैं । सिविल न्यायालय एवं दण्डनायक ऐसी जमा को निजी खाता लेखा में क्रेडिट के लिए प्रत्येक प्राप्ति का विवरण दिये बिना को-ालयों में जमा कराते हैं । इसका अदायगी को-ालय पर आहरित चैक द्वारा उसी निजी खाते में डेबिट के रूप में किया जाता हैं ।

को-गालय के साथ मिलान:-

को-गिधकारी न्यायालय को प्राप्त राशियों एवं भुगतान की गई राशियों की प्रतिदिन एक सूची भेजते हैं जो कि न्यायालयों एवं को-गिलय के आंकड़ों को मिलाने का आधार का कार्य करती हैं।

(v) निर्वाचन जमा:-

राज्य विधान मण्डल के लिए प्रत्याशी द्वारा की गई जमा को इस शीर्न के अधीन दर्ज किया जाता है अंतिम रूप से इस शीर्न की राशि का समाशोधन तो प्रत्याशी को पुनः वापसी पर किया जाता है या निर्वाचन जमा के जब्त हो जाने के कारण इस राशि को सरकार के राजस्व खाते में अंतरित कर दिया जाता है।

(vi) सार्वजनिक निकायों एवं निजी व्यक्तियों के लिए किये गये कार्यो के लिये जमा:-

नगरपालिकाओं एवं अन्य निकायों जो सरकार पर वित्तीय रूप से निर्भर नहीं है के लिये आवास भूमि के लिये क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए अग्रिम में प्राप्त राशियों को इस शी-र्न के अधीन लेखा बद्ध किया जाता हैं।

(vii) निजी निकायों के लिए सरकारी कम्रचारियों द्वारा किये गये कार्य के लिए प्राप्त शुल्कों की जमा:-

सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य के लिए निजी निकायों से प्राप्त राशि को इस शीर्न के अधीन लेखा बद्ध किया जाता हैं।

ऐसे मामलों में जिनमें निकायों से वसूलियों सरकार एवं सम्बद्ध सरकारी कर्मचारी के मध्य विभाज्य हो एवं जहां सरकारी कर्मचारी की हिस्सा राशि ज्ञात हो उनमें सरकारी कर्मचारी की हिस्सा राशि को शी-्री "सिविल जमा " के अधीन नियमित बिल पर सरकारी कर्मचारी को संवितरण के लिए जमा कराई जायेगी।

यदि हिस्सा राशि केवल अनुमानित ज्ञात हो तो वसूलियों को उक्त वर्णित जमा शी-र्गो के अधीन अंतिम निपटारा होने तक क्रेडिट कर दिया जायेगा।

अदायगी

भुगतान करने से पूर्व को-11धिकारी को महालेखाकार द्वारा क्रेडिट सत्यापित कराना आवश्यक होता हैं ।

(VIII) कम्पनी समापन लेखा

इस शीर्न का अभिप्राय अदावाकृत लाभाशों एवं अधिकारिक स्वैच्छिक समापन में कम्पनियों की अवितरित परिसम्मपतियों को अभिलेखित करना हैं।

(IX) शैक्षणिक संस्थाओं की जमा:-

शैक्षणिक संस्थाओं में विद्यार्थियों द्वारा जमा कराई गई कॉशन मनी

को उस संस्था के निजी जमा खातें में रखा जाता हैं। ऐसी कॉशन मनी का अदायगी अन्य निजी जमा खातों की तरह किया जाता हैं।

(ख) 84448- स्थानीय निधियों की जमा:-

निर्धारित कर दी है जिसे उन्हें निजी जमा खाता ब्याज सहित एवं या निजी जमा खाता ब्याज रहित में " जमा कराना हैं । स्थानीय निधियों के लेन-देनों को सामान्यतया सरकारी खातों में सिम्मिलित नहीं किया जाता है केवल उनके नकद शे-। को जमा शी-ी- " स्थानीय निधियों की जमा ब्याज रहित " के अधीन को-।।लय नियमावली के अधीन सरकार में जमा कराया जा सकता हैं । ऐसी जमा के सम्बन्ध में को-।।लय का कर्तव्य एक बैंक के रूप में होता हैं। ऐसी स्थानीय निधियों की मुख्य श्रेणियां निम्न है:-

राज्य सरकार ने अब स्थानीय निकायों की शे-ा निधियों की मात्रा

- (i) जिला निधियां
- (ii) नगरपालिका निधियां
- (iii) पंचायत निधियां
- (iv) अन्य विविध निधियां

स्थानीय निधियों के खातें को-गालयों में पूर्णतया बैक खातों के रूप में रखे जाते हैं आहरण केवल सम्बद्ध स्थानीय प्राधिकरण के प्रशासक या अन्य किसी उत्तरदायी अधिकारी के द्वारा हस्ताक्षरित चैक के द्वारा ही किया जा सकता हैं।

(ग) 8449- अन्य जमा

कुछ जमा जो कि शी-ं "अन्य जमा" के अधीन आती है वे है बाजार ऋण की जमा एवं विवध जमा । राज्य सरकार द्वारा लिये गये विभिन्न बाजार ऋणों के अभिदानों को भी प्रारम्भिक रूप से इस लघु शी-ं के अधीन दर्ज किया जाता है तथा भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई (अब मुंबई) से विवरणों की प्राप्ति पर मुख्य शी-ं " राज्य सरकार के आंतिरिक कर्जे " को वास्तविक अंतरण होने तक इसे इसी शीर्श में बकाया रखा जाता हैं।

उप शीर्-1" विविध जमा अविश-ट शीर्-1 है जिसका अभिप्राय उन जमा के कारण लेन-देनों को अभिलेखित करना है जिन्हें किसी भी अन्य लघु शीर्-1 के अधीन दर्ज नहीं किया जा सकता । इसमें "न्यास एवं अन्य विविध निधियां एवं " अन्य जमा निधियाँ " सिम्मिलित हैं । सरकार न्यास निधि का एक भाग अपने पास रखती हे बहुत सी विविध निधियों का सृजन राजस्थान के पूर्व राज्यों द्वारा विशेन उद्देश्यों के लिए किया गया था। उक्त वर्णित जमा में से वापिसयां राजस्थान सरकार के आदेश के अधीन प्राधिकृत की जाती हैं।

5.3 जमा को जोड़ने और घटाने के ज्ञापन:-

5.3.1 सामानय:- ये केन्द्रीय को-ाालय अनुभाग के माध्यम से मासिक लेखाओं के साथ को-ाालयों से ऋण एवं जमा अनुभाग में प्राप्त होते हैं। 5.2.2 जमा की गई प्रत्येक श्रेणी के लिए लेन-देनों के लिए प्रपत्र टी.वाई-52 में जोड़ने और घटाने का ज्ञापन बनाया जाना चाहिये । जमा के प्रत्येक शीर्- एवं प्रत्येक स्थानीय निधि जमा को उचित ज्ञापन में पृथक से वर्णित किया जाना चाहिये । किसी माह के अंतिम शे-। एवं अगले माह के प्रारंभिक शे-। के मध्य कभी कोई अंतर नहीं रहना चाहिये । शे-। में कोई बढ़ोतरी या उसमें से किस कमी को विशे-। प्रवि-टि द्वारा किया जाये एवं पाद टिप्पणी द्वारा इसे स्प-ट किया जाये । अप्रैल माह के लिये जमा के जोड़नें और घटाने के ज्ञापन में से सरकारी खातें में सूचित व्ययगत राशि को कम कर देना चाहिये तािक यह जमा रिजस्टर में चुकौती योग्य जमा शे-ों के योग से मेल खा सकें । ज्ञापन में समायोजन महालेखाकार द्वारा मार्च (अंतिम) लेखे बंद करने के बाद अप्रेल माह के प्रारम्भिक शे-। में कमी करके किया जाना चाहिये । उस समय तक प्रारम्भिक शे-। को अस्थायी माना जाना चाहिये ।

5.3.3 जोड़ने और घटाने के ज्ञापन की जांच:-

जोडने और घटाने के ज्ञापन की जांच जमा अनुभाग में निम्न बिन्दुओं के संदर्भ में की जानी चाहियें।

- (क) कि प्राप्तियों एवं शे-ा को सही रूप से प्रवि-टि किया गया है।
- (ख) कि सिविल एवं अपराधिक (फौजदारी) न्यायालयों के लिए को-ालय लेखा के साथ मेल खाने के लिये प्रमाणित किया गया है।
- (ग) कि राजस्थान वि. एव लं.नि. के नियम 328 के अधीन सरकारी खाते में सूचित व्यपगत राशि को मार्च विवरणी में से कम कर दिया गया हैं।

(घ) कि मार्च के लिए अंतिम शे-ा प्रूफ शीट के साथ मेल खाते हैं।

जाँच के बाद इन पर " जाँच की गई एवं मेल खाते है " लिख देना चाहिये एवं लेखाकार को आद्यक्षर करने चाहिये ।

5.3.4 जमा की ब्राडशीटों का रख रखाव:-

सम्बद्ध सी.टी.एस. अनुभाग के माध्यम से को-गिधकारी से सभी समर्थत वाउचरों के साथ जोड़ने और घटाने के प्राप्त होने पर इन्हें पिछेले पैराग्राफ में बताई गई जॉच करने के बाद प्रविन्टि किया जाना चाहिये । प्रत्येक माह के लेखाओं को बन्द करने के पश्चात प्रत्येक ब्राडशीट का योग लगाया जाना चाहिये एवं खाता आंकड़ों के साथ इन्हें मिलाया जाना चाहिये । इसके बताये गये तरीके के अनुसार बन्द किया जाना चाहिये ।

5.3.5 भवि-य निधि, निगम, नगरपालिकाओं, पंचायत न.सु.न्या./ विकास प्राधिकरण विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों की जमा एवं अन्य स्थानीय निधि के सम्बन्ध में स्थानीय निधिवार/ संस्थावार ब्राडशीटों जिनका लेंखाकन मुख्य शीर्श 8338- ब्याज वाली स्थानीय निधियों की जमा के अधीन किया जाता है का रख रखाव / शैक्षणिक संस्थाओं की भी जमा जिन्हें 8443- सिविल जमा निजी जमा शैक्षणिक संस्था की जमा के अधीन लेखाबद्ध किया जाता है एवं जिन पर राज्य में एकल को-ालय के साथ कार्रवाई की जाती हैं।

इन मामलों में ब्राडशीटें स्थानीय निधिवार/ संस्थावार की बजाय प्रत्येक उपशीर्न के लिए को-ाालयवार रखी जानी चाहिये। (स्थानीय निधि की जमा (ब्याज रहित) जैसे राज्य में एक अधिक को-ाालय में बैक खाता न रखने वाली पंचायत समितियां से संबंधित स्थानीय निधिवार ब्राडशीटों का रख रखाव पहले से ही समाप्त किया जा चुका है एवं पंचायत समितियों के अपन निजी जमा खातों के सम्बन्ध में विस्तृत लेखे केवल को-ाालय द्वारा रखे जाते हैं एवं को-ाालयवार आंकड़ें केवल महालेखाकार कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।)

(प्राधिकारः- नि.म.ले.प. की दिनांक 2.11.79 का संख्या 664- ओ.एण्ड एम. 69-72 फाइल संख्या डी.डी. II/ सरलीकरण डी.डी./ ब्रा.शी.)। राज्य सरकार ने दिनांक 11.6.79 की संस्वीकृति संख्या एफ 8 (5) वि.वि./ 179 एवं समसंख्यक संख्या दिनांक 2.8.79 द्वारा नगरपालिकाओं, कृनि उपज मण्डियों को निजी जमा खाते खोलने की संस्वीकृति दे दी हैं। चूंकि इन निकायों की निधि से नई सरकारी निधियों/ स्थानीय निधियों का गठन होता है जिससे राज्य में एक से अधिक को-ालय में या बैंक खाता रखने के बारे में कार्रवाई होती है अतः महालेखाकार के कार्यालय में भी ब्राडशीटें प्रत्येक लघु शीर्न/ उपशीर्न के लिए को-ालयवार रखी जाती है। जो कि नियंत्रक महालेखापरीक्षक के आदेश दिनांक 2.11.79 जो कि प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए हैं, के अनुसार रखी जाती हैं। उपरोक्त सभी मामलों में उक्त प्रक्रिया अपनाये जाने की वजह से सा.वि.एवं ले. नि. के नयम 325 के प्रावधान/ शर्ते आवश्यक

परिवर्ततन के साथ लागू होंगे एवं प्रत्येक स्थानीय निधि के खातों में शेन का सत्यापन सम्बद्ध प्रशासक से परामर्श के बाद कोनाधिकारी द्वारा किया जायेगा क्योंकि कोनाधिकारी का यह दायित्व है कि वे यह देखे कि निजी जमा खातों में आहरण खाते में शेन से अधिक का नहीं होता हैं। कोनाधिकारी का यह दायित्व है कि वे प्रशासक से शेनों की स्वीकारोक्ति प्राप्त करें। इन लेन देनों के समर्थन में जोड़ने और घटाने का पन प्रत्येक मद / प्रत्येक उप शीर्न वार भेजना आवश्यक नहीं है किन्तु माह में सभी लेन देनों के लिये प्रत्येक लघुशीर्न या उपशीर्न के लिए भेजना आवश्यक हैं।

5.4 जमा की संवीक्षाः

- 5.4.1 सामान्य:- सरकार के पास जमा के रूप में रखी जाने वाली प्राप्त राशियों के मामले में सामन्यतः यह देखा जाना चाहिये कि:-
 - (क) इन राशियों को सांविधिक प्रावधान या सरकार के सामान्य या विशेन आदेशों के अधीन राज्य के लोक लेखा में उचित रूप से क्रेडिट किया जाता है । निजी जमा के बारे में संस्वीकृति के बिना कोई नया खाता नहीं खोजा जाये। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि लेखाओं केनाम जोड़ने और घटाने के ज्ञापन में सही रूप से दर्शाये गये है ।
 - (ख) किसी ऐसे मद को सरकार के खाते में जमा के रूप में क्रेडिट नहीं किया गया है जिसे राजस्व प्राप्ति या सरकार के व्यय में से घटाने के रूप में क्रेडिट नहीं किया जा सकें।

- (ग) चुकौती की गई राशि के समर्थन में उचित वाउचर है। कुल केंडिट के विरूद्ध चुकौती की जांच यह देखने के लिए की जाये कि चुकौती प्राप्ति से अधिक का नहीं हैं।
- (घ) जमा लेखाओं के शे-ों को प्रतिवर्न सही तरीके से अग्रनीत किया गया हैं । प्रत्येक लेखा मे वित्तीय वर्न समाप्ति पर शे-ा को व्यक्ति या सम्बद्ध निकाय द्वारा जहाँ आवश्यक एवं व्यावहारिक हो, सही माना गया है और स्वीकार किया है ।
- (इ) ऐसी जमा जिनका दावा उस अवधि तक नहीं किया गया है जो सरकार द्वारा उस मामले में नियत की जाये, तो इसे सरकार की राजस्व प्राप्तियों के रूप मे जमा कर दिया जायें।

5.4.2 चालू जमा की वापसियों के वाउचरों के मामले में यह देखा जाये:-

- (i) कि भुगतान आदेश पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है एवं अदाता का नाम शब्द को भुगतान के लिए पारित " के बाद लिखा गया है जैसा सा.वि.एवं ले.नि. के नियम 325 में अपेक्षित हैं।
- (ii) सिविल विभागों में जमा धरोहर राशि के मामले में यह देखा जाये कि इन्हें केवल उस विभागीय प्राधिकारी के प्राधिकार से वापिस किया जाता है जिसके पक्ष में राशि जमा कराई गई थी।
- (iii) कि चुकौती के लिए प्रत्येक वाउचर पर को-गिधकारी का भुगतान आदेश है जो कि पारित अधिकारी के अतिरिक्त है जो कि जमा के चुकौती प्राधिकृत करता हैं। यह उन मामलों पर लागू नहीं है जिनमें निजी खाता लेखा के विरुद्ध चैक

जारी किये जाते है एवं सम्पूर्ण लेन-देन उप को-ालय के माध्यम से होते है एवं निजी खाता लेखा उस को-ालय में रखा जाता हैं।

(iv) कि जमा की वापसी का आदेश देने वाला प्राधिकारी वहीं है जिन्होंने इसे स्वीकार करने का आदेश दिया था1 उदाहणार्थ:-न्यायाधीश द्वारा सिविल न्यायालय जमा के लिये राजस्व जमा की चुकौती का आदेश कलैक्टर द्वारा दिया जाता है आदि।

5.5 जमा लेन देनों में सामान्यतया पाई गई अनियमिततायें-

5.5.1 जमा एवं वाउचरों (व्ययगत एवं निजी जमा सिहत) से संबंधित लेन - देनों मे सामान्यतया ध्यान में आई अनियमितताओं की सूची परिश-ट VI में दी गई हैं।

5.6 वार्निक विवरणियों व्ययगत के शे-ा विवरण पत्र का सत्यापन:-

उत्पाद शुल्क विभाग की एक रूपये, तक की जमा 5 रूपये तक की अन्य जमा जिनका दावा पूरे एक लेखा वर्न में नहीं किया जाये, वर्न के दौरान कुछ भाग अदा की गइ 5 रूपये तक की जमाओं के शेन के मामले में एंव ऐसी सभी जमा या शेन जिनके लिये तीन पूरे लेखा वर्नों में दावा नहीं किया जाये उन्हें प्रतिवर्न मार्च की समाप्ति पर इन्हें महालेखाकार के कार्यालय में अंतरण प्रविन्टियों के माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व खातों में जमा कर देना चाहिये।

5.6.1 व्ययगत जमा के लिये की जाने वाली जाँचः

(सा.वि.एवं ले. नि. का नियम 328)

प्रत्येक वर्न प्रत्येक को-ाालय से व्ययगत जमा की प्रत्येक श्रेणी की एक सूची प्राप्त होती है । इन सूचियों की निम्नलिखित बिन्दुओं के संदर्भ में जांच की जानी चाहिये:

- (i) कि ये गणितीय दृ-िट से सही हैं।
- (ii) कि ये उचित क्रम में हैं।
- (iii) राजस्व एवं दंड न्यायालय जमा पर विभागीय अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है को-गिधकारी द्वारा नहीं
- (iv) कि योग मार्च के लिए जोड़ने और घटाने के ज्ञापन में को-गधिकारी द्वारा घटाई गई राशि से मेल खाता हैं।

5.7 व्ययगत जमा का समायोजन

5.7.1 वित्तीय वर्न की समाप्ति पर सरकारी खातों में व्ययगत राशियों के योग का समायोजन उस वर्न के लेखाओं अर्थात मार्च (अंतिम) के लिए लेखाओं में अंतरण प्रवि-िट द्वारा किया जाना चाहिये जिसमें इसे शीर्न "0075 विविध सामान्य सेवा- 101 दावा नहीं की गई जमा में क्रेडिट किया जाये।

5.8 शे-ाों का वार्निक सत्यापन:-

5.8.1 निजी जमा, लेखा आदि:- वर्न की समाप्ति पर ब्राडशीट शेनों को को-गिधकारी द्वारा सूचित शेनों के साथ मिलाना आवश्यक होता है।

ब्राडशीट शे-ों को प्रत्येक लेखा के प्रशासक के प्रमाणित वार्निक शे-ों के साथ भी मिलाना आवश्यक होता है।

5.8.2 स्थानीय निधियाँ-

इसी तरह प्रत्येक स्थानीय निधि (जिसमें एक से अधिक को-ालय में धन आहरण की अनुमित है एवं जिनके मामले में विभिन्न को-ालयों द्वारा पृथक शे-ा नहीं रखे जाते हैं) के खातें में शे-ों की व-ी की समाप्ति पर को-ाधिकारी द्वारा सूचित अति शे-ों के साथ एवं निधि को प्रकाशित करने वाले अधिकारी या समिति द्वारा सूचित शे-ों के साथ सत्यापन करना आवश्यक होता है महालेखाकार की पुस्तकों में शे-ा वह होता है जिसे सरकार द्वारा मान लिया गया है एवं को-ाधिकारी को इसे मानना होगा।

प्रत्येक स्थानीय निधि जिसके कि राज्य में एक से अधिक को-ालयों में बैंक खाते नहीं है, के खाते में शे-ा का वार्-िक सत्यापन सम्बद्ध को-ाधिकारी द्वारा निधि को प्रशासित करने वाले प्राधिकारी से परामर्श के बाद किया जायेगा।

अग्रिम

5.9 सिविल अग्रिम

5.9.1 सिविल अग्रिम ऐसे अग्रिम होत है जो कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमावली के प्रावधानों के अधीन सिविल विभागों को विभागीय प्रयोनार्थ स्वीकृत किये जाते है एवं इसमें राजस्व अग्रिम अन्य विभागीय अग्रिम एवं अन्य अग्रिम सिम्मिलित हैं।

5.9.2 राजस्व अग्रिम

राजस्व अग्रिमों में भूमि सुधार अधिनियमों के अधीन तकावी अग्रिम या अन्य अग्रिम जिनहें देने के लिये राजस्व अधिकारी राज्य सरकार के विशेन आदेश के अधीन या किसी कानून के प्रावधानों के अधीन प्राधिकृत है, विशेन प्रक्रिया सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमवाली के नियम 371 से 373 मे दी गई हैं।

5.9.3 अन्य विभागीय अग्रिमः

आपूर्ति अग्रिम

शीर्- " आपूर्ति अग्रिम " के सम्बन्ध में विस्तृत लेखे खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयपुर द्वारा रखे जाते है जो लेखों के रख रखाव एवं इस शीर्- के अधीन बकायाओं के समाशोधन के लिए उत्तरदायी है । तथापि डी.डी. अनुभाग उक्त अग्रिमों के लिये एक मुश्त ब्राडशीट रखते हैं।

इस अग्रिम के सम्बद्ध में आकड़ों का मिलान भी खाद्य आयुक्त राजस्थान, जयपुर के कार्यालय द्वारा किया जाता है एवं विसंगति होने के मामले में आवश्यक विवरण आवश्यक समायोजन करने के लिय सूचित करते हैं।

5.9.4 अन्य अग्रिम

इनामी बांड एवं रा-द्रीय योजना प्रमाण पत्रों के क्रय एवं विक्रय के लिए अग्रिम रा-ट्रीय योजना प्रमाण पत्रों के क्रय एवं अन्य अल्प बचत योजनाओं से सम्बन्धित भुगतानों एवं वसूलियों को इस लघु शीर्न के अधीन अभिलेखित किया जाता हैं।

इन अग्रिमों के दिनांक 16.12.54 की वि.वि. संख्या एफ 7 (3) - एफ-II/ 54 द्वारा जारी राज्य सरकार के आदेशों में वर्णित शर्तों के द्वारा शासित किया जाता था।

5.9.5 विभागीय हानियों के लिये अग्रिम

चोरी आदि के कारण हुई हानियों के लिये विभागों को स्वीकृत अग्रिमों को इस शी-र्न के अधीन अभिलेखित किया जाता हैं।

5.10 ब्राडशीटों का रख रखाव

5.10.1 केनद्रीय को-ालय अनुभाग के माध्यम से खजना अधिकारी से प्राप्त जोड़ने और घटाने के ज्ञापन के आधार पर इन अग्रिमों से संबंधित लेन-देनों को अभिलेखित करने के लिये डी.डी.शाख में प्रपत्र एम.एस.ओ. (टी.) 85 में ब्राडशीटें रखी जाती हे । ब्राडशीटों का योग मासिक रूप से लगाया जाता हैं । एवं इन्हें इस नियम पुस्तक के पैरा 2.2.3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार बंद किया जाता हैं ।

5.11 स्थायी अग्रिमः-

स्थायी रोकड पेशगी

5.11.1 स्थायी रोकड़ पेशगी ऐसे अधिकारियों को स्वीकृत की जाती है जिन्हें को-ालय से राशि आहरित करने से पूर्व भुगतान करना होता है । नीचे दिये गये मामले के अलावा पेशगी की राशि वित्त विभाग द्वारा प्रशासनिक विभाग से परामर्श के बाद निश्चित की जाती हैं।

विभागाध्यक्ष जब तक सरकार अन्यथा निर्देश नहीं दे उनके अधीनस्थ कार्यालयों के लिये स्थायी नकद पेशगी सम्बद्ध विभाग के लेखाधिकारी/ विर-ठ लेखाधिकारी/ मुख्य लेखाधिकारी एवं कलेक्टर के अधीनस्थ कार्यालयों के मामले में को-गाधिकारी द्वारा बताई गई राशि तक संस्वकृत कर सकते हैं। ऐसे विभागों मे जिनमें इनमें से कोई भी पद विद्यमान नहीं हो उनमें पेशगी मुख्य लेखाधिकारी राजस्थान द्वारा बताई गई राशि तक संस्वीकृत की जायेगी। तथापि विभागाध्यक्षों के कार्यालय के लिए स्थायी नकद पेशगी सरकार में सम्बद्ध प्रशासनिक विभाग द्वारा संस्वीकृत की जायेगी।

(सा.वि.एवं ले. नि. का नियम 244 (i) एवं (ii)

5.11.2 वाउचरों एवं प्राप्ति अनुसूचियों की जाँचः

सभी स्थायी नकद पेशगी वाउचरों को भुगतान अनुसूचियों एवं प्राप्ति अनुसूचियों के साथ योगों की जाँच एवं इन्हें सी.टी.एस. अनुभाग में को-ालय के नकद लेखाओं एवं भुगतानों की सूची के साथ मिलान करने के पश्चात डी.डी. अनुभाग को तीन दिवस के भीतर मासिक संकलन के बाद अग्रेनित किये जायेगे । वाउचरों/ अनुसूचियों की जाँच करते समय यह देखा जाये कि:-

- (i) वाउचर निर्धारित प्रपत्र अर्थात प्रपप् संख्या जी.ए. 121 में हैं।
- (ii) अग्रिम विभागीय अधिकारी द्वारा आहरित किया गया हैं।
- (iii) इसमें संस्वीकृत संख्या एंव तारीख का हवाला दिया गया हैं ।

- (iv) आहरित राशि संस्वीकृति के अनुसार हैं।
- (v) वाउचरों को उचित रूप से को-गधिकारी द्वारा वर्गीकृत एवं पारित किया गया हैं।
- (vi) इन पर भुगतान की मोहर लगा दी गई हैं ।
- (vii) इन पर संवितरण अधिकारी द्वारा धन की प्राप्ति की रसीद हैं। यदि उक्त सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में संतु-िट होती हो तब वाउचर संख्या एवं भुगतान की तिथि को "स्थायी पेशगी की संस्वीकृति" की फाईल में दर्ज किया जाये।

ऐसे सभी वाउचर जिनमें संस्वीकृत आदेश की संख्या एवं तिथि नहीं दी गई हो उन्हें आप्ति के अधीन उक्त सुधार किये जाने तक रखा जाये।

5.11.4 स्थायी नकद पेशगी का रजिस्टर

रजिस्टर एम.एस.ओ. (लेखा व हक.) खण्ड (I) के पैरा 6.23 व 6.24 के उपबन्धों के अनुसार रखा जाना चाहिये एवं इसमें प्रावधानों के अनुसार ही प्रविन्टि की जानी चाहिये । प्रत्येक जिले में कार्यालयों से संबंधित नकद पेशगी की प्रविन्टियों के लिए पृथक पृ-ठ आंवटित कर उसका एक सूची रजिस्टर के प्रथम पृ-ठ पर दिया जाना चाहिये। विद्यमान स्थायी नगद पेशगी में कमी या बढोतरी को रजिस्टर में कमी या बढोतरी को राजिस्टर में कमी या बढोतरी के कारण जो अग्रिम की राशि रहे उसे विद्यमान प्रविन्टि के नीचे लाल स्याही से लिखा जाना चाहिये एवं जिस वर्न में कमी या बढ़ोतरी हुई है उसके कॉलम में मूल प्रविन्टि को काट देना चाहिये । वर्न के दौरान संस्वीकृति एवं आहरित नये अग्रिम की प्रविन्टि केवल जिले की सूची के अंत मे उस क्रम से की जाये

जिसमे नकद पेशगी का आहरण किया गया है एवं इसे कभी भी प्रविन्टि के बीच में समाविन्ट नहीं किया जाये रिजस्टर में कई प्रविन्टियां एक साथ की जाये जो कि पिछले पैरा ग्राफ में बताई गई वाउचरों एवं प्राप्तियों की अनुसूचियों की जाँच के साथ की जाये। किसी भी कारण से इस कार्या को स्थिगत नहीं किया जाये। रिजस्टर में नये अग्रिम को आवंटित नये क्रमांक या सही किये गये मद को आवंटित पुराने क्रमांक जो कि विद्यमान स्थायी नकद पेशगी में बढोतरी या कमी के कारण हुआ है, को संबंधित वाउचर एवं प्राप्ति अनुसूचियों मे दर्ज किया जाये। प्रतयेक जिले मे रखी गइ सभी नकद पेशिगयों का चालू योग प्रत्येक वर्न की समाप्ति पर रिजस्टर में दिया जाना चाहिये।

5.11.5 सभी जिलों के लिएसकल योग की गणना ब्राडशीटों में की जाये । क्रेडिट एवं डेबिट के लिए ब्राडशटें क्रमशः प्रपत्र एम.एस. (टी.) 89 एंव 90 में रखी जायेगी । प्रपत्र 89 एवं 90 में क्रमशः मासिक क्रेडिटों एवं डेबिटों को ब्राडशीट के माध्यम से डिटेल बुक में क्रेडिटों एवं डेबिटों के साथ मिलाया जाये एवं ब्राडशीटों को पूर्ण करने के बाद प्रत्येक माह शाखाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा । वर्न की समाप्ति पर पिछले सही किये गये एवं नये अग्रिमों के लिए एक एकल योग लगाया जायेगा तथा सभी जिलों के योग जिसकी गणना रजिस्टर के अंत में की गई हो को ब्राडशीट के अंतिम अतिशेन के साथ मिलाया जायेगा ।

5.11.6 स्थाई पेशगी की वार्निक पावती:-

स्थाई पेशगी के धारक से वार्निक पावती पर सावधानी पूर्वक ध्यान रखना चाहिये एवं प्रति वर्न अप्रेल के अन्त तक पावली नहीं मिलने पर सभी मामलों में स्मरण पत्र जारी किये जाये । पावती राशि को स्थाई पेंशगी के रिजस्टर में उनकी सम्बद्ध प्रवि-िट के साथ मिलाया जाना चाहिये एवं यदि यह सही हो तो पावती पर तुरंत लाल स्याही से स्थाई पेशगी के रिजस्टर को तदनुरूपी क्रमांक देते हुए चिन्ह लगाया जाये एवं "स्थाय पेशगी की पावतियां "की पृथक फाईल में इन्हें क्रम संख्या के अनुसार रखा जाये। नई पावती के प्राप्त होने पर फाईल में पुरानी पावती को निकाल लेना चाहिये एवं इसके स्थान पर नई पावती को रखना चाहिये तथा इस पर स्थाई पेशगी के रिजस्टर में आवंटित संख्या अंकित करनी चाहियें।

अध्याय - VI

विविध

- 6.1 आपत्ति करने एवं उनके निस्तारण की प्रक्रिया
- 6.1.1 विभाग के पुनःगर्ठन के बाद यह निर्णय किया गया है कि लेखाओं से संबंधित सभी आपित्तयों पर कार्यवाही संबद्ध लेखा एवं हक विभाग द्वारा की जायेगी। अतः यह अपेक्षा की जाती है कि लेखा जाँचों के परिणाम शीघ्रातिशीघ्र संवितरण एवं नियंत्रण प्राधिकारियों को सूचित किया जाये।
- 6.1.2 वाउचरों/अनुसूचियों/प्लस एवं माइनस ज्ञापन आदि की संवीक्षा एवं लेखा जाँच के दौरान ध्यान में आई आपत्तियों को अभिलेखित करने के लिये अनुभाग को आपत्ति पुस्तक रखना आवश्यक है।

जहाँ तक संभव हो, आपित पुस्तक में आपित की प्रविन्टि पूर्णत स्प-ट होनी चाहिये तािक सामान्य तौर पर बार-बार संबिधत वाउचरों एवं लेखाओं को देखने की आवश्यकता नहीं पड़े।

आपत्ति पुस्तक के कॉलमों में आपत्तियों को दर्ज एवं अभिलेखित करने के लिए प्रक्रिया व्यय एस.ओ. (लेखा एवं हक.) खण्ड-। के पैरा 20.19 से 20.24 में दी गई है।

6.2 आपत्ति पुस्तक

- 6.2.1 (i) आपित पुस्तकें निर्धारित प्रपत्र में रखी जानी चाहिये एवं इन्हें नियत तिथि (जिस माह से लेखे संबंधित हो उससे आगामी माह की 29 तारीख) को प्रति माह बंद किया जाना चाहिये।
 - (ii) लेखाकार का यह सुनिश्चित करने का दायित्व है कि लेखा संबंधी सभी आपित्तयों को आपित्त पुस्तकों में पर्याप्त विवरणों के साथ प्रवि-टि किया जाता है एवं मदों के शीघ्र समाशोधन हेतु सम्बद्ध विभागों को प्रतिमाह स्मरण पत्र जारी किये जाते हैं। पुराने प्रकरणों में उचित स्तर से अर्द्धशासकीय पत्र नियंत्रण प्राधिकारियों या सरकार को आ.पु.मदों के शीघ्र समाशोधन हेतु जारी किये जाये।
 - (iii) अनुभागाधिकारी/शाखाधिकारी का यह भी कर्त्तव्य है कि वे आपित पुस्तकों के मासिक बंद की नमूना जाँच करें एवं इसे अनुमोदित करने से पूर्व यह सुनिश्चित करे कि आपित्तयों को उचित रूप से पूर्ण विवरणों के साथ प्रवि-ट किया गया है। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि जहाँ कहीं भी आवश्यक है उचित स्तर से पत्र जारी किये गये है।
 - (iv) समूह अधिकारी को छःमाही रिजस्टर प्रस्तुत करना बन्द कर दिया गया है। ग्रुप अधिकारी बकाया मदों की जानकारी रख सके एवं कार्य की विभिन्न मदों पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में वे निर्देश दे सकें इसके लिए बकाया मदों की एक टिप्पणी उन्हें प्रस्तुत की जाये जिसमें बकाया मदों की संख्या (श्रेणी वार) जिस अवधि से

वे संबंधित हैं एवं प्रतयेक श्रेणी के निपटान के संबंध में क्या कार्रवाई की जानी है और क्या कार्रवाई की गई एवं पिछले तीन माह के दौरान शोधित मदों की संख्या का उल्लेख किया जाये। जब कभी आवश्यक होगा छमाही रिजस्टर ग्रुप अधिकारी द्वारा मांगा जायेगा शाखाधिकारी को आ.पु. मदों की समीक्षा करनी चाहिये एवं उन पर प्रभावी कार्रवाई की व्यवस्था करनी चाहिये।

(का.आ. संख्या टी.एम./79-सी/19 दिनांक 17.4.1979 एवं का.आ.संख्या टी.एम./79-सी/76 दिनांक 6.12.79)

(v) जैसे ही विभाग का उत्तर प्राप्त हो इस पर लेखाकार द्वारा कार्रवाई की जाये एवं प्रत्येक मद को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से समायोजित किया जाये। प्रत्येक समायोजन की प्रविन्टि साथ-साथ समायोजन रिजस्टर में की जाये। आपित पुस्तकों में मूल प्रविन्टि के सामने भी प्रविन्टि की जाये। इसके बाद प्रत्येक मद से संबंधित दस्तावेज अनुभाग अधिकारी को प्रस्तुत किये जाये जो कि आपित पुस्तक एवं समायोजन रिजस्टर दोनों में प्रविन्टि पर आद्यक्षर करेंगे। ऐसे सभी मामलों में जिनमें आपित का बताने वाले आदेश का अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं किया गया हो उनमें आपित को दूर करने से पूर्व शाखाधिकारी के आदेश प्राप्त करने चाहिये।

(एम.एस.ओ. (लेखा एवं हक.) खण्ड - I के पैरा 20.25 से 20.26)

6.3 बकाया आपत्तियों का नई आपत्ति पुस्तक में अंतरण:-

6.3.1 जब मार्च अंतिम को बन्द किया जावे तब आपत्ति अधीन सभी मदों (चाहे राशियां धन कॉलम में प्रवि-ट हो या नहीं) को नये वर्न की आपत्ति पुस्तक के प्रथम कुछ पृ-ठों पर अंतरित करना चाहिये। पिछले व-र्नो की आपित्त पुस्तक में ऐसे असमाशोधित मदों के सामने यह प्रवि-टि करनी चाहिये - " नई पुस्तक में अंतरित " जिसे उचित सत्यापन के अधीन किया जाये इसके बाद पुस्तक को सुरक्षित रख लेना चाहिये। मार्च अंतिम लेखाओं के बन्द होने से पूर्व ऐसे किसी भी मद के निपटान को पुरानी आपित्त पुस्तक में अंकित करना चाहिये।

6.4 अंतरण प्रवि-टि संख्या पुस्तक:-

6.4.1 लेखाओं में सभी अंतरण प्रविन्टियों को समाविन्ट करने पर निगरानी रखने के लिये अनुभाग में प्रपत्र संख्या ए.ओ. 51 में एक अंतरण प्रविन्टि संख्या पुस्तक रखना आवश्यक है। पुस्तक शाखाधिकारी को प्रत्येक माह की 20 तारीख को प्रस्तुत की जाती है।

अंतरण प्रवि-टि संख्या पुस्तक में संक्षेप में किन्तु स्प-ट विवरण प्रवि-टि किये जाने चाहिये एवं प्रत्येक प्रस्तावित प्रवि-टि को क्रम संख्या अनुसार संख्या, माह के लिये, प्रभेदक अक्षर के साथ जिसमें अनुभाग विशे-ा का नाम हो, दी जानी चाहिये।

6.5 गलत वर्गीकरणों के बारे में रिपोर्ट:-

6.5.1 इस कर्यालय द्वारा की गई गलितयों को दूर करने के लिये अनुभागों द्वारा की गई सभी अंतरण प्रवि-टियों के विवरण टी.एम. अनुभाग को प्रत्येक माह की 25 तारीख को सूचित किये जाने चाहिये एवं ऐसी गलितयों की समेकित रिपोर्ट बनाने के लिये मार्च अंतिम लेखाओं में अंतरण प्रवि-टियों को समावि-ट करने के संबंध में 31 जुलाई (या इस प्रयोजन के लिए नियत अन्य तिथि) को सूचित किये जाने चाहिये।

6.6 सुधारों की सूचना:-

6.6.1 यदि किसी अंतरण प्रविन्टि से नगरपालिका निधि या ऐसी अन्य निधियों पर प्रभाव पड़ता है जिनके कि जोड़ने और घटाने के ज्ञापन इस कार्यालय को को-ाालयों

द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। उनके संबंध में एक सूचना इस प्रयोजनार्थ पत्र या मुद्रित प्रपत्र के द्वारा निधि के खाता को-ालय द्वारा रखी जानी, पास बुक में बढोतरी या कमी करने के लिये को-गिधकारी एवं निधि के प्रबंधकर्ता को भेजी जानी चाहिये।

6.7 लेखाओं का सुधार:-

6.7.1 जब कभी किसी त्रुटि के कारण ऐसी अंतरण प्रविन्टि की जाये जिससे जमा अनुभाग के लेखाओं पर प्रभाव पड़ताहो तब सुधार के माह में प्रूफ शीट/ब्राडशीट में प्राप्तियां भुगतान जैसा भी मामला हो, की ओर प्रविन्टि की राशि अंकित की जायेगी एवं प्रविन्टि के विवरण एक पाद टिप्पणी में दिये जायेंगे। इसके अतिरिक्त प्रभावी अनुसूचियों, रजिस्टरों या दस्तावेजों में भी सुधार किया जाये कि कोई भी प्रभावित दस्तावेज सुधार के बिना नहीं रह जाये एवं यदि अंतरण प्रविन्टि द्वारा किये गये सुधारों के कारण कोई अनुपूरक या संशोधित अनुसूचियां या दस्तावेज आवश्यक हो तो इन्हें तुरंत पत्र जारी करके मांगा जाना चाहिये।

टिप्पणी:- यदि किसी अंतरण प्रविन्टि जिसकी वजह से संशोधित या अनुपूरक अनुसूचियां आवश्यक हो, किसी अन्य अनुभाग द्वारा की जाती है तब अंतरण प्रविन्टि करने वाले अनुभाग को जमा अनुभाग को आवश्यक अनुसूचियां भेजनी चाहिये या सम्बद्ध प्राधिकारियों से इन्हें मांगे जाने के लिये पत्र जारी करना चाहिये।

6.8 ब्राडशीटों को बन्द करना, खोलना एवं इनका रख-रखाव:-

6.8.1 ब्राडशीटों के रख रखाव के सम्बद्ध में सामान्य अनुदेश

ब्राडशीटों के रख-रखाव के लिए निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखा जाना चाहिये:-

- (i) पिछली ब्राडशीटों से अग्रनीत बकाया शे-ों को अनुभाग अधिकारी द्वारा सत्यापित कराया जाना चाहिये।
- (ii) सामान्यतः कोई ऋण शे-ा नहीं होना चाहिये। ऋण शे-ा के ऐसे सभी मामलों की तुरंत जाँच की जाये एवं जहाँ कहीं आवश्यक हो, सन्दर्भ जारी किये जायें।
- (iii) खाते एवं ब्राडशीटों के मध्य अन्तरों का शोधन आवश्यक पुनःमिलान के बाद किया जाये।
- (iv) जहाँ शे-ों की पु-िट हो जाये उनमें व-र्ग निर्दि-ट किये जाये।
- (v) समीक्षा रिजस्टर के कुछ पृ-ठ ब्राडशीटों के साथ संलग्न किये जाये। अनुभागधिकारी/शाखाधिकारी अपनी समीक्षा अभ्युक्तियाँ इसमें लिखेंगें एवं सुनिश्चित करेंगे कि प्रमाण-पत्र नेमी तरीके से नहीं दिये गये है। इन अभ्युक्तियों की अनुपालना आगामी माह में ब्राडशीट प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक रूप से की जाये।
- (vi) ब्राडशीटों को मासिक रूप से बन्द करते समय लेखाकार निम्नलिखित प्रमाण-पत्र देगा:-

प्रमाणित किया जाता है कि -

- (क) खाते आंकड़ों को बुक अनुभाग द्वारा सत्यापित करा लिया गया है।
- (ख) पृ-ठवार योगों की जाँच कर ली गई है एवं ये सार में बताये गये कुल योग से मेल खाते हैं।
- (ग) अंतरों का विश्ले-ाण कर लिया गया है एवं इसके विवरण ब्राडशीटों एवं अन्तर रजिसटर में दे दिये है।
- (घ) अन्तरों की समीक्षा कर ली है एवं जहाँ तक सम्भव था इन्हें शोधित कर दिया गया है। अन्तरों के मामले में विस्तृत संदर्भ किये गये हैं एवं इस प्रकार किये गये संदर्भों को ब्राडशीट एवं अन्तर रजिस्टर में अंकित कर लिया गया है।

6.9.1 उक्त पैरों में दिये गये अनुदेशों के अलावा निम्नलिखित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखना चाहिये:-

- (i) नई ब्राडशीटों में प्रारम्भिक शे-ों का सत्यापन सावधानी पूर्वक पिछले वर्न की ब्राडशीट में यथा निकाले गये अंतिम शे-ा के साथ करना चाहिये। इससे गलत अंतिम शे-ों को अग्रनीत नहीं किया जा सके।
- (ii) जब कभी भी इस कार्यालय द्वारा समायोजन किये जायें तब इन्हें ब्राडेशीटों में पैंसिल से प्रवि-ट किये जाने एवं इन्हें को-गिधकारी/विभाग का सूचित किया जाने/ब्राडशीटों को बन्द करते समय लेखाकार को सावधानीपूर्वक यह जाँच करनी चाहिये कि इन समायोजनों के प्रभाव को को-गिलयों से प्राप्त जोड़ने और घटाने के ज्ञापनों में दे दिया गया है।

(iii) निजी जमा खातों के मामले में यह सुनिश्चित किया जाये कि आहरण नि.ज. खाते में शे-ा से अधिक नहीं है। यह जाँच अनुभाग अधिकारी द्वारा सावधानी पूर्वक ब्राडशीट की मासिक रूप से जाँच करते समय की जाये जैसा एम.एस.ओ. (लेखा व हक.) खण्ड-I के पैरा 7.9 में अपेक्षित हैं।

6.10.1 ब्राडशीट एवं खातों के मध्य अन्तरों का शोधन:-

सभी लेखा शी-ों के अधीन ब्राडशीट एवं खाते आंकड़ों के मध्य अन्तरों को दूर किया जाना चाहिये। सहायक लेखाधिकारी/अनुभाग अधिकारी एवं शाखाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी ब्राडशीट को तब तक बन्द नहीं किया गया है जबकि विसंगत मदों का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रपन्न में अंकित नहीं कर लिया गया हो या अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई नहीं कर ली गई हो।

टिप्पणी:- खाता एवं ब्राडशीट आंकड़ों के मध्य अन्तरों की एक रिपोर्ट चार माह में अर्थात 15 सितम्बर, जनवरी एवं मई में प्रतिवर्न डी.डी. अनुभाग द्वारा बुक-I अनुभाग को भी प्रस्तुत की जानी चाहिये।

- 6.10.2 निम्नलिखित वृहत पुस्तिकाएं बन्द होनी थी/शे-ों से निस्तारणोपरान्त बन्द होनी थी:-
 - (अ) 10/2003 तथा 10/2005 के पश्चात् बन्द की गई वृहत पुस्तिकाएं
 - (i) भुगतान एवं लेखा अधिकारी, पुर्नवास मंत्रालय, नई दिल्ली से आगत व्यवहार - 10/2003

- (ii) वेतन एवं लेखा अधिकारी, मुख्य लेखा अधिकारी, पुर्नवास विभाग (पेंशन) नई दिल्ली - आगत 10/2003
- (iii) 6003 ब्याज रहित ऋण 10/2005
- (ब) बकाया शे-ों के निस्तारणोपरान्त बन्द की जाने वाली वृहद पुस्तिकाएं

क्र.सं.	शी-र्1	विवरण	1.4.2003 को शे-1 रू.
1.	8342-103-003	राजस्थान एग्रो एण्डस्ट्रीज का जमा	10000000.00
2.	8342-103-008	राजस्थान राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी	200000.00
3.	8342-103-017	राजस्थान राज्य अ.जा.विकास निगम लि.	283133000.00
4.	8342-103-018	राजस्थान प्रदु-ाण नियंत्रण बोड	76477645.00
5.	8342-103-020	राजस्थान राज्य होटल निगम	5000.00
6.	8342-120-004	राजस्थान राज्य पैदावार बीमा को-ा	1335536.25
7.	8342-120-1016	राजस्थान फाउण्डेशन को-।	20000000.00
8.	8449-105-001	1986-87 के लिए निर्गमित ऋण	200000.00
9.	8229-103-002	फारमर्स रिफार्म फण्ड	72608.06
10.	8229-104-001	सघन उत्पादनार्थ विश्व खाद्य कार्यक्रम को-ा	99933.34
11.	8229-109-002	विक्रय के लिये ऋणों को प्राप्त चक्रण (रिवोलविंग)	1717131.00
12.	8229-200-001	मण्डी विकास	340367.63
13.	8229-200-003	आवासीय परिवर्तन के विकास के लिए विशे-ा शुल्क	33562625.70
14.	8443-11-003	राहत एवं पुर्नवास के लिए जमांए	4466871.54
15.	8443-121-002	चुनाव याचिकाओं के लिए जमाएं	4250.00
16.	8443-121-124	सा.भ.नि. की अचुकता जमा	2800806.79
17.	8448-101	जिला को-ा	280806.79
18.	8448-105-001	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के को-ा	2365512.48
19.	8448-109.001	ग्राम पंचायतां के को-ा	142337.77

क्र.सं.	शी-र्न	विवरण	1.4.2003 को शे-ा रू.
20.	8448-120-001	शहरी एवं बाजार को-ा	2890288.41
21.	8223-101-001-01	अकाल राहत को-ा	जमा
			13148480730.09
22.	8223-101-001-02	अकाल राहत को-ा	जमा 770560.43
23.	8223-101-001-03	अकाल राहत को-ा	जमा 82667.63
24.	8223-101-001-04	अकाल राहत को-ा	नामे 1170711149.79
25.	8223-101-001-05	अकाल राहत को-।	25582.70
26.	8223-101-001-06	अकाल राहत को-।	1564780.00
क्र.सं.	शी-र्1	विवरण	1.4.2003 को शे-ा रू.
27.	8658-उचन्त(सिविल)	खाद्यान्न	
28.	पुनर्वास मंत्रालय, न	ई दिल्ली की आर.आर.ऋणों की	दो वृहत पुस्तिकाएं

(टी.एम./वृहत पुस्तिकाएं/ओ.एण्ड एम./2003-04/सी/10 दिनांक 16.12.04 तथा टी.एम./वृहत पुस्तिका ओ.एण्ड एम./स्टडी/05-06/सी-9 दिनांक 8.12.05)

6.10.3 डी.डी. अनुभागा इस नियमावली के परिशि-ट-VII में यथावर्णित नये शी-र्गे की वृहत पुस्तिकाएं 2003-04 से संधारित करेगा।

(टी.एम.-III/सी/2004/10/एस.पी.एम.-III/150-555 दिनांक 9.9.2004)

6.11 शे-ों (जमा) की पावती:-

- 6.11.1 शे-ों की पावती के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन कड़ाई से किया जाय
 - (i) शे-ों को सम्बद्ध को-ालय अधिकारियों के माध्यम से प्रशासक/
 प्रचालक से मांगा जाना चाहिये। यदि शे-ा इस कार्यालय की पुस्तकों
 से मेल खाते हो तो इस तथ्य को ब्राडशीट में अंकित किया जाये
 एवं अन्तर के मामले में इस कार्यालय में पुनः मिलान केलिये
 प्रचालकों/प्रशासकों/को-ालय प्राधिकारियों आदि के मासिक लेन-देनों
 की एक सूची मांगी जाये। प्रचालकों/प्रशासकों/को-ालय अधिकारियों

आदि द्वारा सूचित लेन-देनों के पुनः मिलान ब्राडशीट में दर्ज लेन-देनों के साथ किया जाये तथा केवल लेन-देनों में अन्तरों को उन्हें सूचित किया जाये।

(ii) शे-ा का मिलान शीघ्रता से किया जाये। (समूह आदेश संख्या/(2)/489 दिनांक 2.3.65)

6.12 " सरकारी लेखा" में अपलेखन के लिए अनुदेश

- 6.2.1 ऋण शीर्-1 "8680 विविध सरकारी लेखा " से शे-ों को अपलेखित एवं जो लेखा शीर्-1 शे-ों को बन्द होता है, से अपलेखन के लिए नियंत्रक महालेखा परीक्षक की संस्वीकृति लेने के किसी प्रस्ताव को महालेखाकार को प्रस्तुत करने से पूर्व निम्नलिखित अनुदेशों को ध्यान में रखना चाहिये:-
 - (i) यह सुनिशित किया जाये कि सरकारी लेखा को अपलेखन के अलावा राशियों के शोधन के लिए पर्याप्त कार्रवाई कर ली गई है एवं इसके अलावा अब कोई उपाय नहीं है।
 - (ii) नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भेजे जाने वाले प्रस्तावों की जाँच आँतरिक/नमूना लेखा परीक्षा अनुभाग द्वारा कर ली गई है एवं इसकी सत्यापन रिपोर्ट मामले के साथ महालेखाकार के अवलोकनार्थ प्रस्तुत कर ली गई है।
 - टिप्पणी:- प्रस्ताव केवल महालेखाकार के हस्ताक्षर से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भेजे जायेंगे एवं संस्वीकृति के लिए भेजे जाने वाले पत्र में विशे-ा तौर ये यह इंगित किया जायेगा कि अपलेखन के लिए

प्रस्तावों की जाँच इस कार्यालय के आन्तरिक नमूना लेखा परीक्षा अनुभाग द्वारा कर ली गई है।

(नियंत्रक महालेखा परीक्षक का दिनांक 25.4.63 का पत्रासंक 501-ए.सी./93-63 एवं दिनांक 26.7.63 का 933-ए.सी./99-63 जैसा दिनांक 14.8.63 का का.आ.संख्या अ.एम.-I/13-सी/136 में उल्लेखित हैं- फाईल संख्या टी.एम.-I/(8)।

- (ii) उन शी-र्गे के अधीन जो कि शे-ा को बन्द होते हैं वही खाता गलितयों के कारण बकाया राशियों को सरकारी खाते में अपलेखित करने से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अधिकारों का प्रयोग महालेखाकार द्वारा ऐसे मामलों में कियाजा सकता है जिनमें अपलेखित की जाने वाली राशियाँ रू.1000/- से अधिक नहीं हो बशर्ते कि:-
- (क) अपलेखित राशियों की जाँच आँतरिक लेखा परीक्षा अनुभाग द्वारा कर ली गई हो,
- (ख) महालेखाकार निजी तौर पर संतु-ट है कि मद 5 वर्न से अधिक से बकाया है कि इस मामले में इसके अलावा अब कोई उपाय नहीं है एवं अपलेखन अपरिहार्य है। एवं
- (ग) महालेखाकार ने अपने को इस बात से भी संतु-ट कर लिया है कि बकाया केवल वही खाता त्रुटि के कारण ही है।
- (iv) महालेखाकार द्वारा अपलिखित राशियां वार्निक रूप से नियंत्रक महालेखा परीक्षक को 10 नवम्बर को उक्त शर्त (क) से (ग) के पूर्ण होने से संबंधित प्रमाण पत्र के साथ सूचित की जानी चाहिये।

- (v) जब यह पता लगाना सम्भव नहीं हो कि उन शी-र्गे के अधीन जो शे-ा को बंद होते है बिना मिलान किये शे-ा/अन्तर की खाता त्रुटि के कारण है या इनमें हानि/प्राप्ति शामिल है तब सरकारी खाते में शे-गों/अंतरों को सम्बद्ध सरकार की सहमति के बाद नियंत्रक महालेखा परीक्षक के अनुमोदन से अपलेखित किया जाये।
- (vi) सामान्यतया ऐसी सभी राशियों को कि सरकार को देय है एवं जो वसूली योग्य नहीं है उन्हें सम्बद्ध ऋण के लेखा शीर्न से व्यय शीर्न को सरकार को हानि के रूप में अपलेखित किया जायेगा। इसी तरह सरकार द्वारा देय कोई राशि जिसका दावा उस अवधि तक नहीं किया जाये जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाये, को सम्बद्ध सरकार के राजस्व में सम्बद्ध ऋण या जमा शीर्न को डेबिट द्वारा क्रेडिट कर दिया जायेगा।

6.13 अंतरण प्रवि-टियां बनाना

6.13.1 अंतरण प्रवि-टि प्रस्तावित करने के सिद्धान्त:-

डी.डी. अनुभागों को अंतरण प्रवि-िटयों द्वारा विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा पुनःमिलान के दौरान लेखाओं में पाई गई त्रुटियों को दूर कराना होता है। अंतरण प्रवि-िटयां वार्निक समायोजन पुस्तक अंतरण आदि के लिये भी प्रस्तावित की जाती है। अंतरण प्रवि-िटयां प्रस्तावित करने के लिये मार्गनिर्देश सिद्धान्त निम्न है:-

ऐसी त्रुटि जिससे कर्जे जमा या प्रे-ाण शीर्- प्रभावित होत है उन्हें अंतरण द्वारा सही किया जाये चाहे यह त्रुटि छोटी ही हो। यदि किसी वर्- के लेखे जिनमें यह त्रुटि हुई हैं बन्द नहीं हुये हो तो सुधार उस मद को उस शीर्- जिसके अन्तर्गत इसे गलती से ले लिया गया था, से हटाकर उस शीर्- में ले जाया जाता है जिसमें यह संबंधित हो यदि उस वर्- के लेखा जिनमें त्रुटि हुई है, बन्द हो गये हो तो निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाये:-

- कर्ज, जमा या प्रे-ाण शी-र्न की मद एक के बजाय दूसरे शी-र्न में, तब सुधार एक से दूसरे को अंतरण द्वारा किया जाये।
- यदि किसी मद को राजस्व शीर्न को क्रेडिट कर लिया गया हो या कर्जे, जमा या प्रेनण शीर्न की बजाय व्यय शीर्न की जगह डी.डी.आर. शीर्न को डेबिट कर दिया गया हो तो सुधार उन शीर्न जिसके अधीन यह मूल रूप से जाना चाहिये था, में अंतरण द्वारा किया जाये।
- 3. संबंधित डी.डी.आर. शीर्न की जगह किसी राजस्व शीर्न में क्रेडिट किसी मद का सुधार वापिसयों को डेबिट एवं उचित शीर्न को क्रेडिट करते हुये किया जाये।
- 4. यदि किसी मद को कर्ज, जमा, उचन्त या प्रे-ाण शीर्-ा की जगह व्यय शीर्-ा को डेबिट कर दिया गया हो तो सुधार उचित शीर्-ा को डेबिट करते हुये एवं व्यय शीर्-ा जिसको इसे गलत डेबिट कर दिया गया था, को ऋण डेबिट देते हुए किया जाये।

6.14 फाईलों का उचित रख-रखाव:-

- 6.14.1 डी.डी. अनुभाग को सामान्य प्रक्रिया की नियम पुस्तक के पैरा 3.03 से 3.06 के उपबंधों के अनुसार पत्राचार फाईल उचित रूप से रखनी होती है। अनुभागों को ध्यान में रखने के लिये इन बिन्दुओं को नीचे दिया गया है। इन बिन्दुओं को उच्च प्राधिकारियों का फाईल प्रस्तुत करते समय ध्यान में रखना चाहिये।
 - (i) सभी फाईलें, कुंजी रिजस्टर में प्रवि-ट होनी चाहिये एवं इन पर क्रम संख्या दी हुई होनी चाहिये।
 - (ii) अनुभाग का नाम एवं इसे खोलने का वर्न इसके लिये दिये गये स्थान में लिखे जाने चाहिये। पिछली फाईलों का संदर्भ भी फाईल में दिया जाना चाहिये।
 - (iii) फाईल के अनुक्रमणिका में निम्न दिया जायेः (क) अनुभाग का नाम (ख) लघु शब्द जिससे विनय का पता चल सके या पृथक पहचान जिससे इसके रखने के स्थान का पता चल सके। (ग) खोलने का वर्न (घ) कुंजी रजिस्टर की क्रम संख्या।
 - (iv) वि-ाय देने के लिए अनुक्रमणिका में अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाय।
 - (v) फाईल के टिप्पणी भाग में पृ-ठ संख्या दी जाये एवं पैराग्राफ पर भी क्रमांक अंकित किया जाये।
 - (vi) पिछले सभी संदर्भो पर प्रे-ाण क्रमांक एवं तारीख होनी चाहिये ऐसे मामलों में जिनमें कोई पूर्व प्रस्तावित मसौदा अनुमोदित जारी नहीं किया गया हो उनमें इस आश्य की सूचना अंकित की जाये। प्रस्तुत किये गये मसौदा में फाईल आदि दी जाये।

(प्राधिकारः दिनांक ३०.१.१९८१ का टी.एम./८९-सी/१)

6.15 बकाया नमूना लेखा परीक्षा रिपोर्टी के संबंध में बकायो की गणना:-

6.15.1 यह निर्णय किया गया है कि बकाया नमूना लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं निदेशक, निरीक्षण की निरीक्षण रिपोर्ट के संसबंध में बकाया की स्थिति अनुभाग की मासिक एवं तिमाही बकाया रिपोर्टी में 12 मिनट अर्थात 0.03 श्रम दिवस प्रति पैराग्राफ/रिपोर्ट की दर से दिखाई जाये।

(प्राधिकार: दिनांक 18.8.87 का टी.एम./87-सी/10)

6.16 वित्त लेखे (राज्य) एवं विनियोग लेखों को तैयार करने के लिए सामग्री प्रस्तुत करना:-

6.16.1 एम.एस.ओ. (ए.एण्ड ई.) खण्ड II के उपबंधों के अनुसार राज्य के वित्त लेखा एवं विनियोग लेखा में समावि-ट करने के लिए कुछ सामग्री का संकलन किया जाना एवं उसे बुक/ए.ए.डी./टी.एम. अनुभागों को भेजा जाना आवश्यक है। उक्त अनुभागों को भेजी जाने वाली विभिन्न सूचनाओं के बारे में ए.ए.डी. अनुभाग द्वारा प्रतिवर्न एक कार्यालय आदेश निकाला जाता है जिसमें इनके लिये तिथियां निर्धारित की जाती है। अनुभाग को यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अपेक्षित सूचनाओं का संकलन किया जाकर इन्हें सम्बद्ध अनुभाग को निर्धारित प्रपत्र में नियत तिथियों को भेजा जाता है।

6.16.2 डी.डी.अनुभाग द्वारा संकलित की जाने वाली सूचनाओं में कुछ निम्नलिखित है:-

मद का नाम

 लिये गये आंतिरक कर्जे का विवरण पत्र एंव इसके बट्टे की दर (सी.एफ. विवरण पत्र संख्या 4 की व्याख्यात्मक टिप्पणी)

- 2. राज्य सरकार द्वारा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियों का विवरण पत्र जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों/लेखाधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं। (बकायों का वर्नवार विभाजन दिया जाये) वित्त लेखा का सी.एफ. विवरण पत्र संख्या 5(ii)
- 3. विभिन्न कर्ज जमा आदि शी-र्ग जिनके संबंध में के अन्त तक शे-गें की स्वीकारोक्ति बड़ी राशियों के संबंध में बकाया है, को प्रदर्शित करने वाले ब्यौरों का विवरण पत्र (व-र्वार विभाजन दिया जाये) (सी.एफ.वित्त लेखा के विवरण पत्र संख्या 8 के नीचे)
- 4. (क) सरकार के कर्जे एवं अन्य ब्याज देयाताओं का विस्तृत विवरण पत्र (सी.एफ.वित्त लेखा का विवरण पत्र संख्या 17) का ऋण आंकडें जहां कहीं भी ये आये. उनके कारण अवश्य दें।
 - (ख) विवरण संख्या 17 का अनुबंध (सी.एफ.वित्त लेखा के विवरण पत्र संख्या 17 का अनुबंध) प्रमाण-पत्र देने के लिये मद संख्या 17 के नीचे टिप्पणी एक का अवलोकन करें।
- (5) शे-ों के पुनःमिलान के संबंध में वन विभाग/को-ालय अधिकारियों से वांछित ब्यौरों/सूचना के विवरणों का विवरण पत्र (सी.एफ. वित्त लेखा का परिशि-ट-II)
- (6) आरक्षित निधि जमा लेखा आदि से किये गये व्यय पर पैरा (1) अकाल राहत निधि।

6.16.3 विस्तृत अनुदेश प्रतिवर्न ए.ए.डी. अनुभगा द्वारा जारी किये जाते हैं अतः ए.ए.डी. अनभाग द्वारा जारी परिपत्रों का जब कभी उक्त सूचनायें भेजने की आवश्यकता हों, अवलोकन करना चाहिए।

6.17 हानियों, दुर्विनियोजन एवं गबन आदि से संबंधित प्रक्रिया:-

- 6.17.1 मुख्यालय कार्यालय द्वारा यह निर्णय कियागया है कि हानियों, दुर्विनियोजन एवं गबन आदि से संबंधित मामलों पर कार्रवाई प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) द्वारा की जायेगी।
- 6.17.2 इन मामलों से संबंधित कोई अभिलेख, वाउचर जो कि डी.डी. अनुभाग से संबंधित ह, के लिये महालेखाकार (लेखा परीक्षा) से मांग पत्र प्रारम्भिक तौर से डी.डी. अनुभाग से प्राप्त किये जायेंगे। जैसे ही मांग पत्र प्राप्त हो अनुभाग को तुरंत अभिलेखों को खोजना चाहिए एवं इन्हें शाखाधिकारी की अभिरक्षा में रखना चाहिये। इसके बारे में एक सूचना टी.एम. अनुभाग को भेजी जायेगी तािक टी.एम. अनुभाग महालेखाकार (लेखा एवं हक.) को आवश्यक अनुमित इन वाउचरों/दस्तावेजों का प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) को भेजने/अंतरण करने के लिये प्राप्त कर सके, इसके बाद मूल वाउचरों/दस्तावेजों की अभिरक्षा के लिये प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) उत्तरदायी होंगे।
- 6.17.3 शाखाधिकारी निर्धारित प्रपत्र में मूल दस्तावेजों का अभिलेख रखेगें एवं वाउचरों/ दस्तावेजों आदि को सौंपने एवं वापिस प्राप्त करने के लिए टी.एम. अनुभाग को सूचना भेजेंगे। रिजस्टरों के उचित रख-रखाव के लिये टी.एम. अनुभाग द्वारा व-्र में एक बार इनकी जाँच की जायेगी।

6.18. मासिक बकाया कार्य रिपोर्ट

- 6.18.1 कार्य के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित प्रपन्न में प्रत्येक माह की पाँच तारीख को शाखाधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिये। रिपोर्ट ध्यान से बनाया जाये एवं इससे अनुभाग के कार्य का सही पता लगाना चाहिये एवं इसमें रिपोर्ट के अधीन माह की अंतिम तारीख तक का कार्य होना चाहिये। बकायाओं की गणना निर्धारित सूत्र अनुसार श्रम दिवसों के रूप में की जानी चाहिये।
- 6.18.2 बकाया रिपोर्ट अनुमादित करते समय शाखा अधिकारी को अनुभगा में बकायाओं की वास्तविक स्थिति का सत्यापन करना चाहिये एवं रिपोर्ट में दिये गये बकायाओं की सत्यता के बारे में उचित जाँच करनी चाहिये।
- 6.19 प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) को केन्द्रीय लेखा परीक्षा दलों द्वारा केन्द्रीय लेखा परीक्षा हेतु वाउचर प्रस्तुत करना:-
- 6.19.1 (i) यह निर्णय किया गया है कि प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) के केन्द्रीय लेखा परीक्षा दलों को लेखा परीक्षा कार्य के लिए वाउचर इस कार्यालय के लेखा अनुभागों द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगे। अतः यह निर्णय किया गया है कि प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) केन्द्रीय लेखा परीक्षा बलों द्वारा मांगे गये वाउचरों को प्रस्तुत नहीं करने एवं आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण यदि कोई बकाया हो तो उनका निर्धारण श्रम दिवसों के रूप में किया जाये एवं इन्हें केन्द्रीय कार्यालय द्वारा निर्धारित किये गये निम्न प्रपत्र में दर्शाये जाने/वाउचरों को प्रस्तुत नहीं किये जाने/आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण संक्षेप में प्रत्येक तिमाही के लिए

तिमाही बकाया रिपोर्ट में बताये जाये। यह रिपोर्ट डी.डी. अनुभाग द्वारा तिमाही बकाया रिपोर्ट के साथ टी.एम. अनुभाग को भेजना आवश्यक है।

- (ii) वि-ायः- प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) को वाउचर प्रस्तुत करने/नहीं भेजने के लिये प्रपत्र।
 - (1) माह जिसके लिये प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) द्वारा वाउचर मांगे गये है (मुख्य शीर्न वार या विभागवार परन्तु प्रस्तुत नहीं किये गये हैं)।
 - (2) प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) द्वारा मांगे जाने की तिथि
 - (3) प्रस्तुत नहीं करने के कारण
 - (क) कोनालय, पी.डब्ल्यू. एवं वन खण्ड़ों से प्रारम्भिक लेखे प्राप्त नहीं होने के कारण।
 - (ख) अन्य कारण जिनका उल्लेख किया जाये।
 - (4) श्रम दिवसों में बकाया
 - (5) बकायाओं को निपटाने के लिये की गई कार्रवाई
 - (6) अभ्युक्तियां (प्राधिकार दिनांक 22.12.89 का टी.एम./89-सी/14)

6.20 विवरण डायरी:-

- 6.20.1 अनुभाग में कार्य पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक अनुभाग में एक विवरणी डायरी रखी जाती है। विवरणी डायरी को नियत तिथियों को सम्बद्ध प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होता है। विवरणी डायरी के उचित रख-रखाव के लिए निम्न अनुदेश निर्धारित किये
 - गये है:-
 - (i) अनुभाग के अनुभाग अधिकारी व्यक्तिगत रूप से विवरण डायरी को रखने एवं उसमें प्रवि-टियां करने के लिये उत्तरदायी होंगे जैसा गोपनीय का आ.संख्या आइ.ए.एस./49 दिनांक 9 नवम्बर 1966 के पैरा 8 एवं का.आ. संख्या टी.एम./ 71-सी/107 दिनांक 7 अक्टूबर 1974 में निर्धारित है।

- (ii) शाखाधिकारी भी विवरणी डायरी के प्रस्तुत किये जाने के समय तारीखों की जाँच इस प्रकार से करने के लिये उत्तरदायी है कि विवरणी डायरी के प्रत्येक मद की वर्न में एक नमूना जाँच हो जाये। शाखाधिकारी को साप्ताहिक रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करते समय उनके द्वारा नमूना जाँच हो जाये। शाखाधिकारी को साप्ताहिक रिपोर्टी पर हस्ताक्षर करते समय उनके द्वारा नमूना जाँच की गई मदों को दर्शाना चाहिये।
- (iii) विवरणी डायरी माह के चौथे मंगलवार को समूह अधिकारी को भी प्रस्तुत की जाये। समूह अधिकारी/महालेखाकार को विवरणी डायरी प्रस्तुत करते समय शाखाधिकारी को इसकी समीक्षा करनी चाहिये एवं इसके समीक्षा परिणामों को विवरणी डायरी की साप्ताहिक रिपोर्टी पर लिखना चाहिये।
- (iv) निर्धारित प्रपत्र में विवरणी डायरी में क्रमवार अनुक्रमणिका आवश्यक रूप से दी जानी चाहिये।
- (v) ऐसे सभी आदेश जिनके द्वारा पुरानी विवरणियों को समाप्त कर दिया गया है या नई विवरणियाँ निर्धारित की गई है उन्हें शाखाधिकारी को उनके सत्यापन के लिए विवरणी डायरी के साथ प्रस्तुत करना चाहिये। पुरानी विवरणियों को समाप्त करने/नई विवरणियों को समावि-ट करने से संबंधित आदेशों को शाखाधिकारी के आदेशों से फाइल किया जाये।
- (vi) भारत/राज्य सरकार/भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक को दी गई विवरणियों पर उचित निगरानी रखने के लिये यह निर्णय किया गया है कि ऐसी विवरणियां जिनके आगामी माह में विलम्बित होने की सम्भावना है उन्हें ग्रुप अधिकारियों की मासिक समीक्षा के माध्यम से महालेखाकार के ध्यान

- में लाया जायें जिसमें विलम्ब के कारण एवं उन्हें शीघ्र प्रस्तुत करने के लिये की गई कार्रवाई के बारे में बकाया जाये।
- (vii) विवरणी डायरी को प्रस्तुत करते समय अनुभाग अधिकारी को विशेन रूप से यह देखना चाहिये कि संबंधित विवरणियों के सामने केवल सही तिथियां ही भरी गई हों जब कभी अपरिहार्य कारणों से विवरणी डायरी को देर से प्रस्तुत किया जाये तब ऐसे विलम्बों को भी साप्ताहिक प्रस्तुत रिपोर्ट में दर्शाया जाये।
- (viii) विवरणी डायरी पर पृ-ठ संख्या दी जावे। प्रस्तुतीकरण ज्ञापन पर भी पृ-ठ संख्या दी जाये।
- (ix) यह विशे-ा रूप से देखा जाये कि सभी संबंधित कॉलमों जैसे किस प्राधिकारी को देय है एवं कब देय है आदि को भी उचित रूप से एवं ध्यान से भरा गया है।
- (x) शाखाधिकारी/ग्रुप अधिकारी को विवरणी डायरी प्रस्तुत करते समय सम्बद्ध अधिकारी के आद्यक्षर तारीख सहित होने चाहिये।
- (xi) यह भी निर्णय किया गया है कि जिस तारीख को अनुभाग अधिकारी द्वारा विवरणी डायरी प्रस्तुत की गई है उसे शाखाधिकारी को विवरणी डायरी प्रस्तुत करने की तिथि माना जायेगा।
- इसी तरह ग्रुप अधिकारी को देय यदि कोई वविरणी प्रस्तुत की जानी है तो इसे प्रस्तुत किये जाने की तिथि वह मानी जायेगी जिसको

शाखाधिकारी ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं। ऐसे मामलों में जिनमें महालेखाकार को देय कोई विवरणी प्रस्तुत की जानी हो उनमें विवरणी डायरी को प्रस्तुत किये जाने की तारीख वह मानी जायेगी जिसको ग्रुप अधिकारी ने इस पर हस्ताक्षर किये हैं।

(टी.एम./80-सी/32 दिनांक 2 जून 1980)

(टी.एम./80-सी/32 दिनांक 5 जनवरी 1980)

(टी.एम./80-सी/32 दिनांक 28 फरवरी 1979)

परिशि-ट-I

(परिच्छेद 1.3.2 में संदर्भित)

विवरणी पंचांग

ऋण तथा जमा अनुभाग

क्र.सं. विवरणी का नाम		जिसे देय है	ने देय है जब देय है प्राधिकृ	
भाग- बाह	य प्राधिकारियों को प्रस्तुत की ज	ाने वाली विवरणियाँ		
वार्निक	-			
1.	अकाल राहत को-1 के प्रोफार्मा लेखे	भारत के नि.एव म.ले.प.	31.12.06	सी.ए.जी.1076 जन./85 दिनांक 29.9.70
2.	गत वर्न के दौरान प्राप्त समेकत ऋण	वित्त विभाग राजस्थान सरकार	1 मई	सेन्द्रल पी.60- 61/887 दिनांक 10.11.60
3.	केन्द्रीय ऋणों के मूलधन तथा ब्याज के भुगतान में चूक का प्रतिवेदन	ए.जी.जी.आर. नई दिल्ली	1 मई	ए.जी.सी.आर. एफ.ए.2510 दिनांक 11/64- 65/989 दिनांक 2.2.68
4.	राज्य सरकार को ऋण का विवरण पत्र	वित्त विभाग राजस्थान सरकार	30 सितम्बर	मद नं.4 of App.1.80 of D.D. Manual
5.	मार्च (पूरक) लेखों से केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार तथा अन्य पक्षकारों को दिये गये ऋणों से संबंधित	वित्त विभाग राजस्थान सरकार	30 अगस्त	पैरा नं.61of O/N टी.एम.65(i)2804 दिनांक 28.10.93
तिमाही				
1.	वित्त लेखों में दर्शाये गये ऋणात्मक का त्रैमासिक प्रतिवेदन	भारत के नि.एवं म.ले.प.	5 अप्रेल 5 जुलाई 5 अक्टूबर 5 जनवरी	टी0एम./ऋण/जमा/ प्रे-ाण/माइनस बैलेंस/2001-02 के-381 ओ/ओ सी-22 दिनांक 2.7.01
	इस कार्यालय के अन्य अनुभागों र	तथा अधिकारियों को प्र	स्तुत की जाने वाली वि	वेवरणिया
वार्-िक				
1.	मार्च अन्तिम लेखों में समामेलित स्था.प्रवि. का प्रतिवेदन	टी.एम.	14.6.06	टी.एम./63-सी दिनांक 11.11.62
2.	कार्यालय में किये गये कार्य की मात्रा के लिए विश्वसनीय स्थायी समंक विवरणी	टी.एम.	10 अगस्त	टी.एम./स्टेस्टिक्स/ 84 -85/176 दिनांक 13.12.84

3.	को-गालयी अनियमितता	टी.एम.	21 अप्रेल	ओ/ओ.नं.257III/
				5 दिनांक 28.8.65
4.	स्टाफ के लिए अगले वर्न का बजट प्रस्ताव	प्रशासन-।	5 सितम्बर	एफ-85/73-74/41 दिनांक 12.5.74
5.	राजस्थान में को-ाालयों की कार्यप्रणाली की वार्निक समीक्षा की तैयारी	टी.एम.	15 जून	टी.एम./72-सी/34 दिनांक 2.4.79
6.	अनुभाग द्वारा किये जाने वाले वार्निक समायोजनों की सूची	बुक-।	10 अप्रेल	टी.एम.74-सी/93 दिनांक 22.10.74
7.	अभिलेख कक्ष को भेजे गये अभिलेख से संबंधित प्रमाण पत्र	एम.ए.आर.	अप्रेल	टी.एम.73-सी/159 दिनांक 14.8.82
8.	भा.के.नि. एवं म.ले.प. के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु ऋण समापन के लघु मामलों का विवरण पत्र	प्रतिवेदन अनु.प्र.म.ले. (सिविल लेखा परीक्षा)राज.जयपुर	30 अगस्त	प्र.म.ले.(सिविल लेखा परीक्षा) टी.आर. नं0 44 दिनांक 31.5.
9.	राज्य के वित्त एवं विनियोजन लेखे	ए.ए.डी.	25 जून	क्र.टी.एम./85/ डी.सी. दिनांक 11.11.86
10.	पुस्तकों की पंजिका का सत्यापन	जी.डी./पुस्तक	15 जनवरी	टी.एम.29 दिनांक 14.8.84
11.	अनाधिकृत अनुपस्थित कर्मियों का प्रतिवेदन	प्रशाससन-।	30 जून	प्रशासन.II/3एफ/29 /वार्निक सत्यापन
12.	समझौता " अ " में यथा वर्णित सूचना	टी.आई.सैल	24 अप्रेल	व.उ.म.आदेश नं.29 दिनांक 26.6.01
13.	ऋण, जिनके विस्तृत लेखे इस कार्यालय में संघारित होने के, मूलधन तथा ब्याज की वसूली के बकाया का विवरण तथा लेखा	लेखा परीक्षा	31 मई	बुक- /के-3- 33/टी.एम.9.4.95 स्पे.टी.आर / दिनांक 4.4.96 रिपोर्ट ए./170 97 दिनांक 13.2.97
अर्द्धवा	र्नेक			
1.	उपलब्धि पंजिका	शाखाधिकारी	15 अप्रेल 15 अक्टूबर	टी.एम./65-सी दिनांक 19.12.65
2.	स्टाफ द्वारा किये गये अच्छे/बुरे कार्य की पंजिका	शाखाधिकारी	10 अप्रेल 10 अक्टूबर	एफ.66/100/78/3 08 दिनांक 23.1.79
3.	उचन्त तथा प्रे-ाण लेखों में बकाया अन्तरों का प्रतिवेदन	बुक-।	15 जून 15 नवम्बर	बुक- /67/80-81 दिनांक 16.4.81

_	T			
4.	कुंजी पंजिकाओं का सत्यापन	शाखाधिकारी	15 जुलाई 15 जनवरी	टी.एम./63- सी/246 दिनांक
5.	लक्ष्य प्रतिवेदन	टी.एम.	5 अप्रेल 5 अक्टूबर	23.12.63 टी.एम IX/टार्गेट/360 दिनांक 12.3.2000
त्रैमासि	<u>।</u> कि			
1.	सेवारत/सेवानिवृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा दायर सिविल मुकदमें/रिट/याचिका/ प्राथ्रनापत्र की स्थिति दर्शाने वाला तिमाही विवरण पत्र	टी.एम./सी.सी.	1 अप्रेल 1 जुलाई 1 अक्टूबर 1 जनवरी	टी.एम./86-सी/6 दिनांक 25.9.86
2.	त्रैमासिक बकाया प्रतिवेदन	टी.एम.	5 अप्रेल 5 जुलाई 5 अक्टूबर 5 जनवरी	247/टी.एम. दिनांक 18.9.76 एवं टी.एम./80 दिनांक 24.1.84
3.	हिन्दी का त्रैमासिक बकाया प्रतिवेदन	हिन्दी प्रको-ठ	5 अप्रेल 5 जुलाई 5 अक्टूबर 5 जनवरी	247/टी.एम. दिनांक 18.9.76 एवं टी.एम./80 दिनांक 24.1.84
4.	अभिलेखागार को भेजे गये अभिलेख का प्रतिवेदन	उप महालेखाकार	5 अप्रेल 5 जुलाई 5 अक्टूबर 5 जनवरी	372/पैरा 73 दिनांक 15.4.76 एवं 770 565 दिनांक 9.5.88
5.	कुंजी पंजिकाओं के संधारण का प्रतिवेदन	टी.एम.	5 अप्रेल 5 जुलाई 5 अक्टूबर 5 जनवरी	टी.एम./71 305 दिनांक 23.1.01
6.	लेखों में अनियमितता का प्रतिवेदन	को-ाा निरीक्षण प्रको-ठ	5 अप्रेल 5 जुलाई 5 अक्टूबर 5 जनवरी	का.आ.नं.2 दिनांक 31.9.2000
7.	प्रारंभिक लेखों की जाँच में पाई गई कमियाँ	टी.एम.	5 अप्रेल 5 जुलाई 5 अक्टूबर 5 जनवरी	टी.एम.86/सी/स्पे. टी.आरII/4 दिनांक 7.2.86
8.	दिलचस्प एवं महत्वपूर्ण मामलों की सार पंजिका	शाखाधिकारी	10 अप्रेल 10 जुलाई 10 अक्टूबर 10 जनवरी	टी.एम.65/- सी/137 दिनांक 6.9.65

9.	गार्ड फाईल	शाखाधिकारी	10 अप्रेल 10 जुलाई 10 अक्टूबर 10 जनवरी	टी.एम./73- सी/132 दिनांक 6.9.65
10.	परिपत्र पत्रावली की समीक्षा	शाखाधिकारी	10 अप्रेल 10 जुलाई 10 अक्टूबर 10 जनवरी	टी.एम./73- सी/132 दिनांक 6.9.65
11.	निदेशक निरीक्षण से विचार विमर्श के बिन्दु (शून्य प्रतिवेदन नहीं भेजा जावे)	आई.टी.ए.एस.	15 अप्रेल 15 जुलाई 15 अक्टूबर 15 जनवरी	247/टी.एम. दिनांक 18.9.75 एवं टी.एम./80 दिनांक 24.1.84
12.	कुंजी पंजिका समीक्षा	शाखाधिकारी	15 अप्रेल 15 जुलाई 15 अक्टूबर 15 जनवरी	टी.एम./65- सी/16 दिनांक 19.12.85
13.	प्र.म.ले. (सि.ले.प.) को/से वाउचर देने/वापिस लेने की पंजिका	उ.म.ले.	15 अप्रेल 15 जुलाई 15 अक्टूबर 15 जनवरी	टी.एम./86- सी/16 दिनांक 19.8.81
14.	पुलिस/सी.बी.आई. को मूल वाउचर/चैक इत्यादि देने की निगरानी पंजिका	महालेखाकार	20 अप्रेल 20 जुलाई 20 अक्टूबर 20 जनवरी	टी.एम./71- सी/69 दिनांक 5.6.71
15.	नियमावली की समीक्षा प्रतिवेदन	शाखाधिकारी	20 अप्रेल 20 जुलाई 20 अक्टूबर 20 जनवरी	टी.एम./मैनुएल/ अपडेशेन/2005- 06/टी.आर III/533 दिनांक 27.3.61
16.	लेखा कार्य के बकाया आदि के नि-पति संसूचक	टी.एम.	31 मई 31 अगस्त 30 नवम्बर 28 फरवरी	टी.एम./2004- 05/के-181/389 दिनांक 11.11.04
मासिक	5			
1.	अनुभाग में पदस्थापित कार्मिकों का विवरण पत्र	टी.एम.	प्रथम तारीख	टी.एम./60/82- 83/50 दिनांक 23.6.03
2.	अवकाश पर रहे कार्मिकों के ब्यौरें का विवरण पत्र	प्रशासन	प्रशासन	प्रशासन/स्टाफ पोजिशन/75-76 दिनांक 10.10.76

			प्रत्येक माह की 5	347/टी.एम.IX
3	मासिक बकाया प्रतिवेदन	टी.एम.	तारीख	एए/55-56/96
				दिनांक 24.10.78 347/टी.एम.IX
4	मासिक हिन्दी कार्य प्रतिवेदन	हिन्दी प्रको-ठ	प्रत्येक माह की 5	एए/55-56/96
			तारीख	दिनांक 24.10.78
	डी.डी.आर. शी-ों के अन्तर्गत		प्रत्येक माह की 5	टी.एम.105-75/
5.	वृहत पुस्तिका तथा खाताबही के अंकों में अंतर	एम.ए.आर.	तारीख	दिनांक 10.10.65
6.	आई.टी.ए.एस./डी.आई. के	आई.टी.ए.एस./	प्रत्येक माह की 5	अ.एम./63-सी/63
0.	आक्षेपों के निस्तारण की सूचना	टी.एम.	तारीख	दिनांक 20.1.63
7.	अच्छे तथा बुरे कार्यो की पंजिका	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 5 तारीख	
8.	अंक मिलान पंजिका	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 5	79-80 दिनांक
			तारीख	15.11.79
9.	दिलचस्प तथा महत्वपूर्ण मामलों	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 5	टी.एम./63- सी/134 दिनांक
9.	की पंजिका	राखावकारा	तारीख	9.6.66
				प्लस माइनस
10.	प्लस माइनस ज्ञापनों में कमियों की पंजिका	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 5 तारीख	मीमो 455-457
	पंग पाजपंग		UITIG	दिनांक 19.12.83
	अभिलेखागार को अभिलेख	शाखाधिकारी/	प्रत्येक माह की 5	जी.डी./174/132
11.	भेजने की पंजिका	उ.म.ले.	तारीख	दिनांक 10.5.78 748-79 के-174
				61-134 TMIV
12.	 हानियों/गबनों आदि की पंजिका	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 10	दिनांक 16/12
	,		तारीख	एव 28.6.83
	न्यायालयों द्वारा ऋणों के		प्रत्येक माह की 10	नं.62
13.	पुनर्भुगतान तथा अपलेखन की	शाखाधिकारी	तारीख	134/टी.एम.
	पंजिका			दिनांक 16.1.52
14.	शुद्धि पर्चियों की पंजिका	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 10 तारीख	509 दिनांक
			प्रत्येक माह की 10	12.2.51 599 दिनांक
15.	पुस्तकों की पंजिका	शाखाधिकारी	तारीख	12.7.56
15	सामयिक समायोजनों की	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 10	टी.एम./7-सी/68
अ	पंजिका	राखावकारा	तारीख	दिनांक 20.7.66
	प्र.म.ले. (सि.ले.प.) को वाउचर	6 6	प्रत्येक माह की 10	टी.एम./86-
16	देने लेने की निगरानी पंजिका	शाखाधिकारी	तारीख	सी/16 दिनांक
				19.8.86 टी.एम./2003-
17.	अनुभाग में प्राप्त स्वीकृतियों की	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 10	04/ ओ/ओ/नं.3
'''	पंजिका	W SUSTIN	तारीख	दिनांक 2.6.03
			1	. =

	को-गलयों की अनियमतिताओं		प्रत्येम माह की 10	टी.एम./63-सी/175
18	की पंजिका	शाखाधिकारी	तारीख	दिनांक 8.10.63
19	अपर्याप्त/अनियमित स्वीकृतियों	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 15	टी.एम./75-सी/
19	की पंजिका	राखावकारा	तारीख	दिनांक 6.3.63
	खोये हुए/अप्राप्त चैकां की		प्रत्येक माह की 15	टी.एम./63-
20.	पंजिका	शाखाधिकारी	तारीख	सी/43/91 दिनांक
	., , , ,			25.8.68
21.	वसुलियों की पंजिका	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 15	टी.एम./69-सी/40
	· ·		तारीख	दिनांक 21.2.82
22.	डी.आई. आक्षेपों की प्रगति की पंजिका	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 20	टी.एम./74-
	पाजका		तारीख	सी/दिनांक 5.7.64 टी.एम./राज्य/83-
23.	वर्न के दौरान किये गये कार्य	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 20	टा.एम./राज्य/83- 84/78 दिनांक
23.	की मात्रा के अन्तिम समंय	साखावपगरा	तारीख	15.12.84
	सी.बी.आई./पुलिस आदि को			
24.	मूल दस्तावेज/चैक आदि भेजने	उ.म.ले.	प्रत्येक माह की 20	टी.एम./86-सी/2
	की पंजिका		तारीख	दिनांक 31.1.86
0.5	A 4 +C	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 20	टी.एम./67-सी/8
25.	टी.ई. पंजिका	शाखाधिकारा	तारीख	दिनांक 18.1.67
	खाता बही एवं डिटेल बुक के आंकड़ो में अंतर की सूचना	म.ले.	प्रत्येक माह की 20	टी.एम./स्पे.टी.आर./
26.			तारीख	III/594 दिनांक
	जावरका न जारार वर्ग रहेव ॥			29/10
27	विवरणी कलेण्डर की समीक्षा	उ.म.ले.	प्रत्येक माह की 25	टी.एम./74-सी/97
			तारीख	दिनांक 11.11.74
	-0-2-0		प्रत्येक माह की 26	ਟੀ.एम./ਟੀ.ई./197/
28	टी.ई. की सूचना	टी.एम.	तारीख	84/222 दिनांक
				20.11.84 347/टी.एम.I/A/53-
29.	पत्र प्रे-ाण पंजिका	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 26	54 7/टा.एम.1/A/53- 54 46 94 दिनांक
29.	पत्र प्रनाण पाणपत	साखावपगरा	तारीख	24.10.53
	-		माह का अन्तिम	टी.एम./43 दिनांक
30.	अर्जित अवकाश पंजिका	शाखाधिकारी	कार्य दिवस	6.2.86
	0 1 2 1 0 7 7			टी.एम./ऋण जमा
0.1	वित्त लेखों के कुछ शी-ों में	-0	माह का अन्तिम	प्रे-ाण माइनस बेलेंस
31.	दर्शाये गये ऋणात्मक शे-ाों का	टी.एम.	कार्य दिवस	के-58 दिनांक
	निस्तारण			20.1.02
	कार्मिकों की अनाधिकृत		माह का अन्तिम	प्रशा.विधिक/प्रपत्र/
32.	अनुपस्थिति की मासिक सूचना	प्रशासन-।	कार्य दिवस	2/2005 दिनांक
			-1·1-1 144VI	17.11.2005

		I		
33	केन्द्रीय ऋण तथा लोक जमा खातों की स्थिति दर्शाते हुए अर्द्धशासकीय पत्रों का मासिक विवरण पत्र	बुक	मासिक लेखों के बन्द होने के पश्चात	बुक-।/के- 60/मासिक/डी.ओ./200 5- 06/स्पे.टी.आर।/209 दिनांक 13.2.06
34	बी./एस तथ एस.एल.आर.	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह का अन्तिम कार्य दिवस	क्र.सं.3 डी.डी. मैनुएल
साप्ता	हिक			
1	हिन्दी डायरी	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 8,15,23 तथा अंतिम कार्य दिवस	टी.एम./63-सी/70 दिनांक 18.12.63
2.	सामान्य डायरी	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 8,15,23 तथा अंतिम कार्य दिवस	टी.एम./63-सी/70 दिनांक 18.12.63
3.	आन्तरिक डायरी	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 8,15,23 तथा अंतिम कार्य दिवस	टी.एम./63-सी/70 दिनांक 18.12.63
4.	शुद्धियों के मांग पत्र की डायरी	शाखाधिकारी	प्रत्येक माह की 8,15,23 तथा अंतिम कार्य दिवस	टी.एम./63-सी/70 दिनांक 18.12.63
5.	विवरणी पंचांग	शाखाधिकारी/ उ.म.ले.	प्रत्येक मंगलवार/ तृतीय मंगलवार	टी.एम./63-सी/20 दिनांक 18.2.63
सप्ताह	मं दो बार			
1	सी.ए.जी. तथा त्वरित डायरी	शाखाधिकारी	प्रत्येक बुद्धवार तथा शुक्रवार	टी.एम./63-सी/70 दिनांक 18.4.63
	•			

<u>परिशि-ट-II</u>

(इस नियम पुस्तक के पैरा 1.4 में संदर्भित)

अभिलेखों का संरक्षण

क्र.सं.	अभिलेखों का वर्णन	संरक्षण की अवधि पूर्ण वर्नो में उल्लेखित
1	2	3
ब्राडशी	ट एवं ऋण रजिस्टर	
1.	विभिन्न शीर्नो की ब्राडशीटें जिनके विस्तृत लेखें महालेखाकार द्वारा रखे जाते हें (एस.वाई.14)	15
2.	विभिन्न शीर्नो की ब्राडशीटें जिनके विस्त.त लेखें महालेखाकार द्वारा नहीं रखे जाते हो (ए.टी.एम. 85)	10
3.	सरकारी कर्मचारियों को दिए गए ऋणों की ब्राडशीटें (ए.टी.एम. 86)	
	(क) भवन निर्माण अग्रिम	15
	(ख) मोटर कार अग्रिम	10
	(ग) वाहन की अन्य किरम	10
4.	सहायक ऋण रजिस्टर एस.वाई० 113	स्थायी
5.	नगरपालिकाओं आदि के ऋण वाउचर जिसके विस्तृत लेखे इस कार्यालय द्वारा रखे जाते हैं।	20
6.	ऐसे ऋणों के वाउचर जिनके विस्तृत लेखे इस कार्यालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।	6
7.	सरकारी कर्मचारियों को ऋणें के वाउचर	6
8.	पत्राचार शे-ों की स्वीकारोक्ति	5
9.	वाउचर ऋणों के लिए फाइल जिनके विस्तृत लेखे रखे जाते हैं।	3 (ऋण के पूर्णतया चुकाये जाने के बाद)
10.	सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का विवरण पत्र	10
11.	जोड़ने और घटाने का ज्ञापन	3
12.	को-गलय अनुसूचियों एवं वसूली पर्ची	6

1	2	3
13.	अनिवार्य जमा के चुकौती से संबंधित वाउचर	7
14.	अनिवार्य जमा पर ब्याज के भुगतान से संबंधित वाउचर	3

टिप्पणीः अभिलेखों को उनके सामान्य संरक्षण अवधि से आगे संरक्षित रखने के लिये सक्षम प्राधिकारी के विशे-ा आदेश प्राप्त किये जाने चाहिये।

परिशि-ट-III (पैरा 3.4 में संदर्भित)

टी.एम./82-सी/23

दिनांक 27.7.1982

वि-ाय:-कुछ ऋण शीर्-ा जिनके विस्तृत लेखे विभागीय अधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं, के अधीन संकलन मिलान एवं लेन-देनों की लेखा परीक्षा। सी.टी.एस.V अनुभाग का गठन (विभागीय ऋण संकलन एवं लेखा परीक्षा)

- (1) काफी समय से देखा गया कि विभिन्न ऋण शी-ों के अधीन प्रतिकूल/माइनस (ऋण) शे-ा वर्गो के अधीन प्रतिव-ी रहते आये हैं। यदि हम 1979-80 के वित्त लेखाओं के साथ 1980-81 की तुलना करें तो वित्त लेखाओं में ऐसी मदों के सामने यह अभ्युक्ति दी जाती है कि इन मदों की जाँच पड़ताल की जा रही है ये मद बहुत पुराने हैं एवं बढ़ते हुये पाये जाते हैं। यह स्थिति अब और भी खराब हो गई है। डी.डी. अनुभाग द्वारा इनकी ब्राडशीटें रखना बंद कर दिया गया क्योंकि इन शी-ों के विस्तृत लेखे रखने के लिये विभागीय प्राधिकारी उत्तरदायी हैं।
- (2) संकलन लेखा परीक्षा मिलान आदि की प्रक्रिया को सुचारू करने की दृन्टि से एक नया अनुभाग सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए.) तुरन्त प्रभाव से संगठित किया गया है। अनुभाग बुक हॉल में हैं तथा वर्तमान में अनुभाग अधिकारी (श्री एच.एल.तनेजा) लेखाधिकारी (श्री एम.सी.गृप्ता) इसके प्रभारी होंगे।

(3	3)	अनुभाग	के	मुख्य	कार्य/इससे	संबंधित	प्रक्रिया
1-	-,	- 1.3	•	., - '		** ** ***	

3.1 वाउचर/अनुसूचियां प्राप्त करनाः- जैसे ही को-गालय के वाउचर प्राप्त हों सम्बद्ध जिल लेखा परीक्षक लेखों के प्राप्त होने की सूचना सी.टी.एस. (डी.एल.सी.एवं ए.) के सम्बद्ध लेखा परीक्षक को देगा जो कि वाउचरों एवं अनुसूचियों की कुल राशियों को क्रमशः भुगतान एवं रोकड़ लेखा की अनुक्रमणिका के साथ मिलाएगा। यह मिलान करने के बाद वह वाउचर/अनुसूचियां प्राप्त करेगा एवं इनको निम्नलिखित प्रपत्र में जिला लेखा परीक्षक द्वारा बनाई जाने वाली अनुक्रमणिका पर पावती देगा।

को-गलय का नाम	
लेखा का माह	

लेखा शीर्-ा	राशि	
	डेबिट	क्रेडिट

6202 शिक्षा खेलकूद, कला एवं संस्कृति के लिए ऋण 6216 आवास के लिए ऋण (एवं इससे आगे)

`	
711 17	
51141	
911	

सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए.) के लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर जिला लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर

अनुबंध के अनुसार यदि किसी शीर्न में कोई विसंगति हो तो इसे खजना के प्रतिनिधि को बताया जायेगा जो कि लेखा लेकर आये हैं। संकलनः यह अनुभाग इस कार्यालय के आदेश अनुबंध में दिये गये ऋण शी-र्गो के सबंध में संकलन कार्य करेगा। सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए.) द्वारा इन शी-र्गो के लिये विवरण लेखा पुस्तिका में भी प्रविन्टि की जायेगी एवं इसे सी.टी.एस. अनुभाग को उनकी विवरण लेखा पुस्तिका में आंकड़े सम्मिलित करने के लिए दिया जायेगा। कुछ अन्य ऋण शी-र्ग जैसे 766, 767 का संकलन सम्बद्ध सी.टी.एस. अनुभाग द्वारा किया जायेगा।

ऋण शी-ों को स्प-ट रूप से दर्शाने के लिए कॉलम "योग एफ ऋण एवं अग्रिम को दो भागों ऋण एवं अग्रिम-II एवं " ऋण एवं अग्रिम भाग-III " में विभक्त कर दिया जाये। सी.टी.एस. अनुभाग द्वारा संकलन किये गये शी-ों को एफ ऋण एवं अग्रिम भाग-II में प्रवि-ट किया जाये। इन दो भागों का योग कॉलम "योग एफ ऋण एवं अग्रिम " लेखा विवरण लेखा पुस्तिका में दर्शाया गया है, में दिया जाएगा। सी.टी.एस. (डल.एल.सी. एवं ए) के लेखा परीक्षक लेखाओं को संकलित करते समय पूर्ण सावधानी रखेंगे एवं समेकित सार जो कि नीचे मद 3 में दर्शाय अनुसार बनाया जाना है, में बताये गये मासिक शे-ों को सहायता लेंगे। जहां कहीं भी ऋण शे-ा आये वहां विभागीय प्राधिकारियों/को-ालयों से तुरंत पत्राचार किया जाये।

3.3 समेकित सारों/खातों का संकलन

3.2

उक्त तरीके से विवरण लेखा पुस्तिका पूर्ण करने के बाद अनुबंध में दर्शाये गये अनुसार ऋण शी-र्गे का विस्तृत शी-र्गवार योग सी.टी.एस. (एल.एल.सी. एवं ए) द्वारा समेकित सारों में प्रवि-ट किया जायेगा जो कि खाते का उद्देश्य भी पूर्ण करेगा। (बुक-I अनुभाग हमेशा की तरह समेकित सार एवं खाता बनाता रहेगा) इस समेकित सार एवं खाते में प्रत्येक माह के लेखाओं के अंतिम शे-ा का पता चल सकेगा जिससे यदि कोई ऋण शे-ा हो तो उससे बचा जा सके। इस समेकित सार का प्रपत्र निम्न होगा:-

शीर्- (विस्तृत शीर्- स्तर तक)

1

अप्रैल 82

प्रारम्भिक शे-ा	डेबिट	क्रेडिट	अंत शे-ा		
(I)	(II)	(III)	(IV)		
2					
मई 82					
देति	बेट	केंद्रिट	अंत शे-ा		

एवं इससे आगे

समेकित सार को पूर्ण करने के पश्चात प्रतयेक माह सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए.) प्रतयेक माह के डेबिट एवं क्रेडिट के सामने इस सार में आंकड़ों की प्रविन्टि करेगा जो कि बुक अनुभाग द्वारा समेकित सार में प्रविन्टि से सत्यापित होंगे अर्थात बुक अनुभाग इन आंकड़ों को प्रमाणित करेगा। सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए.) अनुभाग प्रतिमाह समेकित सार शाखाधिकारी को प्रस्तुत करेगा। प्रविन्टियों की नमूना जाँच के संबंध में डी.ए./सी.ए. नियम पुस्तक में यथा निर्धारित आवश्यक जाँच सम्बद्ध अ.अ./ शा.अ. द्वारा की जायेगी बुक-I अनुभाग द्वारा लेखाओं की वार्निक रूप से

बंद करने के बाद एवं बुक - I अनुभाग द्वारा विवरण पत्र संख्या 18 बनाने से पूर्व वे सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए.) से आंकड़ों का सत्यापन करायेंगे जो कि वार्निक लेखाओं के बंद होने पर बुक अनुभाग द्वारा शे-ों के आंकड़े सत्यापित करने से काफी पहले तैयार रहेंगे।

3.4 उन शी-ों के संबंध में डी.डी. अनुभाग को वाउचर भेजना जिनक विस्तृत लेखे डी.डी. अनुभाग द्वारा रखे जाते हैं।

सी.टी.एस. (डी.एल.सी.ए.) द्वारा लेखाओं के संकलन के एक सप्ताह भीतर शीर्न 682, 684, 734 एवं ऐसे ऋण शीर्न जिनके विस्तृत लेखे डी.डी. अनुभाग द्वारा रखे जाते हैं, से संबंधित वाउचर/अनुसूचियों डी.डी. अनुभाग द्वारा सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए.) से हमेशा की तरह कार्यालय आदेश संख्या टी.एम./80/सी/23 दिनांक 5.5.1980 के अनुसार प्राप्त किये जायेंगे।

3.5 अन्य लेखा अनुभागों द्वारा सी.टी.एस. (डी.एल.सी.ए.) अनुभाग के वाउचर भेजना:-

कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं जिनमें अन्य लेखा अनुभाग नियमित वर्गीकृत सार या स्था. प्रविन्टि के माध्यम से ऋण शीर्न खोलते हैं। इस प्रविन्टि के समर्थन में वाउचर चालान आदि सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए.) अनुभाग को उपलब्ध कराने होते हैं अनुबंध में बताये गये शीर्नों को प्रभावित करने वाली अंतरण प्रविन्टियां जब बनाई जायें तब इन्हें सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) से अंकित कराया जायेगा एवं अपने मासिक लेखाओं में वास्तविक रूप से समाविश्ट करने से पूर्व सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) को इसकी एक अतिरिक्त प्रति दी जायेगी। जब कभी ऐसे शी-र्न प्रीवित हों संबंधित अनुभगा अपने वर्गीकृत सार में इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि वाउचर/ चालान/स्था.प्रवि-टे की एक प्रति सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) अनुभाग को दे दिये गये हो इसके बाद सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) वर्गीकृत सार में इस प्रमाण पत्र के बदले पावती देगा तािक ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में कोई अन्तर नहीं रहे। बुक अनुभाग इस प्रमाण पत्र पर निगरानी रखेगा एवं यह औपचारिकता पूरी होने पर ही वर्गीकृत सार प्राप्त करेगा।

3.6 लेखा परीक्षा एवं समीक्षा:-

इस कार्यालय आदेश के अनुबंध में विनिर्दि-ट ऋण शी-र्गे के संबंध में वाउचरों की समीक्षा सी.टी.एस. (डी.एल.सी.एवं ए.) अनुभाग द्वारा अप्रैल 82 एवं इससे आगे के लेखाओं से की जायेगी। चयन रजिस्टर 22 (लेखा परीक्षा एवं समीक्षा) हमेशा की तरह निर्धारित प्रपत्र में इस अनुभाग में रखा जायेगा।

3.7 वाउचरों को फाईल करना:-

सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) अनुभाग को किसी विशे-ा वित्तीय वर्-ा के एकल मुख्य लेखा शी-ां में संबंधित वाउचरों एवं प्राप्ति अनुसूचियों के संबंध में समेकित फाइल रखनी होती है अर्थात संबसंधित ऋण शी-ां से संबंधित सभी वाउचर एवं प्राप्ति अनुसूचियों सभी को-ाालयों के संबंध में एकल फाइल में रखे/रखी जायेंगे/जायेगी ऐसी प्रत्येक फाइल में

निम्नलिखित प्रपत्र में एक अनुक्रमणिका शीट बनाया जायेगा एवं इसे ऐसी फाइल के प्रारम्भ में रखा जायेगा

लेखा का माह	को-गलय का	क्रेडिट अनुसूचियां	वाउचर किस
	नाम	किस पृ-ठ पर हैं	पृ-ठ पर हैं

अप्रैल मई एवं इससे आगे

3.8 आपत्ति पुस्तक का रख-रखाव:-

गुम वाउचरों के मामले में राशि की सी.टी.एस. उचन्त के अधीन दर्ज किया जाना हैं चूंकि यह शीर्न 838 - उचन्त विवरण लेखा पुस्तिका में स्प-ट एवं पृथक से दिया जायेगा। अतः सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) का संबंधित लेखा ऐसी प्रविन्टि की पर्ची उचन्त के अधीन अनुभाग अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षरित जिला लेखाकार को उसकी संकलन /विवरण लेखा पुस्तिका में प्रविन्टि के लिए एवं मद की आपित पुस्तक में दर्ज करने के लिए देगा एवं इसकी पावती पर्ची को दूसरी प्रति पर लगा इसके साथ-साथ ऐसे गुम वाउचरों को रिजस्टर सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) द्वारा रखा जायेगा एवं की गई कार्रवाई पर इसके माध्यम से निगरानी रखेगा।

3.9 पुनःमिलानः-

ऋण शी-र्गो के संबंध में दिसम्बर 80 लेखाओं से ब्राडशीट का रख-रखाव समाप्त किये जाने के कारण जिनके कि विस्तृत लेखे विभागीय प्राधिकारियों द्वारा रखे जाते हैं ऐसे शी-र्गो का मिलान कार्य सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) अनुभाग में किया जायेगा। दिसम्बर 80 से पूर्व की अवधि के संबंध में संबंधित अभिलेख जैसे वाउचर ब्राडशीट संस्वीकृति आदि डी.डी. अनुभाग में उपलब्ध है डी.डी. अनुभाग द्वारा सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) अनुभाग की पूर्ण सहायता एवं सहयोग दिया जायेगा जो कि केवल 12/80 से पूर्व की अवधि के लिये मिलान करने के समन्वय का कार्य करेगा। समायोजन आदि करने के लिये पुनः मिलान ज्ञापन सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) द्वारा प्राप्त कियेजायेंगे। अंतरण प्रवि-टियां डी.डी.अनुभाग द्वारा अंकित की जायेगी। एक मिलान रिजस्टर सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) द्वारा ए.ए.डी. तरीके पर रखा जायेगा। क्रेडिट के लिए ए.ए.डी. पहले से ही ऐसे रिजस्टर रख रहा है।

3.10. ऋण शे-ां का समाशोधन:-

संबंधित को-ालय एवं संबंधित अभिलेखों के बारे में सही जानकारी रखने की दृ-िट से सी.टी.एस. (डी.एल.सी. एवं ए) द्वारा शी-वार/को-ालयवार/माह वार विशले-ाण किया जाना है। जब हमारे अभिलेखों से मदों का शोधन नहीं किया जा सके तो इन मामलों को शा.अ./स.अ. को जब कभी को-ालयों/विभागों में जाने का अवसर मिले, प्रस्तुत किया जायें।

परिशि-ट - IV

(पैरा 3.3.1 एवं 3.3.5)

1 जुलाई 1988 से राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों में दीर्घावधि के ऋणों के लेखे संधारण करने संबंधी प्रणाली

1. प्रस्तावनाः-

- 1.1 पूर्व में दीर्घाविध के ऋणों के लेखों का संधारण महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाता था,परन्तु अब राज्य सरकार के निणर्यानुसार दिनांक 1 जुलाई 1988 से दीर्घाविध के ऋणों (भवन एवंवाहन से सम्बन्धित परन्तु साईकिल अग्रिम को छोड़कर) के लेखों का संघारण सम्बन्धित को-ालय स्तर कर किया जायेगा। वे विभाग जो चैकों से राशि आहरित करते हैं तथा जिनके बिल को-ालय से पारित नहीं होते जैसे वन विभाग, सी.ए.डी. आदि के मामलों में सम्बन्धित को-ालय वह को-ालय होगा जहाँ से कर्मचारियों के वेतन भत्ते आदि चैक द्वारा आहरित किये जाते हैं।
- 1.2 1 जुलाई, 1988 से राज्य सरकार के अधीन कार्यालयों में दीर्घाविध के लेखे संधारण करने संबंधी प्रणाली निम्नानुसार होगी।

2. भुगतानः-

- 2.1 दिनांक 1 जुलाई, 1988 एवं इसके पश्चात जिन कर्मचारियों को भवन/वाहन ऋण स्वीकृत होगा, ऐसे सभी स्वीकृतियों की एक प्रति संबंधित को-गांधिकारी को, जहां से भुगतान किया जाना है, पृ-ठांकित की जायेगी। वन विगाग/कमाण्ड ऐरिया डवलपमैन्ट आदि विभागों में जिनके बिलों को को-गालय से पारित कराये बिना ही चैक से राशि आहरित की जाती है, पदस्थापित कर्मचारियों के मामलों में भी ऋण स्वीकृति की प्रति संबंधित खजना अधिकारियों को भेजी जाएगा।
- 2.2 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों को ऋण स्वीकृत होने पर स्वीकृति की प्रतियाँ संबंधित को-नालय अधिकारियों एवं निदेशक, को-नालय एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर दोनों को भेजी जायेगी।
- 2.3 को-ालय में जो कर्मचारी इन लेखों का संधारण करेंगे वे ही ऋणों के बिल भी पारित करेंगे। ऋण की स्वीकृति की जो प्रति को-ालय में प्राप्त होगी, वह लेखा संघारण करने वाले कर्मचारी को दी जाएगी जिसके आधार पर वह आहरण अधिकारी से बिल प्राप्त होने पर बिल पारित करेगा। बिल पारित करते समय इस आश्य का नोट" (बिल

दिनांक को पारित किया गया) "स्वीकृति कीप्रति जो को-ालय में प्राप्त हुई है, पर लगाया जायेगा तथा इस नोट के नीचे को-ाधिकारी/सहायक को-ाधिकारी हस्ताक्षर करगा साथ ही बिल के साथ संलग्न स्वीकृति की मूल प्रति पर भी ऐसा ही नोट लगा दिया जायेगा।

- 2.4 आहरण अधिकारी बिल की दो प्रतियां को-ालय में भेजेंगे एक प्रति पर मूल लिखा होगा तथा दूसरी प्रति पर " अनुलिपि भुगतान के लिए नही " लिखा जायेगा। को-ाधिकारी मूल बिल को पारित कर आहरण अधिकारी को लौटा देंगे तथा बिल की दूसरी प्रति पर पारित करने का, को-ालय के वारन्त रिजस्टरा का क्रम नम्बर व दिनांक लिखकर इस इन्द्राज को खजना अधिकारी/सहायक को-ाधिकारी से प्रमाणित कराकर को-ालय में ऋणी की संबंधित फाइल में रखेंगे। इस पर पश्चात में खजना वाउचर नम्बर व दिनांक भी लिखा जायेगा।
- 2.5 ऐसे विभाग जो वर्तमान में बिलों को को-ालय से पारित नहीं करवाते बिल्क स्वयं ही चैक से राशि आहरित करते हैं, जैसे वन विभाग, सी.ए.डी. विभाग आदि, वे भी 1 जुलई 1988 से दीर्घाविध के ऋणों के बिलों की राशि चैक से आहरित नहीं करेंगे। इन विभाग के अधिकारियों को भी दीर्घाविध के ऋणों के बिल दो प्रतियों में तैयार कर संबंधित को-ालयों को भेजने होंगे तथा को-ाधिकारी द्वारा बिल पारित करने पर ही वे बैंक से राशि आहरित करेंगे।
- 2.6 ऋण का बिल पारित करने के पश्चात स्वीकृति एवं बिल की दूसरी प्रति के आधार पर ऋणों का नाम आदि अनुक्रमणिका पंजिका (Index Register) में लिखा जाएगा। अनंक्रमणिका पंजिका परिशि-ट-ध में संधारित की जायेगी तथा यह भवन ऋण एवं वाहन ऋण के लिए अलग-अलग रखी जायेगी। यह पंजिका वर्णमाला अनुसार संधारित की जायेगी।
- 2.7 स्वीकृति की प्रति संबंधित ऋणी की फाइल में रखी जायेगी।
- 2.8 बैंक से पेड वाउचर प्राप्त होने पर, इसके आधारपर संबंधित ब्राडशीट (परिशि-ट-3) में भुगतान की प्रवि-टि की जायेगी।
- 3. लेखा संख्या का आवंटन:-
- 3.1 दिनांक 1 जुलाई 1988 एवं इसके पश्चात जिन कर्मचारियों को भवन/वाहन ऋण का भुगतान होगा उनको प्रथम बार भुगतान होने पर को-ालय अधिकारियों द्वारा स्थायी

लेखा संख्या आवंटित की जायेगी। स्थायी लेखा संख्या का आवंटन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (1) ऋण की किस्म (भवन/वाहन)
- (2) संबंधित को-गालय का लघु नाम
- (3) विभाग का लघु नाम
- (4) ऋण स्वीकृति का वर्न
- (5) कर्मचारी के नाम का प्रथम अक्षर
- (6) सूची पंजिका का क्रमांक

उदाहरणः- श्री कमल चन्द जो शिक्षा विभाग, अजमेर में कार्यरत है, को अजमेर कलेक्टर द्वारा 1.7.86 को 20,000/- रू. भवन ऋण के लिए स्वीकृत किया गया। इनका स्थायी लेखा संख्या "भवन प्रथम/अज/शिक्षा/88-89/क-I" होगा।

- 3.2 कर्मचारियों को एक से अधिक बार भवन ऋण स्वीकृत होने पर भी उनकी स्थायी लेखा संख्या वही रहेगी जो पूर्व में आवंटित की गई है। परन्तु ऐसे मामलों में लेखा संख्या में भवन के आगे "प्रथम" द्वितीय "तृतीय" (जैसा भी हो) लिखा जाएगा। ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारी भी ऐसे मामलों में स्वीकृति में कर्मचारी की पूर्व की लेखा संख्या यदि कोई हो, तो लिखेंगे।
- 3.3 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के मामलों में स्थायी लेखा संख्या का आवंटन निदेशक, को-ालय एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जायेगा। स्थायी लेखा संख्या आवंटन करने में अनु. 2.1 में उल्लेखित प्रक्रिया ही अपनाई जाएगी परन्तु विभाग के स्थान पर इसमें (अ.भा.से.) लिखा जाएगा जैसे अनु0 2.1 में दिए गए उदाहरण में यदि श्री कमल चन्द अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो तो उनकी लेखा संख्या "भवन/ अज/अ.भा.से./88-89/क-I" होगी।
- 3.4 को-गधिकारी द्वारा आवंटित स्थायी लेखा संख्या की सूचना परिशि-ट-2 में संबंधित 5ऋणी को, आहरण एवं वितरण अधिकारी को एवं ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारी को भेजी जाएगी ताकि वसुली सूचियों में स्थायी खाता संख्या भी लिखी जा सके।

3.5 इसी प्रकार अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के मामलों में आवंटित लेखा संख्या की सूचना भी परिशि-ट-2 में संबंधित ऋणी को, आहरण अधिकारी को संबंधित को-गाधिकारी को तथा स्वीकृति देने वाले अधिकारी को निदेशक, को-गालय एवं लेखा राजस्थान, जयपुर द्वारा भेजी जायेगी।

1 जुलाई, 1988 से पूर्व दिये गये भवन/वाहन ऋणियों को अस्थायी लेखा संख्या आवंटनः-

- 4.1 चूंकि को-ालयों में लम्बी अवधि के ऋणों के लेखों का कार्य 1.7.88 से आरंभ होगा इसिलये इस तिथि से पूर्व भुगतान किए गए भवन/वाहन ऋण की वसूली जो 1.7.88 या इसके बाद होगी के लेखे भी को-ालयों पर रखे जायेंगे। अतः ऐसे पूर्व में स्वीकृत एवं भुगतान किए हुए ऋणों के अन्तर्गत होने वाली वसूलियों का समुचित लेखा रखने हेतु ऐसे ऋणियों की अस्थाई लेखा संख्या आवंटित की जाएगी। अस्थायी लेखा संख्या आवंटित करने में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी जो अनु. 3.1 में उल्लेखित हैं परन्तु वर्न के स्थान परा " अ " (अस्थाई हेतु) लिखा जाएगा जैसे अनु 3.1 में दिए उदाहरण का अस्थाई लेखा संख्या " भवन प्रथम/अज/शिक्षा/अ/क-1 " होगा। चूंकि स्थायी एवं अस्थायी लेखों दोनों के लिये एक ही सूची पंजिका रखी जायेगी। अतः आवंटित खाता संख्याओं में वर्णमाला के अनुसार निरंतरता रहेगी।
- 4.2 को-गिधकारियों द्वारा आवंटित समस्त अस्थाई लेखों की सूची तथा समय-समय पर ऐसे लेखों के अंतरण करने की सूचना निदेशक, को-गिलय एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर को भेजी जाएगी। निदेशक, को-गिलय एवं लेख, के कार्यालय में इन सूचनाओं के आधार पर ऋणी के वर्तमान पदस्थापन की जानकारी रखी जायेगी ताकि 30.6.88 तक के लेखे संबंधी सूचना, सीधे ही उस को-गिधकारियों को प्रेनित की जा सके, जिसकी सीमा में ऋणी पदस्थापित हैं।

5. वसूलियों की लेखों में प्रवि-टियां-

- 5.1 महालेखाकार, राजस्थान द्वारा भवन एवं वाहन ऋणों के लेखा निम्नांकित तिथियों तक के पूरे किए जायेंगे।
 - (1) भवन ऋण 31.3.87
 - (2) वाहन ऋण 31.3.86

तत्पश्चात लेखों में उक्त तिथि का शे-ा, लुप्त क्रेडिटों आदि की सूचना सिहत लेखों को निदेशक, को-ालय एवं लेखा, राजस्थान जयपुर को अंतरित कर दिया जायेगा।

- 5.2 लेखों को आगे 30.6.88 तक पूरा करने का कार्य निदेशक, को-ालय एवं लेखा राजस्थान, जयपुर द्वारा कराया जाएगा तथा इस प्रयोजन हेतु संबंधित रिकार्ड महालेखाकार, राजस्थान से प्राप्त किया जाएगा। लेखों में 30.6.88 तक की प्रवि-टियां करने के पश्चात लेखें को सीधे ही उस को-ाधिकारियों को अंतरित कर दिया जाएगा जिसकी सीमा में ऋणी पदस्थापित है।
- 5.3 वर्तमान में भवन एवं वाहन ऋणों तथा इन पर ब्याज की वसूलियां जो वेतन बिलों में दर्शाई जाती है, इनका समायोजन को-ालय लेखों में नहीं किया जाता परन्तु अब दिनांक 1.7.88 से इस प्रकार की वसूलियों का समायोजन को-ालय लेखों में किया जायेगा। अतः जून माह के वेतन बिलों एवं 1.7.88 से पास होने वाले वेतन बिलों को पारित करते समय को-ाधिकारी इन बिलों में दर्शाई गई भवन/वाहन ऋण एवं इन पर ब्याज की वसूलियों की राशि के भुगतान आदेश मं अंतरण द्वारा बताएगें जिसके लिये महालेखाकार राजस्थान ने अकाउण्ट कोड खण्ड-II के अनुच्छेद 26 को शिथिल कन अनुमित दे दी है। वेतन बिलों को पारित करते समय को-ाधिकारी यह भी देखेंगे कि बिलों के साथ इनकी वसूली सूचियों भी संलग्न हैं, खाता संख्या अंकित हैं तथा वसूली सूचियों का जो योग है वह बिल में दर्शाई गई वसूली योग से मिलता है, अन्यथा को-।।धिकारी वेतन बिल को पारित नहीं करेंगे।
- 5.4 भुगतान होने के पश्चात जो पेड वेतन बिल बैंक/उप को-ालय से प्राप्त होंगे, उनकी संकलन शाखा में भुगतान सूची (टी.वाई.12) में ग्रास राशि लिखि जायेगी तथा भवन/वाहन ऋण एवं ब्याज की राशि को टी.वाई. 12 में अलग-अलग कॉलमों में भी लिखा जाएगा तथा अंतरण द्वारा संबंधित मद की आय सूचियों (टी.वाई.II) में भी प्रवि-टि की जाएगी। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को ऋण के भुगतान की राशि एवं संबंधित वसूलियों की राशि टी.वाई.11 एवं टी.वाई 12 में पृथम-पृथक बतलाई जाएगी।
- 5.5 को-ाालय कर्मचारियो द्वारा ऐसे वेतन बिलों की भुगतान सूची (टी.वाई.12-) में प्रवि-टियां करते समय संलग्न वसूली सूचियां (जी.ए. 87) पर को-ाालय का वाउचर संख्या एवं दिनांक लिखकर इन्हें अलग रख लिया जाएगा जैसा कि राज्य बीमा की कटौती कीसूची के लिए किया जाता है तथा इस प्रकार निकाली गई वसूली सूचियों को प्रतिदिन ऋण के लेखे संधारण करने वाले कर्मचारी को दे दिया जाएगा।
- 5.6 इस प्रकार वेतन बिलों से निकाली गई वसूली सूचियों को पूरे माह का संभालकर रखा जाएगा। माह समाप्ति पर उन्हें बजट मदवार जमाया जाएगा अर्थात भवन ऋण की

- वसूली सूचियां, शिक्षा, चिकित्सा, पुलिस आदि विभागों के मदवार जमा ली जाएगी। इसी प्रकार वाहन ऋण की वसूली सूचियां भी मदवार जमा ली जाएगी।
- 5.7 वसूली सूचियों को मदवार जमा लेने के पश्चात् इनमें दर्शायी गई राशियों की प्रवि-टियां ब्राडशीट में संबंधित कम्रचारी के नाम के समक्ष, संबंधित माह में की जाएगी। ब्राडशीट परिशि-ट-3 में रखी जाएगी तथा इसे मदवार संधारित किया जाएगा। प्रवि-टियों को पर्यवेक्षक अधिकारी द्वारा लघु हस्ताक्षर से प्रमाणित किया जाएगा।
- 5.8 यदि कोई कर्मचारी/विभाग ऋण की राशि नकद चालान से जमा कराता है तो ऐसे नकद जमा की ब्राडशीट अलग से बनाई जाएगी तथा नकद राशि की ब्राडशीट से सीधे खाते (लेजर) में प्रवि-टि की जाएगी।
- 5.9 निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं अथवा राजस्थान के बाहर प्रतिनियुक्ति पर गये कर्मचारी ऋण वसूली की राशि उस को-ालय में जिसकी सीमा में वे प्रतिनियुक्ति पर जाने स पूर्व पदस्थापित थे, जमा कराते रहेंगे। वसूली की राशि या तो चालान से बैंक में जमा कराकर, चालान की दूसरी प्रति व वसूली की सूची संबंधित को-ालय को भेजेंगे अथवा राशि का चैक/ड्राफ्ट जो को-ाधिकारी के पक्ष में होगा वसूली सूची के साथ को-ाधिकारी को भेजेंगे व वर्तमान प्रणाली जिसके अन्तर्गत ऐसे मामलों में चैक/ड्राफ्ट महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को भेजे जाते है बन्द कर दी जायेगी। यदि फिर भी कोई चैक/ड्राफ्ट महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को को प्राप्त होगा तो महालेखाकार राजस्थान जयपुर द्वारा उसे वापिस लौटा दिया जाएगा। खाजानाधिकारियों द्वारा प्राप्त चैक/ड्राफ्ट की राशि बैंक में जमा करा दी जायेगी तथा चालान एवं वसूली सूची के आधार पर नकद जमा की ब्राडशीट में सम्बन्धित कर्मचारी के नाम के समक्ष प्रवि-टि कर ली जायेगी।
- 5.10 अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी के प्रतिनियुक्ति पर जाने पर सम्बन्धित को-गिधिकारी द्वारा उसका खाता को-गिधिकारी (सिचवालय) जयपुर को अंतरित कर दिया जायेगा तथा इन मामलों में भी वर्तमान प्रणाली जिसके अन्तर्गत वसूली की राशि चैक/ड्राफ्ट महालेखाकार, राजस्थान को भेजे जाते है दिनांक 1.7.1988 से बन्द कर दी जायेगी। ऐसे मामलों में वसूलियों की राशि के चैक/ड्राफ्ट जो को-गिधिकारी (सिचवालय) जयपुर के पक्ष में होंगे, को-गिधिकारी (सिचवालय) जयपुर को भेजे जायेंगे, जो इनकी राशि बैंक में जमा कराकर, ब्राडशीट में सम्बन्धित अधिकारी के नाम के समक्ष जमा राशि की प्रविन्टि करेगा।
- 5.11 जिन विभागों के वेतन बिल खजना द्वारा पारित नहीं होते, बल्कि वे स्वयं ही वेतन बिलों की राशि चैक द्वारा सीधे ही बैंक से आहरित करते हैं जैसे वन विभाग कमाण्ड

कर्मचारियों से ऋणों की जो राशि वसुल की जायेगी वह को-ाालय में चालान से जमा कराई जाएगी तथा चालान की दूसरी प्रति वसुली सूची के साथ संबंधित को-गाधिकारी को भेज दी जाएगी। को-गधिकारी इनके आधार पर नकद जमा की ब्राडशीट में संबंधित कम्रचारी के नाम के समक्ष जमा की प्रविन्टि करेगा। इन विभागों की रोकड बही (केश बुक) में ऋण एवं अग्रिम वसूली की राशि को, प्राप्ति (रिसिप्ट) की तरफ मद 76 10-राज्य कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम" में प्रदर्शित किया जाएगा साथ ही इस राशि को चालान के द्वारा को-11लय में मद संख्या " 7610-राज्य कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम" में जमा करायेंगे और रोकड़ बही में इसकी प्रवि-टि भुगतान (पेमेंट) में करेंगे। इस प्रकार ब्राडशीट में माह की समस्त प्रवि-िटयां करने के पश्चात ब्राडशीट का 5.12 मासिक योग लगाया जायेगा। समस्त मदों की ब्राडशीट का योग, संकलन शाखा के मद 7610-के आय सूची (टी.वाई 11) के योग/कैश अकाउन्ट में दर्शाई गई राशि से मिलान किया जायेगा यदि काई अन्तर होगा तो ब्राडशीट की पुनः जांच कर अन्तर का निराकरण किय जायेगा। यदि किसी वसूली सूची के गुम हो जाने के कारण ब्राडशीट में प्रवि-िट नहीं हो पाई है तथा इस कारण से अन्तर है तो ऐसी अन्तर की राशि को ब्राडशीट में योग के नीचे लिख दिया जायेगा तथा संबंधित आहरण अधिकारी से वसूली सूची मंगाई जाएगी और इसके आधार पर प्रवि-िट कर, अन्तर की राशि का निराकरण कर दिया जायेगा। समस्त प्रवि-टियां करने के पश्चात वसूली सूचियों को मदवार जमा कर फाईल कवर लगाकर उस पर माह का नाम लिखकर सुरक्षित रखा जाएगा।

एरिया डवलपमेन्ट, कोटा/बीकानेर आदि, ऐसे विभागों/ कार्यालयों में पदस्थापित

खातों में प्रवि-टियां-

समस्त ऋणियों की नामवर निजी फाइलें को-ालय में रखी जायेंगी तथा इन फाइलों का क्रमांक, कर्मचारी का खाता नम्बर होगा। इन पत्राविलयों में खाते की एक शीट (परिशि-ट-4) रखी जायेगी जिसमें ब्राडशीट के आधार पर प्रवि-टियां की जायेगी। समय-समय पर होने वाला पत्राचार भी इन्हीं सम्बन्धित फाइलों से किया जायेगा। वर्न समाप्त होने पर खातों का योग लगाया जायेगा तथा इसका मिलान ब्राडशीट के अनुसार सम्बन्धित खाते के योग से किया जाएगा तािक यह सुनिश्चित हो सके कि ब्राडशीट की सभी प्रवि-टियां खातों में हो गई है।

7. खातों का हस्तान्तरण:-

- 7.1 यदि किसी कर्मचारी का स्थानान्तरण एक को-ालय की सीमा से दूसरे को-ालय की सीमा में हो जाता है तो संबंधित कर्मचारी के आवेदन पर/आहरण के लिखने पर अथवा दूसरे को-ाधिकारी के लिखने पर को-ाधिकारी उसका खाता संबंधित अधिकारी को हस्तान्तिरत करेगा। खाता हस्तान्तिरत करने से पर्वू यह देखेगा कि ऋणी के खाते में अंतिम वसूली की प्रविन्टि हो गई है अन्यथा शे-ा प्रविन्टियों को कराकर खाता बन्द करेगा। खाते की प्रमाणित प्रति (परिशि-ट-4) में तैयार करेगा तथा उसमें ऋण की शे-ा रही राशि को भी लिखेगा। इस प्रकार तैयार की गई खाते की गई खाते की प्रमाणित प्रति को परिशि-ट-5 के साथ संलग्न कर उस को-ालय को रिजस्टर्ड डाक से भेज दी जावेगी जिसकी सीमा में उसका कार्यालय स्थापित हैं। खाते के हस्तान्तरण की पावती प्राप्त होने पर उसे संबंधित कर्मचारी की फाइल में रखा जाएगा तथा इस आश्य का नोट ब्राडशीट में भी सम्बन्धित कर्मचारी के आगे लगा दिया जायेगा।
- 7.2 कर्मचारी का अंतरण होने पर आहरण अधिकारी द्वारा जारी किए जाने वाले अन्तिम वेतन प्रमाण पत्र (लास्ट पे सर्टिफिकेट) में भी कर्मचारी का खाता संख्या ऋण की शे-राशि एवं वसूली की किस्त की राशि बताई जायेगी इसके आधार पर आगामी आहरण अधिकारी कर्मचारी से वसूली करता रहेगा।
- 7.3 जब कभी वसूली सूची में अंतरित होकर आये कर्मचारी का नाम प्रथम बार आये को-गिधकारी उस को-गिधकारी को जिसकी सीमा से कर्मचारी अंतरित होकर आया है, कर्मचारी के ऋण के लेखे को हस्तान्तरित करने हेतु लिखेगा।
- 8. वर्न में जमा एवं शेन की सूचना ऋणी को भेजना:-वर्न की समाप्ति पर को-गिधकारी द्वारा सम्बन्धित ऋणी को उसके खाते में जमा हुई राशियों तथा ऋण की शेन राशि की सूचना परिशि-ट-6 में भेजेगा।

9. अदेयता प्रमाण पत्र

9.1 महालेखाकार, राजस्थान द्वारा भवन ऋण के लेखे दिनांक 31.3.87 तक के एवं वाहन ऋण के लेखे दिनांक 31.3.86 तक क रखे जायेंगे अतः जिन कर्मचारियों से उक्त अविध तक ऋण एवं ब्याज की पूर्ण वसूली हो गई होगी उनको अदेयता प्रमाण पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) महालेखाकार, राजस्थान द्वारा दिया जायेगा।

- 9.2 ऐसे मामलों में जिनमें उक्त तिथियों तक ऋण की पूरी वसूली नहीं हुई है, भवन ऋण के लेखों की 31.3.86 की स्थिति में लुप्त क्रेडिट आदि की सूचना के साथ महालेखाकार द्वारा निदेशक, को-ालय एवं लेखा राजस्थान, जयपुर को भेज दी जाएगी तथा उन मामलों में " अदेयता प्रमाण पत्र " देने का दायित्व महालेखाकार का नहीं रहेगा। ऐसे मामलों मे यदि 30 जून 1988 तक ऋण की पूरी वसूली हो गई है तो अदेयता प्रमाण पत्र जारी करने का दायित्व निदेशक, को-ालय एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर का होगा।
- 9.3 ऐसे समस्त मामलों में जिनमें ऋण एवं ब्याज की वसूली 1.7.88 या इसके पश्चात् पूरी होती है, " अदेयता प्रमाण पत्र " उस को-गिधकारी द्वारा दिया जायेगाजहां पर भुगतान की अन्तिम राशि जमा हुई है। देय ब्याज की गणना भी को-गिधकारी द्वारा की जाएगी तथा ऋण एवं ब्याज की पूरी राशि जमा होने पर खाते के आधार पर परिशि-ट-7 में अदेयता प्रमाण पत्र (नो ड्यूज सर्टिफिकेट) जारी किया जायेगा। अदेयता प्रमाण पत्र चार प्रतियों में तैयार किया जाएगा। प्रथम प्रति संबंधित कर्मचारी को दूसरी प्रति ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारी को, तीसरी प्रति उस आहरण अधिकारी को जहाँ पर कर्मचारी सेवारत है, भेजी जाएगी, चौथीप्रति कार्यालय प्रति रहेगी। आहरण अधिकारी इसके आधार पर संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में प्रवि-टि करेगा। सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के मामलें में अदेयता प्रमाण पत्र की एक प्रति निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर को भी भेजी जाएगी।
- 9.4 ऐसे मामलों में जिनमें कर्मचारी की मृत्यु हो गई हैं तथा उसमें ऋण/ब्याज की राशि शे-ा है तो को-गिधकारी द्वारा दिए जाने वाले अदेयता प्रमाण पत्र (परिशि-ट-7) में, शे-ा का उल्लेख किया जायेगा तथा दर्शायी गई शे-ा राशि की वसूली की सूचना आने पर वसूली की प्रवि-टि ब्राडशीट/खाते में कर खाता बंद कर दिया जायेगा।

10. अशुद्धियों/त्रुटियों का संशोधनः-

10.1 यदि त्रुटिवश को-ालय की ब्राडशीट में भवन ऋण की वसूली की राशि को वाहन ऋण की वसूली में या वाहन ऋण की वसूली की राशि को भवन ऋण में दर्शाया दिया गया हो अथवा गलत नाम के आगे प्रविन्टि कर दी गई हो तथा इनके शोधन से महालेखाकार राजस्थान को भेजे गये लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता हो तो ऐसी त्रुटियों को ठीक करने हेतु को-ाधिकारी एक शोधन पत्र परिश-ट-8

में तैयार करेगा तथा इसके आधार पर खाता अंतरण से वांछित जमा खर्च कर अशुद्धि/त्रृटि का परिशोधन करेगा।

10.2 यदि किसी बिल में आहरण अधिकारी ने तो ऋण की वसूली बताई हो परन्तु को-गिधिकारी द्वारा भुगतान आदेश में खाता अंतरण में बताना छोड़ दिया गया हो या लेखा संकलन में त्रुटि हो गई हो तथा इसके शोधन से महालेखाकार राजस्थान को भेजे गऐ लेखों में दर्शाए गए आंकड़ों को संशोधित करना आवश्यक हो तो ऐसे मामलों में समुचित जाँच कर को-गिधिकारी द्वारा हिसाब शोधन पत्र टी.वाई 142 तैयार कर महालेखाकार राजस्थान को भेजा जाएगा तथा इसमें शुद्धि किए जाने की सूचना महालेखाकार राजस्थान से आने पर को-गिलय के लेखों में भी तदनुसार जमा खर्च पर त्रुटि का शोधन कर दिया जाएगा।

11. महालेखाकार राजस्थान से अंक मिलान

दीर्घाविध के ऋणों के भुगतान एवं इनकी वसूलियों का महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर से अंक मिलान का कार्य निदेशक, को-ालय एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर द्वारा किया जाएगा अतः प्रत्येक को-ाधिकारी इन मदों से संबंधित आय व्यय की मासिक सूचना परिशि-ट-9 में आगामी माह की 8 तारीख तक (मासिक लेखों के साथ निदेशक को-ालय एवं लेखा राजस्थान) जयपुर को भेजेंगे।

12. को-गलयों में संधारित लेखों का निरीक्षण:-

निदेशक, को-ाालय एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर यह देखोंगे कि को-ाालयों में संधारित लम्बी अवधि के ऋणों के लेखे भली भाँति रखे जा रहे हैं। इस उद्देश्य हेतु निदेशक, को-ाालय एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर अपने कार्यालय से निरीक्षण दल को-ाालयों में भेजेंगे जो न केवल यह देखेंगे कि निर्धारित रिजस्टर आदि में सुचारू रूप से संधारित किए जा रहे हैं बल्कि ब्राडशीट व खातों की कुछ प्रवि-टियों को भी जाँच कर देखेंगे कि प्रवि-टियाँ सही की गई हैं।

13. साइकिल अग्रिम

दिनांक 1.7.88 से साईकिल अग्रिम के भुगतान एवं वसूली के लेखे संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा उसी प्रकार रखे जायेंगे जैसे वर्तमान में फूडग्रेन एडवांस के लेखे विभागीय/कार्यालय स्तर पर रखे जाते हैं। अतः वेतन बिल से वसूलियों की राशि को को-11धिकारी द्वारा भुगतान आदेश में बाई ट्रांसफर में बताया जाएगा तथा को-11लय के लेखों में इनका समायोजन दर्शाया जायेगा। परन्तु इनके विस्तृत लेखे को-11लयों में नहीं

रखे जायेंगे। विभागों/कार्यालयों में साईकिल अग्रिम के विस्तृत लेखे संधारण करने के संबंध में आवश्यक निर्देश वित्त (ग्रुप-2) विभाग द्वारा अलग से प्रसारित किये जायेंगे।

परिशि-ट-I

सूची पंजिका

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	पद	लेखा संख्या	ब्राडशीट का संदर्भ, मद एवं क्रमांक	विशे-ा विवरण
1	2	3	4	5	6	7

नोट:- ट्रासफर होकर आने/जाने वाले खातों का विवरण कॉलम नं. 7 में लिखा जायेगा।

परिशि-ट-V

(पैरा 5.2.2(ए) में संदर्भित)

प्रतिलिपि राजस्थान सरकार वित्त (मार्गोपाय) विभाग के आदेश क्रम संख्या एफ.12(2) वित्त/मार्गोपाय/79 जयपुर दिनांक 5 मई,1982

वि-ाय:- स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि द्वारा निधियों का विनिधान

विभागीय निधियों और अन्य अर्द्धशासकीय निधियों, यथा-शिक्षण संस्थाओं, देवस्थान, विभाग के आत्म निर्भर मन्दिरों विकास न्यासों, नगरपालिकाओं, पंचायत सिमितियों, पंचायतों, राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल, राजस्थान राज्य परिवहन निगम, राजस्थान वित्त निगम तथा पूर्णतया सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों की निधियों के राज्य सरकार की अनुमित के बिना बैंक खाते आपरेट न करने, न रखने, न खोलने या बैंक में कोई विनिधान करने के लिये समय-समय पर अनुदेश जारी किए गए हैं।

समय-समय पर जारी किए गए आदेशों, और संशोधनों को अति-ठित करते हुए, राज्यपाल, विभिन्न संस्थाओं/निकायों द्वारा निधियों के विनिधान के लिये निमनलिखित प्रक्रिया अनुमादित करते हैं। समस्त संबंधित निकायों द्वारा इसका कड़ाई से पालन किया जावे। उन सरकारी अधिकारियों से जो अर्द्धशासकीय निकायों के सदस्य हैं या प्रतिनियुक्ति पर उक्त निकायों की सेवा में हैं, इन अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाता है। इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाना एक गम्भीर अनियमितता समझी जायेगी। उपर्युक्त संस्थाओं की निधियों का इन अनुदेशों के अनुसार विनिधान करने संबंधी सूचना वित्त विभाग को त्रैमासिक दी जायेगी। जिसके लिए (प्रपत्र) प्रोफार्मा विहित कर दिया गया है और अलग से भेजा जा चूका हैं।

फिर भी प्रोफार्मा (प्रपत्र) की एक प्रति संलग्न की जा रही है। त्रैमासिक सूचना तिमाही की समाप्ति के पश्चातवर्ती मास की 15 तारीख तक भेजी जावे।

क्र.सं.	संस्था / निकाय का नाम	विनिधान का तरीका
1	2	3

है।

- 1. नगरपालिका
- बैंक/राजस्थान इण्डस्ट्रियल को-ओपरिटिव बैंक तथा उपरोक्त बैकों के अलावा शे-ा, शे-ा निधि को अनुसूचित बैकों/ग्रामीण बैंकों में विनिधान किया जायेगा। डाकघर में बचत बैक खाता भी रखा जा सकता है। विनिधान की विहित प्रतिशत की सीमा तक अल्प बचतों में भीविनिधान किया जा सकता

50 प्रतिशत तक शे-ा निधि को सैन्ट्रल कोआपरेटिव

- राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक, जो कि एक अनुसूचित बैंक है, सिहत किसी अनुसूचित बैंक में चालू खाते रखे जा सकते हैं।
- नित्यप्रति के उपयोग के लिये अपेक्षित निधि को-गलयों/उप को-गलयों में व्यक्तिगत निक्षेप (पी.डी.) खाते में रखी जा सकेगी।
- 2. विकास न्यास
- 1. शे-ा निधियां सरकार के पास से ब्याज वाले निक्षेप के रूप में निक्षप्त करायी जा सकेगी।
- चालू खाता स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर में रखा जा सकेगा।
- नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां को-नालयों/उप को-नालयों में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखी जा सकेंगी।
- 3. पंचायती समितियां
- शे-ा निधियां सरकार के पास ब्याज वाले निक्षेप के रूप में रखी जा सकेगी।

- नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां को-गालयों/उप को-गालयों में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखी जा सकेगी।
- शे-ा निधियों का ग्रामीण बैक/सैंन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक/इण्डिस्ट्रियल को-ओपरेटिव बैक में विनिधान किया जा सकेगा।

समस्त उपलब्ध निधियां को-गलय/उप को-गलय में व्यक्तिगत

निक्षेप खाते में रखी जायेंगी परन्तु जहां कही भी वाणिज्यिक बैंकों की मार्फत ए.आर.डी.सी. द्वारा वित्त पोनित परियोजनाएं हैं, ऐसी मण्डी समितियों के खाते ऐसे वित्त पोनक बैंकों में भी, बैंक द्वारा दिये गये ऋण के अव्ययनित भाग की सीमा तक, रखे जाते रहेंगे।

- निधियां, को-गलयों/उप को-गलयों में व्यक्तिगत
 निक्षेप खाते में रखी जायेंगी।
- रोकड शे-ा का 25 प्रतिशत उन बैंकों के पास रखा जा सकेगा जो राज्य के कार्यक्रमों में वित्तीय सहायता दे रहे हैं, किन्तु ऐसा निम्नलिखित निर्बन्धनों के अध्यधीन किया जायेगा:-
- 15 मार्च से 31 मार्च तक निधियां बैंकों में अन्तरित नहीं की जायेंगी।
- ii. बैंकों में निधियों के निक्षेप किये जाने से, स्टाफ के वेतन आदि के संदाय तथा क्षेत्र में कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर किसी भी प्रकार से विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिये।
- iii. निक्षेप लघु अवधि के आधार पर होना चाहिये और बैंक द्वारा योजना कार्यक्रम के अधीन हिताधिकारी व्यक्ति को उधार देने के क्षेत्र में उसके कार्यान्वयन से संबंधित होना चाहिये।

- 4. पंचायत
- 5. विपणन बोड

6. कृ-ि उपज मंडियां

जिला ग्रामीण विकास 7. एजेंसियां

- 8. सूखा क्षेत्र कार्यक्रम एजेंसियां
- 9. मुख्यमंत्री को-गालय

मेडिकल कॉलेज सहित शिक्षण

10. संस्थाएं

I.(सरकारी संस्थाएं)

II. स्वायत्त संस्थाएं मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज/अकादिमयां/ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/पाठ्य पुस्तक मंडल/विश्वविद्यालय और उसी प्रकारकी अन्य संस्थाएं

उदाहरणार्थ- खेलकूद परि-ाद आदि से सहायता प्राप्त प्राइवेट संस्थाए

- निधियां, को-ाालयों/उप को-ाालयों में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखी जायेंगी। मुख्यमंत्री द्वारा यथा अनुमोदित रखा/विनिधान किया जा सकेगा।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर तक फीसें और अन्य गैर सरकारी निधियां सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंकों/ इण्डस्ट्रियल को-ओपरेटिव बैंकों/डाकघर बचत बैंक खातों में रखी जा सकेंगी।
- उच्चतर माध्यमिक स्तर से ऊपर नित्य प्रति
 के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां
 को-ालयों/उप-को-ालयों में व्यक्तिगत
 निक्षेप खाते में रखी जा सकेंगी।
- अधिशे-। निधियां सरकार के पास ब्याज वाले निक्षेपों के रूप में निक्षिप्त की जा सकेगी।
- 1. अधिशेन निधियों का अनुसूचित बैंकां जिनमें ग्रामीण बैंक/राजस्थानन स्टेट को-ओपरेटिव बैंक/सैंन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक/इण्डस्ट्रियल को. बैंक/अल्प बचत प्रमाण पत्र भी सम्मिलित हैं, वे विनिधान किया जा सकता है, या वे सरकार के पास ब्याज वाले निक्षेपों के रूप में निक्षिप्त करायी जा सकेंगी।
- चालू खाते, राजस्थान स्टेट को.बैंक सहित किसी अनुसूचित बैंक में रखे जा सकते हैं।
- 3. सरकार द्वारा पूर्णतः वित्त पोनित संस्थाएं, निधियों को केवल को-ालय/उप को-ालय में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रख सकेंगी। शे-ा निधियां सरकार के पास ब्याज वाले निक्षेप के रूप में निक्षिप्त कराई जा सकेंगी।

- 11.सरकारी अस्पतालों डिस्पेंसिरयोंऔर अन्य संस्थाओं को दान/निधि
- नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां को-गलयों/उप को-गलयों में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखी जा सकेंगी।
- अधिशे-। निधियां सरकार के पास ब्याज वाले निक्षेप के रूप में निक्षिप्त कराई जा सकेंगी।
- 12. देवस्थान विभाग के अधिकाराधीन आत्म निर्भर मंदिर
- नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां को-गलयों/उप को-गलयों में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखी जा सकेंगी।
- अधिशे-। निधियां सरकार के पास ब्याज वाले निक्षेप के रूप में निक्षिप्त कराई जा सकेंगी अथवा उनका सरकार यथा अनुमादित विनिधान किया जा सकेगा।
- 13. राज्य उपक्रम/सरकारी कम्पनियां/निगम इत्यादि
 - (क) राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड
- . नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियां को-ालयों/उप को-ालयों में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में रखी जा सकेंगी।
- अधिशे-ा निधियों में से 50 प्रतिशत से अधिक का लघु बचत संग्रहण में विनिधान किया जा सकेगा।

- 3. अधिशे-ा निधियां तथा बाजार उधारों का 50 प्रतिशत सरकार के पास ब्याज वाले निक्षेप के रूप में निक्षिप्त कराया जा सकेगा अथवा सरकार द्वारा यथा अनुमोदित विनिधान किया जा सेगा।
- 4. कुल मिलाकर 15.00 लाख रूपये के (पन्द्रह लाख रूपये) के शे-ा के साथ नित्य प्रति के संचालन हेतु राजस्थान राज्य सहकारी बैंक सहित अनुसूचित बैंकों में चालू खाते रखे जा सकेंगे।
- (ख)राजस्थान आवासन बोड
- 1. अधिशेन निधियां तथा बाजार उधारों का 50 प्रतिशत ब्याज वाले निक्षेप के रूप में सरकार के पास निक्षेप किया जायेगा। बाजार उधारों का 25 प्रतिशत राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक/सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक/ इण्डस्ट्रियल को-ओपरिटिव बैंक में विनिधान किया जायेगा तथा 25 प्रतिशत अनुसूचित बैंकों/ग्रामीण बैंकों या सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान किया जा सकेगा।
- 2. चालू खाता राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंक सहित अनुसूचित बैंकों में रखा जा सकेगा।
- (ग) राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कारपोरेशन
- 25 प्रतिशत तक की सीमा तक की शे-ा निधियों का राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंक/सैन्ट्रल को-ओपरेटिव बैंक/इण्डस्ट्रियल को-ओपरेटिव बैंक में विनिधान किया जायेगा, 25 प्रतिशत अनुसूचित बैंकों/ग्रामीण बैंकों में विनिधान किया जा सकेगा तथा 50 प्रतिशत ब्याज वाले निक्षेपों के रूप में सरकार के पास निक्षिप्त किया जा सकेगा।
- चालू खाता राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंक सहित अनुसूचित बैंकों में रखा जा सकेगा।

- (घ) राजस्थान राज्य पथ परिवहन
- अधिशे-ा निधियों का 50 प्रतिशत राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंकों के पास, 25 प्रतिशत अनुसूचित बैंकों/ग्रामीण बैंकों के पास नि-िप्त किया जा सकेगा तथा 50 प्रतिशत ब्याज वाले निक्षेपों के रूप में सरकार के पास निक्षिप्त किया जायेगा।
- 15.00 लाख रूपये के अधिशे-। हित चालू खाते राजस्थान स्टेट को-आपरेटिव बैंक सहित अनुसूचित बैंकों में रखे जा सकेंगे।
- (ड) राजस्थान भूमि विकास निगम
- विनिर्दि-ट स्कीमों तथा कार्यक्रमों के लिए राज्य/ केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आन्तरिक निधियां को-ालयों/उप को-ालयों में व्यक्तिगत निक्षेप खातों में रखी जायेगी।
- 5.00 लाख रूपये के अधिशे-ा सहित चालू खाते राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंक सहित अनुसूचित बैंकों में रखा जायेगा
- 3. अधिशे-ा निधियों के 50 प्रतिशत का राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंक में विनिधान किया जाएगा तथा शे-ा 50 प्रतिशत का अनुसूचित बैंकों/ग्रामीण बैंकों में विनिधान किया जायेगा।
- (च) राजस्थान वित्त निगम
- 1. अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार
- चालू खाते भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के पश्चात राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंक में भी रखे जावें।
- (छ) राजस्थान राज्य कृनि उद्योग निगम, लि., राज. राज्य निगम. होटल राजस्थान स्टेट टेनरीज लि.. राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनिधान तथा निगम लि., राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम. राज्य खान एवं राज. खनिज लि.. राजस्थान बीज निगम, राज्य

शेन निधियों का 50 प्रतिशत ब्याज वाले निक्षेपों के रूप में सरकार के पास निक्षेप किया जा सकेगा, 25 प्रतिशत का राजस्थान स्टेट को-ओपरेटिव बैंक में विनिधान किया जायेगा तथा 25 प्रतिशत का अनुसूचित बैंकों/ग्रामीण बैंकों तथा अल्प बचत प्रमाण पत्रों में विनिधान किया जायेगा।

राजस्थान पर्यटन विकास निगम, राजस्थान राज्य मण्डी विकास निगम, गंगानगर शुगर मिल्स लि., तथा राजस्थान स्टेट ब्रिज एण्ड कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि. राजस्थान को-ओपरेटिव डेयरी फैंडरेशन लिमिटेड

- (ज) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ लिमिटेड राज. राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लि. राज. को-ओपरेटिव डेयरी फेडरेशन लि.
- 1. सरकार द्वारा प्रदत्त आन्तरिक निधियां जिनमं आवश्यक वस्तुओं के वितरण के लिए निधियां भी सम्मिलित हैं, को-ालयों में व्यक्तिगत जमा खाते में रखी जानी चाहिये। परीक्षक (स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग) यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश में अंतर्वि-ट इन अनुदेशों का सम्बन्धित स्थानीय निकाय, स्वायत्त संस्थाएं इत्यादि जिनके लेखों की विभाग द्वारा संपरीक्षा की जाती है, अनुसरण कर रहे हैं।

त्रैमासिक विनियोजन विवरण (से) संस्था का नाम

तिमाही	तिमाही का विवरण						
क्र.सं.	विनियोजन द्रव्य	विनियोजन तिथि	विनियोजन की अवधि	विनियोजन समाप्ति की तिथि	संस्था का नाम जिसमें विनियोजन किया गया	ब्याज की दर	

-----रोकड़ / बैंक

वर्तमान में विनियोजन विवरण जिसकी अवधि तिमाही की अंतिम तिथि के आगे समाप्त होती है।							
विनियोजन तिथि को कुल शे-। जिसमें से विनियोजन किया गया	क्र.सं.	विनियोजन द्रव्य	विनियोजन की प्रारम्भिक तिथि	विनियोजन की समाप्ति तिथि	संस्था का नाम जिसके साथ विनियोजन किया गया।	ब्याज की दर	अभ्युक्ति

राजस्थान सरकार वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांक:प.12(3)/वि.भा./86

जयपुर, दिनांक 31 जनवरी, 1990

आदेश

वि-।य:- स्थानीय निकायों, स्वायत्त संस्थाओं और राजकीय कम्पनियों इत्यादि निधियों का विनिधान

विभागीय निधियों और अन्य अद्धर्शासकीय संस्थाओं यथा शिक्षण संस्थाओं पंचायत समितियों, पंचायतों एवं राजकीय उपक्रमों (निगमों, राजकीय कम्पनियों आदि) की निधियों के विनिधान के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अनुदेश जारी किये गये है। ऐसे समस्त आदेशों और संशोधनों को अति-ठित करते हुये, राज्यपाल महोदय विभिन्न संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों की निधियों के विनिधान के लिए निम्न प्रक्रिया अनुमोदित करते हैं-

- समस्त अर्द्ध-शासकीय संस्थाओं यथा 1. नगरपालिका, विकास न्यास, पंचायत समिति, कृ-। उपज मण्डी समिति, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, सरकार अस्पताल डिस्पेंसरियां, देव स्थान विभाग के ब्याज. अधिकारादीन मंदिर जिला परि-ाद. राज्य फसल, बीमा निधि एवं टिप्पणियां शैक्षणिक संस्थाएँ (सरकारी शिक्षण संस्थायें. स्वायत्त संस्थाएं मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज/ अकादिमयां/ शिक्षाबोर्ड/पाठ्य पुस्तक मण्डल/ विश्वविद्यालय और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं उदाहरणार्थ - खेलकुद परि-ाद आदि और सहायता प्राप्त प्राईवेट संस्थाएं
 - (क) शे-ा निधियां राज्य सरकार के पास को-ालय/ उप-को-ालय में ब्याज वाले निक्षेप के रूप में रखी जावेंगी।
 - (ख) नित्यप्रति के उपयोग के लिए अपेक्षित निधियों, को-गलय/उप को-गलय में व्यक्तिगत निक्षेप (बिना ब्याज) खाते में रखी जावेगी।

- (1) पंचायतों द्वारा जवाहर योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि का विनिधान डाकघर, अल्प बचत खातों में किया जायेगा।
- (2) नेबार्ड द्वारा वित्त पोनित परियोजनाओं के अंतर्गत प्राप्त राशि (ऋण के अव्ययनित भाग की सीमा तक) का विनिधान कृ-ि उपज मण्डल समितियों द्वारा सम्बन्धित बैंकों में किया जा सकेगा।

- (3) सरकारी अस्पताल, डेस्पेंसरियां, देवस्थान विभाग के अधिकाराधीन मंदिर एवं सरकारी शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं द्वारा किसी वाणिज्यिक ग्रामीण/सहकारी बैंकों में चालू खाते रखे जा सकेंगे।
- समस्त राजकीय उपक्रम (राजकीय उपक्रम ब्यूरों के अंतर्गत यथा समस्त निगम, मण्डल, सरकारी कम्पनियां आदि)
- (क) शे-ा निधियां सरकार के पास को-ालय/उप को-ालय में ब्याज वाले निजी निक्षेप खातों के रूप में रखी जायेगी। समयावधि निक्षेप बैंकों में भी रखा जा सकेगा। यदि ऐसा करना व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु यथा बैक गारन्टी के विरुद्ध हो।
- (ख) नित्यप्रति के उपयोग के लिये अपेक्षित निधियां/उप को-ालय में व्यक्तिगत निक्षेप खाते में (बिना ब्याज अथवा किसी वाणिज्यिक) ग्रामीण सहकारी बैंकों के चालू खाते में रखी जा सकेगी।

को-ाालय/उप को-ाालय में ब्याज वाले निक्षेपों हेतु वित्त विभाग की पूर्व अनुमित की आवश्यकता नहीं रहेगी। निक्षेप में रखी निधियों के आहरण हेतु भी वित्त विभाग की पूर्व अनुमित की आवश्यकता नहीं होगी और सम्बन्धित संस्था उपक्रम अपनी व्यवसायिक आवश्यकताओं के अनुरूप समय-समय पर चैक द्वारा राशि निकाल सकेंगे। तथापि यह सुविधा उन मामलों में जिनके निजी निक्षेप खातों में रखी राशि के आहरण पर वित्त विभाग द्वारा कोई विशे-ा रोक लगाई गई हो, उपलब्ध नहीं रहेगी। निक्षेपों पर देय ब्याज की निम्न व्यवस्था होगी:-

- 1. निक्षेपों पर ब्याज की निम्न व्यवस्था होगी:-
 - (1) 90 दिन से अधिक परन्तु 1 वर्न से कम 8

८ प्रतिशत वार्निक

(2) 1 वर्न और उससे अधिक

9 प्रतिशत वार्निक

2. को-गिधकारी ब्याज मुक्त निजी निक्षेप खातों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा जमा की गई/निकाली गई राशि एवं ब्याज भुगतान की त्रैमासिक सूचना अग्रिम माह की 10 तारीख तक वित्त (मार्गोपाय) विभाग को भेजेंगे। विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत सरकारी अधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इन आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इस बारे में की गई ढील एवं लापरवाही को राज्य सरकार द्वारा गंभीरतापूर्वक लिया जाएगा। निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि इस आदेश में अन्तर्वि-ठ इन अनुदेशों का सम्बन्धित संस्थाओं, निकायों एवं राजकीय उपक्रमों जिनके लेखों की इस विभाग द्वारा समपरीक्षा की जाती हैं, अनुसरण कर रहे हैं।

ये आदेश दिनांक 1.2.90 से लागू होंगे।

नोटः- यदि किन्ही विभागों द्वारा वित्त विभाग के इन आदेशों के अतिक्रमण में कोई निर्देश जारी किये गये हैं तो वे बिना वित्त विभाग की अनुमति के प्रभावी नहीं माने जायेंगे।

आदेश से.

(बी.बी.एल.माथुर) मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेनित है:-

- 1. सभी शासन सचिव।
- 2. सचिव, मुख्यमंत्री।
- 3. सचिव, राज्यपाल।
- मंत्रियों/राज्य मंत्रियों/उप मंत्रियों के सभी निजी सचिव।।
- 5. शासन सचिवालय के सभी विभाग एवं अनुभाग।
- सभी सम्बन्धित संस्थाएं।
- 7. सभी विभागाध्यक्ष।
- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- 9. सभी को-गधिकारी, राजस्थान।

प्रतिलिपि निम्न को भी प्रेनित है:-

- 1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 4. सचिव, लोकायुक्त, सचिवालय, जयपुर
- 5. संयुक्त रजिस्ट्रार,राजस्थान उच्च न्यायालय,जयपुर

(सत्य प्रिय गुप्ता) कार्यकारी वित्त आयुक्त एवं शा.स.

परिशि-ट-VI

(इस नियम पुस्तक के 5.5.1 में विनिर्दि-ट)

जमा लेन-देन और आपत्तियों के वाउचर विवरण की संख्या में सामान्यतया पाई गई अनुयमितताओं की सूची:-

- 1. सेवा शीर्न नहीं भरा गया।
- लेखा शी-र्न जिसके क्रेडिट में अंतरण द्वारा राशि अदा की गई और जिस क्रेडिट को मद
 में इसे शामिल किया गया है उसका उल्लेख नहीं किया गया है।
- 3. बिल पर किसी को-ाालय वाउचर का उल्लेख नहीं है।
- 4. जमा की संख्या और तारीख का सही उल्लेख नहीं किया गया है।
- 5. जमाकर्ता के नाम का सही उल्लेख नहीं किया गया।
- जमा की राशि का स्प-ट उल्लेख नहीं किया गया।
- 7. भुगतान की तारीख दर्ज नहीं की गई।
- 8. अदायगी आदेश में जो राशि अंकों में दी गई है शब्दों में वही राशि नहीं दी गई है।
- 9. दावेदान का नाम/हस्ताक्षर नहीं है।
- वाउचर पर जो संशोधन किए गए हैं वह रसीद पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति द्वारा सांक्ष्यांकित नहीं किए गए है।
- 11. योग शब्दों में नहीं लिखा गया है।
- 12. अदायगी आदेश पर उस अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए गए है जो चुकौती स्वीकृत करने के प्राधिकृत है।
- 13. जो अधिकारी चुकौती स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत है उनका सरकार पदनाम दर्ज नहीं किया गया है।
- 14. अदायगी आदेश पर को-गधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
- 15. भुगतान आदेश में संशोधन को-गाधिकारी द्वारा साक्ष्यांकित नहीं किये गये।
- 16. अंतरण के स्थान पर नगद अदा किया (देखें लेखा संहिता जिल्द-1 का अनुच्देद 67)
- 17. अदायगी आदेश की राशि आवेदन की राशि से अधिक है।
- 18. न्यायालय द्वारा मुखांकन नवीकरण के बिना अदायगी आदेश की तारीख के बाद निर्धारित दिन से अधिक दिन लगाये।
- 19. वाउचर प्राप्त नहीं हुआ।

- 20. वाउचर की शब्दावली विशि-ट है, भुगतान के स्वरूप राशि और आदाता का नाम अंग्रेजी में इस पर नहीं लिखा गया और विशि-ट भा-ा के अदायगी आदेश का अंग्रेजी में अनुवाद नहीं किया गया।
- 21. अधिक भुगतान।
- 22. रजिस्टर और को-गलय लेखा की राशि में अन्तर।
- 23. रजिस्टर में योग में गलती।
- 24. व्यपगत जमा का अदायगी रिजस्टर के माध्यम से भुगतान और ऐसा महालेखाकार की स्वीकृति का सत्यापन किये बिना किया गया है।
- 25. जब वापस की जाने वाली मदें 100/- रूपये से अधिक की थी तो राशि मनीऑर्डर के द्वारा प्रेनित की गयी।
- 26. तीन माह से अधिक पुराने चैकों (व्यक्तिगत जमा) का को-ाालयों में भुगतान।

अनुबन्ध- VII (पैरा 6.10.3 में संदर्भित)

क्र.सं.	लेखा शीर्-ा	(44/ 0.10.5 4	r statetsy	
1.	6003-101-	(001)- 38/6.40%	रा.रा.विकास ऋण	2013
2.	-do-	39/6.35%	-do-	2013
3.	-do-	40/6.20%	-do-	2013
4.	-do-	41/5.85%	-do-	2015
5.	-do-	41/6.20%	-do-	2015
6.	-do-	42/5.85%	-do-	2015
7.	-do-	43/5.90%	-do-	2017
8.	-do-	44/5.85%	-do-	2015
9.	6003-106	5-002-01/8.50%	टैक्स फ्री राजस्थान	सरकार विशे-ा ऋण
<i>)</i> .	0003 100	002 01/0.30/0	2006 (3	भक्टूबर)
10.	-do-	02	-do-	2007 (अप्रैल)
11.	-do-	03	-do-	2007 (अक्टूबर)
12.	-do-	04	-do-	2008 (अप्रैल)
13.	-do-	05	-do-	2008 (अक्टूबर)
14.	-do-	06	-do-	2009 (अप्रैल)
15.	-do-	07	-do-	2009 (अक्टूबर)
16.	-do-	08	-do-	2010 (अप्रैल)
17.	-do-	09	-do-	2010 (अक्टूबर)
18.	-do-	10	-do-	2011 (अप्रैल)
19.	-do-	11	-do-	2011 (अक्टूबर)
20.	-do-	12	-do-	2012 (अप्रैल)
21.	-do-	13	-do-	2012 (अक्टूबर)
22.	-do-	14	-do-	2013 (अप्रैल)
23.	-do-	15	-do-	2013 (अक्टूबर)
24.	-do-	16	-do-	2014 (अप्रैल)
25.	-do-	17	-do-	2014 (अक्टूबर)

26.	-do-	18	-do-	2015 (अप्रैल)		
27.	-do-	19	-do-	2015 (अक्टूबर)		
28.	-do-	20	-do-	2016 (अप्रैल)		
29.	8449-105(02	0) /6.40%	राज.राज्य विकास ऋण	2013		
30.	-do-	(021) /6.35%	-do-			
31.	-do-	(022) /6.20%		-do-		
32.	-do-	(023) /5.85%	राज.राज्य विकास ऋण	2015		
33.	-do-	(023) /6.20%	-do-	2015		
34.	-do-	(024) /5.85%	-do-	2015		
35.	-do-	(025) /5.90%	-do-	2017		
36.	-do-	(026) /5.85%	-do-	2015		
37.	6225-01-800-(001)		राजस्थान अनूसूचित जाति जनजाति वित्त एवं			
			विकास सहकारी निगम	को उधार		
38.	6225-03-800-(001)		राजस्थान अन्य पिछड़ा	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास		
			सहकारी निगम को उध	गर		
39.	6225-03-800-(002)		राजस्थान उप्त संख्यक	वित्त एवं विकास सहकारी		
			निगम को उधार			
40.	6851-200-(007)		वाणिज्य कर विभाग के माध्यम से ब्याज मुक्त कर्जें			
41.	6801-190-(00	03)	भि राजस्थान अक्ष्य ऊर्जा कापोरेशन का उधार			
42.	6885-01-190-(003)		भिवाड़ी औद्योगिक विकास प्राधिकरण को उधार			
43.	8011-106-(003)		नवीन अंशदायी पेंशन योजना			
	(01)		राज्य कर्मचारियों के लिए			
44.	8338-104-(001)[24]		जिला परि-ाद			
45.	8338-104-(004)[17]		जिला परि-ाद			
46.	8342-120-(031)		ग्रास स्ट्स इनोवेदन आगमेन्टेशन नेटवर्क नार्थ			
47.	8342-120-(032)		राजकीय कुक्कुट शाला			
48.	8342-120-(033)		पुलिस कल्याण निधि			